(P. D. SHARMA)
ASSTT. RESEARCH OFFICER-I
HYDRAULICS DIVISION-I
I.R.I., ROORKEE

सिंचाई विभाग

के

नियम और विनियम

जो

अधिकारीगण नहर की जानकारी के लिये जारी किये गये हैं

और

जिनका सम्बन्ध भूमिधरों और किसानों से है

इलाहाबाद
मुद्रक : अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

(P. D. SHARMA)
ASSTT. RESEARCH OFFICER-II
HYDRAULICS DIVISION-I
I.R.I., ROORKEE

भूमिका

सिंचाई के "नियम और विनियम" पुस्तक जो उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा छापी तथा प्रसारित की जा रही है, उसके अवलोकन से मैंने यह अनुभव किया कि सिंचाई विभाग के राजस्व विभाग के छोटे कर्मचारियों, जैसे अमीन, पतरौल तथा नलकूप-चालकों के कर्तव्यों का विवरण इसमें नहीं है जो सिंचाई विभाग के राजस्व के मूल स्तम्भ हैं। हिन्दी में कोई ऐसी पुस्तक भी नहीं है, जिसमें उनके कर्तव्यों का उल्लेख हो, जो अति आवश्यक है, अतः इसका ध्यान रखते हुये मैंने इस प्रकाशन में तीसरा अध्याय जुड़वा दिया है जो उनकी जानकारी के लिये अनिवार्य तथा हितकर होगा।

इस अध्याय के जोड़ने में मुझे श्री श्याम नारायण दीक्षित, उप राजस्व अधिकारी तथा श्री सी० एफ० किरमानी, अधिशासी अभियन्ता का सहयोग प्राप्त हुआ है।

के० एल० गुप्ता,
अधीक्षण अभियन्ता,
षष्टम वृत्त, सिंचाई विभाग,
लखनऊ।

(P. D. SHARMA)
ASSTT. RESEARCH OFFICER-II
HYDRAULICS DIVISION-I
I.R.I., ROORKEE

प्रस्तावना

इस पुस्तक का पहला संस्करण सन् १९४२ ई० में छपा था। पुस्तक हिन्दी में अवश्य छपी थी, परन्तु उस समय के अनुकूल उर्दू के अधिकांश शब्द प्रयोग में लाये गये थे।

इस संस्करण में जहां तक सम्भव हो सका है, हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया गया है और Irrigation Manual of orders के चौथे संस्करण का परिच्छेद १५६-अ और पांचवें संस्करण के परिच्छेद ३१०, ३११ व ३२१ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सम्मिलित कर लिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त परिच्छेद १७२, १७३, १७५, १९३ व १९४ चौथे संस्करण के स्थान पर नये परिवर्तन हो जाने के कारण पांचवें संस्करण के परिच्छेद २०६, २०७, २०९, ३२८ व ३२९ का अनुवाद सम्मिलित किया गया है।

दरों की अनुसूचियां Irrigation Manual of orders के पांचवें संस्करण और उसके पश्चात् के सरकारी आदेशों के अनुसार जो अब तक हुये हैं, सम्मिलित की गई हैं। आशा है कि प्रस्तुत संस्करण उपयोगी सिद्ध होगा।

यह सम्भव है कि पूर्ण ध्यान रखते हुये भी त्रुटियां रह गई हों। अच्छा हो कि जो भी त्रुटियां संस्करण में पाई जायें वे सरकार को अवगत कराई जावें।

इस संस्करण के संशोधन करने में सर्वश्री राम दयाल, अधिशासी अभियन्ता, बलवन्त सिंह, डिप्टी रेवेन्यू आफिसर, अमर सिंह, डिप्टी रेवेन्यू आफिसर व हरपाल सिंह, डिप्टी रेवेन्यू आफिसर ने सहयोग प्रदान किया है।

बी० डी० मीतल,
अधीक्षण अभियन्ता,
षष्ठम वृत्त, सिंचाई विभाग,
लखनऊ।

गूल आदि बनाना 2
पानी देना - 2
तातील - 5
गूल में पानीबंदी - 5
पानी कर - 6 से 11 58-60
बन्दीओं के नियम - 11 से 13
धान-चक्र के नियम - 13 से 14
सिंचाई का पर्वेक्षण जमाबन्दी आदि 14-19
हस्तमाला - 20 - 21
नाव चलाना - 22 से
धारा 70(11) - 26
70(12) - 26
उत्तरदेश से बाहर (सिंचाई - 30 - 31
धारा 70 (1) - 44
70(2) - 45
70(3) - 45
70(4) - 45
70(5) - 45
70(10) - 45

स्थायी कुलाबा - 47
अस्थायी " - 50
ओसराबंदी - 51-56
आबकार " - 56-57
आबजामा - 61
कर छूट - 61-63
Istgasa - 63, 64
पड़ताल - 65
नीलामी
घास आदि 69
अमीन के कर्तव्य - 80
पतौल - 81
कूप बाबत - 82
Owner's shed - 87
मालिकाना...

(P. D. SHARMA)
ASSTT. RESEARCH OFFICER-II
HYDRAULICS DIVISION-I
I.R.I., ROORKEE

नियम, अधिनियम (ऐक्ट) नहर के अधीन

१५३—निम्नलिखित नियम, जो अधिनियम नं० ८ सन् १८७३ ई० संशोधित अधिनियम १६, सन् १८९१ ई० के तथा अधिनियम ६, सन् १९३२ ई० उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति से घोषित हो चुके हैं।

निम्नलिखित नहरों पर जहाँ तक कि वह उत्तर प्रदेश के जिलों में स्थित हैं लागू होंगे—

नहर गंगा ऊपरी (अपर) उसकी शाखें सहित
नहर गंगा निचली (लोअर) उसकी शाखें सहित
पूर्वी नहर जमुना
नहर शारदा उसकी शाखें सहित
नहर आगरा
नहर बेतवा
देहरादून की नहरें
रुहेलखंड की नहरें
काशीपुर की नहरें
बिजनौर की नहरें
झीलें हमीरपुर व झांसी के जिलों की, जो राज्य के अधिकार में हैं।
नहर केन
नहर धसान
नहर पहुज और गढ़मऊ
नहर घाघर
नहर गरई
नहर धोरी
नहर सुखरा
नहर व तालाब मझगवां
तालाब बेलासागर
तालाब कुठौंद
रामपुरा तालाब और नहरें
बरवार झील और नहरें
जयामनी और अंजार तालाब
तालाब कमालपुरा
तालाब रानपुर

नियम अन्तर्गत अधिनियम ८ सन् १८७३ ई० संशोधित अधिनियम १६ सन् १८९१ ई० तथा अधिनियम ६ सन् १९३२ ई० के अनुसार।

(D. SHARMA)
ASSTT. RESEARCH OFFICER
HYDRAULICS DIVISION-I
I.R.I., ROORKEE

(ज) जितना पानी नहर या राजबहा या नाली में है वह सब पहिले ही से काम में आ जाता हो ।

(द) गूल की लम्बाई मोहाने से लेकर उस स्थान तक जहां वह सम्बन्धित भूमि से जा मिले एक मील से अधिक हो या हो जायगी ।

७—ऐसे खेत के वास्ते नहर से सींच करने की मनाई की जा सकती है—डिवीजनल अधिकारी नहर ने हुक्म कलेक्टर की स्वीकृति प्राप्त करके निम्नलिखित दशाओं में नहर के पानी के प्रयोग की मनाही कर सकता है ।

(अ) किसी ऐसे खेत में जिसकी सींच किसी अन्य स्थायी तथा विश्वसनीय साधन से हो सकती है ।

(ब) ऐसी भूमि जिसके लिये नियम नम्बर ६ के अनुसार साधारणतया पानी न दिया जा सके ।

(स) किसी फसल तरीक [illegible] के वास्ते जबकि वह खेत जिनकी सींच करनी है, किसी शहर या कस्बे के सबसे बाहर वाले मकान से एक मील के अन्दर स्थित हो और नगरपालिका कमेटी या नगरपालिका कमेटी न हो तो जिलाधीश उन खेतों की सींच पर आपत्ति करें। परन्तु इस दशा में जब इस नियम के अनुसार पानी के प्रयोग की मनाही ऐसे खेतों में की जावे, जिनमें नहर की सींच पहिले से स्थापित हो चुकी है तो उन खेतों के मालिक ऐसे प्रतिकर (मुआविज़ा) के पाने के हकदार होंगे जो प्रान्तीय सरकार उचित समझे । इस नियम के अनुसार यदि किसी खेत या खेतों की सींच की मनाही की जावेगी तो मनाही का आदेश लिखित होगा और उस पर डिवीजनल अधिकारी नहर के हस्ताक्षर होंगे और प्रति ऐसे ग्राम में जिसका उससे सम्बन्ध हो, सार्वजनिक स्थान पर चिपका दिया जावेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिलेदार नहर व लेखपाल और लेखपाल न होने की दशा में ग्राम प्रधान के पास भेजी जायगी, जिलेदार नहर और लेखपाल का कर्तव्य होगा कि इस आदेश का अभिप्राय ग्राम प्रधान व सम्बन्धित काश्तकारान को समझा दें ।

८—नहरी पानी के वितरण में परिवर्तन—जहां नहरी पानी के वितरण में कोई नियम बन गया हो, वहां ऐसे नियम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जावेगा; जबतक कि अधिकारीगण नहर व माल महकमे के आपस में विचार न कर लें और ऐसे परिवर्तनों का विवरण न लिख लें । कुलाबों की कमी और उनके जाने के नोटिस जिनमें परिवर्तन के संक्षेप कारण अंकित होंगे, उन सब कृषकों को जिनका उनसे सम्बन्ध होगा दी जावेगी । ताकि जिलाधीश के पास सुझाव स्वीकृति के हेतु भेजने से पूर्व कृषक को आपत्ति करने का अवसर प्राप्त हो सके । ऐसे नोटिस इस परिवर्तन होने से कम से कम पूरी एक फसल पूर्व जारी किये जावेंगे । जिससे सम्बन्धित कृषकों की भूलें मिटा दी जावें । परिवर्तन को प्रयोग में लाने के पूर्व आवश्यक [illegible] करनी अनिवार्य होगी । किसी स्थित कुलाबे के व्यास (बहाव) या स्थान में कोई अन्तर योग्य अधिकारी/सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर की स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा ।

९—जानवरों को पानी पिलाने के हेतु तालाबों का भरना—जब पानी बिना हानि उन खेतों के जिनकी सींच नहर से होती हो दिया जा सके तो नहर के पानी से तालाब बिना कर के लिया [illegible] उस खेत के जिसकी सींच किसी गांव में होती हो निम्नलिखित नियमानुसार भरे जा सकते हैं:—

(१) उस दशा के अतिरिक्त जो धारा नं० १० में बताई गई है कोई तालाब इस प्रकार न भरा जायेगा, जो कि केवल घरेलू कामों अथवा जानवरों को पानी पिलाने के काम में न आता हो।

(२) कोई तालाब इस प्रकार नहीं भरा जायगा, जो मामूली पानी के निकास के मार्ग में स्थित हो और इसलिये इस में प्राकृतिक कारणों से पानी भर कर फैल जाने का भय हो।

(३) कोई तालाब इस प्रकार से बिना लिखित आदेश सब-डिवीजनल अधिकारी नहर के जो सम्बन्धित व्यक्तियों के लिखे हुये प्रार्थना-पत्र पर दिया जावे, नहीं भरा जायेगा और केवल ऐसे समय में और उस सीमा तक भरा जायगा, जो सब-डिवीजनल अधिकारी स्वीकार करें।

(४) कोई तालाब इस प्रकार नहीं भरा जायेगा, जब तक कि सब-डिवीजनल अधिकारी को इस बात का विश्वास न दिला दिया जावे कि मूल जिसके द्वारा से तालाब भरा जायगा, प्रार्थना-पत्र देने के समय ठीक दशा में है।

(५) यदि कोई व्यक्ति जिसके लाभ के लिये तालाब इस प्रकार भरा गया हो उपरोक्त नियमों में से किसी के विरुद्ध कार्य करे अथवा यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी तालाब के पानी को जो इस प्रकार भरा गया हो, घरेलू कार्यों अथवा जानवरों के पानी पिलाने के अतिरिक्त किसी अन्य काम में लावे तो उचित है कि अन्य किसी ऐसे दण्ड के, जो अधिनियम के अधीन दिया जा सकता है। डिवीजनल अधिकारी नहर उस व्यक्ति को उस (रियायत) के अधिकार से जो इस नियम से दिया गया हो बारह माह के लिये वंचित कर दें। डिवीजनल अधिकारी प्रत्येक दशा में ऐसा आदेश नियमानुसार कार्रवाई और जांच के पश्चात् देगा।

१०—तालाबों और प्राकृतिक गड्ढों से सिंचाई—किसी तालाब या प्राकृतिक गड्ढे के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति को जो पानी चाहता हो प्रार्थना-पत्र पर डिवीजनल अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् तालाब या प्राकृतिक गड्ढे नहर के पानी से सिंचाई के हेतु भरे जा सकते हैं अथवा पानी जो नियम ९ तथा १२ के अनुसार तालाबों में भरा गया हो, सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। ऐसे तमाम खेतों पर जिनकी इस प्रकार तालाबों तथा प्राकृतिक गड्ढों से सिंचाई की जावे साधारण सिंचाई कर नहर लगाया जायगा; परन्तु वह खेत यदि कोई हो, जिनकी सिंचाई किसी प्राकृतिक गड्ढे से इस फसल के मध्य में जिसमें पानी दिया गया हो, नहर का पानी भरे जाने के पूर्व की गई हो; उस फसल के सम्बन्ध में सिंचाई कर से मुक्त होंगे, ऐसे खेतों की सूची बनाई जायगी और उस पर जिलेदार नहर और ग्राम प्रधान अथवा लेखपाल प्रमाण के रूप में उसके ठीक होने के हस्ताक्षर करेंगे।

११—सिंचाई के अतिरिक्त अन्य कार्य के हेतु पानी देने के ठेके—डिवीजनल अधिकारी नहर को अधिकार है कि सिंचाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये नहर का पानी देने के हेतु ठेके किसी अवधि के लिये जो एक वर्ष से अधिक न हो दें। एक वर्ष से अधिक समय के लिये प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति पूर्व से प्राप्त करना आवश्यक है।

१२—दर ऐसे पानी का जो बिना किसी विशेष ठेके के या के अतिरिक्त अन्य कामों में लाया जावे—डिवीजनल अधिकारी अथवा सब-डिवीजनल अधिकारी नहर की स्वीकृति प्राप्त करके सिंचाई के अतिरिक्त अन्य कामों के हेतु तालाब भरे जा सकते हैं अथवा नहर से सीधे अल्प मात्रा में पानी दिया जा सकता है। इन दशाओं में ऐसी दर तथा प्रतिबन्ध होंगे जो प्रान्तीय सरकार समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा ७५ के अन्तर्गत निश्चित करेगी।

१३—पानी, जो छावनियों या कस्बों आदि को दिया जावे—जब पानी किन्हीं अथवा अन्य पक्की इमारतों या छावनियों, सिविल स्टेशनों, शहरों, रेलवे, सार्वजनिक बागों अथवा सार्वजनिक आने-जाने के अन्य स्थानों, तालाबों को भर देने या सीधे बहाकर पानी ले जाने के साधन से दिया जाता हो, तो डिवीजनल अधिकारी नहर को प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति से विशेष दरों पर ठेका करने का अधिकार है।

१४—तातीलें—डिवीजनल अधिकारी नहर को अधिकार है कि प्रबन्ध तातील व मरम्मत और नहर के कायम रखने के प्रयोजन से किसी गूल को ऐसे समय के लिये बन्द रखने का आदेश दे; जो साधारणतः बारह दिन से अधिक न हो। नहर बेलदार पर यह समय १८ दिन लगातार तक हो सकता है लेकिन उससे अधिक न होना चाहिये। इससे अधिक समय के बन्द करने के हेतु अधीक्षण अभियन्ता नहर के आदेश की आवश्यकता होगी। इस नियम के अनुसार जो आदेश बन्दी के जारी किये जायें उनकी घोषणा निम्नलिखित रीति पर आवश्यक होगी :

(अ) डिवीजनल अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये इश्तहार द्वारा जिसकी एक-एक प्रतिलिपि नहर के कर्मचारियों के द्वारा शीघ्र से शीघ्र हो सके प्रत्येक सम्बन्धित गांवों में भेजकर लेखपाल अथवा उसके न होने की दशा में ग्राम प्रधान को दी जायगी। प्रत्येक व्यक्ति की रसीद जिसको इश्तहार प्रतिलिपि दी जावेगी एक सूची में दर्ज की जायगी, जो उस काम के लिये बनाई जायगी और डिवीजनल अधिकारी नहर के कार्यालय में रहेगी।

(ब) विशेष आदेशों की दशाओं में जो विशेष अवसरों पर जारी किये जावेंगे इस प्रकार के आदेश लिखित होंगे और उनपर डिवीजनल अधिकारी नहर के हस्ताक्षर होंगे। लेखपाल अथवा ग्राम प्रधान का जिसका कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है इश्तहार मिलने पर कर्तव्य होगा कि उसको शीघ्र गांव में किसी सार्वजनिक स्थान पर लटका दे। अथवा चिपका दे और उसका अर्थ साधारण रीति से व्यक्तियों को ज्ञात करा दे।

१५—ऐसी गूलों में जो उचित ढंग पर कायम न रक्खी जावें, पानी का बन्द किया जाना—धारा ३२ खण्ड-ख (२) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी गूल में पानी का दिया जाना उस समय बन्द किया जा सकता है जब कि वह अधिकारी नहर जो बन्दी का सुझाव करे स्वयं निरीक्षण के पश्चात् इस बात का सन्तोष करले कि गूल ऐसी उचित दशा में स्थित नहीं रक्खी गई जैसा कि उक्त धारा के खण्ड ख (२) का तात्पर्य है। ऐसी बन्दी का आदेश लिखित होगा और उस पर डिवीजनल अधिकारी नहर के हस्ताक्षर होंगे। यदि बन्दी की अवधि तीस दिन अथवा उससे अधिक होने की सम्भावना हो तो शीघ्र जिलाधीश को सूचना दी जायगी और बन्दी के विशेष कारणों का स्पष्टीकरण किया जावेगा।

१६—आवश्यक दशाओं में अधिकारी नहर का अधिकार—उपरोक्त नियम के किसी विषय से यह न समझा जायगा कि अधिकारी नहर को ऐसे अधिकारों के प्रयोग

में जाने से मनाही है, जो उसको इस बात के लिये प्राप्त है कि आवश्यक दशा में किसी गूल को अपने अधिकार से बन्द करदे या किसी स्थान में पानी जाने से रोक दे।

१७—पानी के रोक दिये जाने या न मिलने के कारण छूट के दावे—उक्त अधिनियम की धारा १२ खंड (ल) के अधीन आबपाशी कर (आबपाशी लगान) की छूट के दावे केवल उस दशा में स्वीकार किये जायेंगे जब यह बात सिद्ध हो जाय कि पानी के रोक दिये जाने अथवा न मिलने से वास्तव में हानि हुई। ऐसी हानि के सिद्ध हो जाने पर उचित कर उस नियम के अनुसार कम किया जा सकता है, जिसका आदेश नियम २८ में है; यदि कर लगाया जा चुका है तो कुल या कोई भाग उस धन का जो लागू किया गया हो, इस ढंग पर जैसा कि इसके पश्चात् आदेश है छोड़ा जा सकता है। ऐसी छूट के कुल दावे डिवीजनल अधिकारी नहर के यहां फसल के काटने से कम से कम १५ दिन पूर्व किये जाने चाहिये। डिवीजनल अधिकारी नहर को अधिकार है कि किसी दावे को स्वीकार अथवा अस्वीकार करें यदि दावा स्वीकार किया जायगा तो डिवीजनल अधिकारी नहर छूट देगा यदि कर वसूल हो चुका है तो वापसी का निर्देश देगा। आबपाशी कर के अतिरिक्त अन्य साधारण कर की छूट के हेतु जो नहर के पानी के प्रयोग के लिये भुगतान योग्य हो, केवल इस बात के सिद्ध हो जाने पर स्वीकार किये जायेंगे कि पानी के बन्द हो जाने के कारण से वास्तव में हानि हुई हो। ऐसी हानि के सिद्ध हो जाने पर डिवीजनल अधिकारी नहर कुल कर या उसका कोई भाग छोड़ सकता है।

१८—प्रतिकर—उक्त अधिनियम की धारा १२ खंड (ज) के अनुसार प्रतिकर दिलाने से पूर्व कलक्टर को आवश्यक होगा कि डिवीजनल अधिकारी नहर की लिखित सम्मति प्राप्त करें।

पानी का कर

१९—आबपाशी कर का लगाया जाना—आबपाशी कर डिवीजनल अधिकारी नहर लिखित क्षेत्र पर उन दरों के अनुसार जिनको स्थानीय आबपाशी कर की उन अनुसूचियों में दी गई हो जो इश्तहार के अनुसार प्रान्तीय सरकार धारा ७५ उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लागू हो, नियम २०-३१ निम्नलिखित निर्धारित करेंगे।

परन्तु जब प्रान्तीय सरकार इस आशय से कि पानी का विभाजन उचित ढंग से हो पानी के प्रयोग में मितव्ययता (किफायत) हो या इस आशय से कि सिंचाई के ढंग में शीघ्र उन्नति हो, पूर्ण सरकारी व्यय से निर्माण करदे तो अधिक कर चार आने प्रति एकड़ उन स्थान भूमियों पर जिनकी सिंचाई ऐसी गूलों से होती हो उस समय तक के लिए लगाया जा सकता है जब तक प्रान्तीय सरकार का व्यय निर्माण [illegible] प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त न हो जाय।

२०—पलेवा कर—जब किसी खेत में केवल पहला पानी या पलेवा दिया जावे और उसके बाद कोई जिन्स न बोई जाय तो सबसे कम दर सिंचाई (जो उस फसल के लिये नियत हो) बाग या मेंड़ जैसी दशा हो लागू की जायगी, यदि बाद में जिन्स बोई गई तो :

(अ) यदि जिन्स खरीफ है तो कर उस दर पर लगाया जायगा जो उस जिन्स के लिये नियत हो, चाहे बाद में सिंचाई की जाय या न की जाय।

(ख) यदि जिन्स रबी हो तो उच्च शीर्ष का कर केवल उसी दशा में लगाया जायेगा जब कि बीज के बाद फिर पानी दिया गया हो। ईख का सिंचाई के लिये साल १५ जनवरी से प्रारम्भ होता परन्तु किसी वर्ष यदि ऋतु ऐसी हो कि बिना हानि [illegible] सिंचाई रबी उस तारीख से पहले ईख के [illegible] सके तो डिवीजनल अधिकारी नहर को अधिकार होगा कि ऐसी आज्ञा लिखित दे, उस दशा में जो खेत सींचा जायेगा उस पर [illegible] का कर लगाया जायेगा और उसी फसल में उसकी गाव (पेराइश) होगी। जो खेत १५ जनवरी से पहले बिना ऐसी आज्ञा के सींचा जायगा उस पर निम्नांकित कर लगाया जायगा :

[१] यदि [illegible] पानी नहीं दिया गया है तो ईख का पूरा कर लगाया जायगा।

[२] यदि बाद को पानी दिया गया है तो ईख के पूरे कर के अतिरिक्त पहेवा रबी का कर भी लगाया जायगा, अधिक गुप्त शर्तों में जब कि रबी की [illegible] बचाने के हेतु [illegible] की आवश्यकता होती है, डिवीजनल अधिकारी नहर को इस बात का अधिकार होगा कि ईख के पूरे कर के अतिरिक्त लगानी कर जो पहेवा रबी के ही बराबर हो, लगावें।

२१—[illegible] को कर [illegible] लगाया जायगा—यदि खेत में मिली हुई जिन्स बोई जाय तो [illegible] कर उस जिन्स [illegible] दर पर लगाया जायगा, जिसका कर सबसे अधिक हो। यदि एक खेत के भिन्न भागों में भिन्न जिन्सें बोई जायं तो अधिक [illegible] कुल खेत पर सबसे अधिक [illegible] जिन्स के हिसाब से लगाया जायगा, अतिरिक्त [illegible] कि जिन्सों के मध्य विभेद साफ-साफ ऐसी मेड़ से किया गया हो, जिसकी चौड़ाई कम से कम [illegible] हो।

२२—[illegible] अरहर का कर—यदि अरहर किसी दूसरी जिन्स के साथ बोकर सींची जावे तो उस पर [illegible] जिन्स के नियम के अनुसार उस फसल की जिसमें उसकी सिंचाई हुई [illegible] कर [illegible]। जब के अरहर [illegible] बोई जावे और फसल [illegible] सिंचाई [illegible] ठीक की दर से कर [illegible]। [illegible] यदि उसकी सिंचाई [illegible] बराबर होगी, जो फसल रबी में की जाय तो उस पर [illegible] कर की दर उस अन्तर के बराबर होगी, जो [illegible] और कर रबी में (यदि कोई हो) होगा।

(घ) [illegible]—यदि [illegible] १५ मई के पश्चात् बोई जावें और ३० [illegible] से पहले [illegible] दी जावे तो सिंचाई के कागजों में यह शीर्षक [illegible] जिन्स के बजाय हरी खाद [illegible] जायेंगी और उस पर हरी खाद का जो कर सींच है वह लगाया जायेगा (IG O. No. 2974-B/XXIII-B/XXIII 64 (i) W/194 तारीख 25-9-57)।

(ङ) [illegible] खेतों का जिनमें धान की पौध बोई जावे—अगर किसी खेत में धान की पौध बोई जावे और उस खेत में धान दुबारा बोया जावे जो पूरी पर [illegible] या अगर कोई खेत का [illegible] धान दुबारा बोया जावे [illegible] धान के लिये [illegible] के कारण से बोया जावे और उसमें दुबारा [illegible] धान न बोया जावे तो उस खेत पर एक बार धान का कर सींच लगेगा। ऐसा नहीं होता कि पौध धान पर एक [illegible] दुबारा धान पर जो [illegible] कर [illegible] की बार कर लगे (. E. No. 5527-IW/II/17B-98W/IX तारीख 5-9-59)।

(च) कर सींच ऐसे खेतों का जिनमें जौ या मटर, बरसीम या रिजका इत्यादि के साथ बोई जावें और चारे के तौर पर काटी जावें। उसका कर सींच यही

होगा जो जिन्स चारे का है। परन्तु ऐसी दशा में कि वे दुबारा पर आवे और अनाज के तौर पर काटी जावे तो उन पर मिली हुई जिन्सों के तौर पर जिस जिन्स का कर सींच अधिक होगा, लगाया जावेगा (C. E. No. 3249-IW/II/178-98 W/9, तारीख 21-7-61)।

(ब) ईख का कर सींच और श्रेणी सारणी में स्थान— ईख और रबी दोनों का कर सींच बड़ा है। अगर यह प्रस्ताव ठीक नहीं है कि १५ जनवरी से पहले ईख में एक या दो अधिक पानी उस जिन्स रबी के साथ दिए जाने पर, जो गन्ने के साथ बोई जावे, गन्ने का पूरा महसूल रबी में लगाया जावे ऐसे सींचे हुए क्षेत्र पर उस जिन्स रबी का कर सींच रबी की जमाबन्दी में लगाया जावेगा। अगर ईख के साथ कोई रबी की जिन्स न बोई जावे और १५ जनवरी के पहले नई बोई हुई ईख का पलेवा किया जावे और पानी दिया जावे तो उस पर फसल रबी में अन्य जिन्स रबी का कर सींच लगाया जावेगा। प्रत्येक दशा में यह क्षेत्रफल जमाबन्दी और श्रेणी सारणी (Classified statement) रबी में सींचा हुआ क्षेत्र दिखाया जावेगा न कि खरीफ की अनुपूरक सारणी में। रबी की जमाबन्दियों में यह जिन्स रबी की जिन्स दिखाई जावेगी और कोष्ठ में (ईख) लिखी जावेगी। अगर ईख के साथ कोई भी रबी की जिन्स न बोई जावे तो कोष्ठ में केवल (ईख) लिखी जावेगी। श्रेणी सारणी के नक्शे हेतु अगर ईख के साथ रबी बोई जावे तो वह रबी लिखी जावेगी। और अगर रबी न बोई जावे तो कोष्ठ में (मटर) लिखा जावेगा। (C. E. No. 1807-I. W. 1/172 तारीख 5-5-53)।

२३—अगर ऐसे खेतों का जो दुबारा बोए जावें—(१) यदि सींची हुई जिन्स रबी या खरीफ ईख के अतिरिक्त किसी कारण से जो काश्तकार के वश में न हो मारी जाय और उस खेत की जुताई करके दूसरी जिन्स बोई जाय और उस दूसरी जिन्स की उसी मौसम में नहर से सिंचाई की जाय तो उस जिन्स पर कर लगाया जावेगा जो पक कर तैयार होगी।

(२) यदि सींची हुई रबी या खरीफ की कोई जिन्स ईख के अतिरिक्त किसी कारण से जो काश्तकार के वश में हो मारी जाय और उस खेत की जुताई करके दूसरी जिन्स बोई जावे और उस फसल में उसकी नहर से सिंचाई की जावे तो बोई हुई जिन्सों में से जिस जिन्स का कर अधिक होगा उस पर कर लगाया जायगा। फसल खरीफ में यदि नीची भूमि में जहाँ पर प्रायः वर्षा का पानी जमा होता हो कोई जिन्स बोई जावे और इस कारण से जिन्स नष्ट हो जाय तो जिन्स के नष्ट होने का कारण काश्तकार के वश में समझा जायगा।

(३) नई बोई हुई ईख जिसकी सिंचाई की गई हो और वह जमी न हो या वर्षा के पहले किसी भी कारण से नष्ट हो जाय तो ऐसी दशा में उस पर कर नहीं लगाया जायगा, परन्तु यदि उस खेत में दूसरी जिन्स बोई जाय और उसी फसल खरीफ में सिंचाई की जाय तो उस फसल में उस जिन्स पर जो पक कर तैयार होगी, कर लगाया जायगा।

(४) ईख की पेड़ी जिसकी सिंचाई हो चुकी हो और वर्षा से पहले किसी भी कारण से नष्ट हो कर जोत डाली जाय तो ऐसी दशा में उस पर आये कर की छूट दी जायगी और यदि उसी खेत में उसी फसल खरीफ में दूसरी जिन्स बोकर सींची जावे तो उस कर के अतिरिक्त जो कि लगाया जा चुका है दूसरी जिन्स पर भी कर लगाया जायगा।

(५) यदि सींची हुई नई बोई हुई ईख वर्षा आरम्भ होने के पश्चात् किसी कारण से जो काश्तकार के वश में न हो नष्ट हो जाय और उस खेत को जोत कर दूसरी जिन्स बोई जाय और उसी ऋतु खरीफ में सिंचाई की जाय तो ऐसी दशा में उस जिन्स पर जो पक कर तैयार होगी कर लगाया जायगा।

(६) सींची हुई नई बोई हुई ईख यदि वर्षा होने के बाद नीची भूमि में जहां पर प्रायः वर्षा का पानी जमा होता हो बोये जाने के कारण अथवा और किसी कारण से जो काश्तकार के वश में हो नष्ट हो जाय तो उस पर पूरा कर लगेगा यदि उसी खेत को जोत कर कोई दूसरी जिन्स बोई जावे और उसी फसल खरीफ में सिंचाई की जाय तो ऐसी दशा में दूसरी जिन्स पर कर नहीं लगेगा।

(७) वर्षा आरम्भ होने के बाद जो ईख की पेड़ी किसी भी कारण से नष्ट होगी उस पर कोई छूट नहीं दी जायगी। परन्तु यदि उस खेत में दूसरी जिन्स बोकर उसी फसल में सींची जावे तो ऐसी दशा में दूसरी जिन्स पर कर न लगेगा।

(८) यदि फसल रबी की जिन्स उन खेतों में बोई और सींची जावे जिनमें खरीफ की जिन्स काटी जा चुकी है और जिन पर खरीफ का कर इस अनुच्छेद के उपनियम ३, ४, ५, ६, ७ के अनुसार लगा दिया गया हो तो ऐसी दशा में कर फसल खरीफ या ईख के अतिरिक्त रबी की जिन्स का भी कर लगेगा।

२४—कर ऐसे खेतों का जिनकी अंशत: में (जिन्सवार) सिंचाई की गई हो—अगर किसी खेत का थोड़ा भाग सींचा जावे तो अतिरिक्त उस दशा के कि सींचा हुआ भाग ऐसी मेंड़ के द्वारा जो कम से कम छः इन्च ऊंची हो, साफ तौर पर अलग कर दिया गया हो, अधिकारिक कर कुल खेत पर लगाया जायगा। झांसी, हमीरपुर, जालौन और बांदा जिला के अतिरिक्त इन जिलों में वह क्षेत्र जो वास्तविक सींचा गया है नापा जायगा।

२५—कर ऐसे खेतों का जिनकी सींच कुछ नहर से, कुछ कुएं से या अन्य साधनों से की गई हो—जब किसी खेत का एक भाग नहर के पानी से और दूसरा भाग कुएं या किसी अन्य साधन से सींचा जावे तो कुल खेत पर अधिकारिक कर लगाया जायगा, उस दशा के अतिरिक्त कि उन दोनों भागों के मध्य में एक ऐसी हद जो स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सके ऐसी मेंड़ के द्वारा निश्चित कर दी गई हो जो कम से कम छः इन्च ऊंची हो। इस बात की जांच की जायगी कि कुओं या किसी दूसरे साधनों से पानी इस कारण से लिया गया है कि नहर के पानी मिलने में कमी हुई और यदि यह सिद्ध हो जाय तो खेत के उस भाग का कर जो कुएं या दूसरे साधनों से सींचा गया है नहरी पानी के कर दाम से अधिक न होगा।

२६—कुएं या किसी अन्य साधनों का पानी ले जाने के लिये नहर की गूलों का काम में लाना—यदि एक ही फसल में कुएं या किसी अन्य साधनों से उसी गूल में होकर पानी ले जाया जाय जिसमें नहर का पानी ले जाया गया हो तो उस फसल की कुल सिंचाई जो उस गूल से की गई हो नहर की सिंचाई समझी जावेगी।

२७—कर ऐसे पानी का जो बिना आज्ञा काम में लाया जाय या ऐसे समय में लिया जाय [illegible] योग्य अधिकारी ने मनाही कर दी हो, या ऐसे खेतों के हेतु लिया गया हो जिनकी सिंचाई की मनाही हो—जो व्यक्ति नहर के पानी को बिना आज्ञा [illegible] काम में लावे जबकि योग्य अधिकारी ने मनाही कर दी हो (पानी तातीलों के समय में) या ऐसे खेतों की सिंचाई के काम में लावे जिसमें नियम ७ के अनुसार नहर की सिंचाई मना कर दी गई हो, उसपर हर अलग और भिन्न-भिन्न अवसर पर

जबकि पानी उस प्रकार लिया गया हो साधारण कर सींच के अतिरिक्त एक कर दण्ड रूप में लगाया जायगा जो साधारण कर के बराबर होगा । परन्तु प्रत्येक ऐसी दशा में यदि डिवीजनल अधिकारी नहर उचित समझें तो उससे कम कर लगा सकते हैं परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने खेतों की सिंचाई के लिये जानबूझ कर नहर की पटरी को काटे या नहर में बन्द लगावे तो डिवीजनल अधिकारी नहर को अधिकार होगा कि प्रत्येक ऐसे स्थान पर तावानी कर भी सवया साधारण कर से दो गुना तक बढ़ा दें यदि पानी सिंचाई के काम में लाया गया हो तो उस क्षेत्र की जिसकी सिंचाई हुई हो माप की जावेगी और ऐसे प्रति स्थान पर सम्बन्धित व्यक्तियों को इस बात की सूचना शीघ्र ही दी जायगी कि उस क्षेत्र पर जो इस प्रकार से सींचा गया हो इस नियम के अनुसार कर जमाबन्दियों में लगाया जायगा ।

२८—कर ऐसी जिन्सों का जिनको कमी पानी नहर, बाढ़ आदि के कारणों से हानि पहुंची हो—जब किसी ऐसी जिन्स को जिसकी नहर के पानी से सिंचाई की गई हो बाद में पानी की कमी से या पानी के रोक दिये जाने से अथवा टिड्डी, ओला, वर्षा, बाढ़ या किसी अन्य बाधा से हानि पहुंचे और यदि डिवीजनल अधिकारी नहर के विचार में हानि किसान की असावधानी के कारण न हो या यदि जिन्स खरीफ की हो तो उसे इस कारण से क्षति न पहुंची हो कि वह ऐसी भूमि में बोई गई थी जिस पर वर्षा ऋतु में साधारणतया बाढ़ का पानी आ जाता हो तो ऐसी जिन्स के कर की दर साधारण कर का वह भाग होगी जो डिवीजनल अधिकारी नहर प्रान्तीय सरकार की सामान्य निर्देश के अनुसार जिलाधीश की सलाह से निर्धारित करे, जहां तक सम्भव है इस नियम के अनुसार कर की कमी उस समय से पूर्व की जायगी जबकि जमाबन्दियां जिलाधीश के कार्यालय को भेजी जायं उसके पश्चात जो छूट के दावे टिड्डी, ओले, बाढ़ या अन्य घटना से हानि पहुंचने के आधार पर किये जायं उन पर कार्यवाही इस ढंग से की जायगी जो नियम १७ में कमी या बन्दी पानी नहर के कारण से क्षति हो जाने पर बताया गया है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ईख की पेड़ी जो किसी भी कारण से वर्षा से पहले नष्ट होकर जोत डाली जाय उस पर आधे कर की छूट दी जायगी ।

२९—कर सिंचाई जो किसी स्रोत से की जाय—ऐसे स्रोत के नालों से सिंचाई जिनमें पानी सदैव मौजूद रहता है इन नियमों के अनुसार होगी जो सिंचाई नहर के लिये नियत हैं, यदि ऐसे स्रोत के नालों से सिंचाई की जाय जिनमें पानी लगातार मौजूद नहीं रहता है तो इस पर कर की दर नहरी सिंचाई की दर का आधा हो सकती है । जबकि निकाला हुआ पानी स्रोत के नाले से निकल जावे तो उससे सिंचाई करने पर कोई कर नहीं लगाया जायगा केवल उस दशा के जो नियम १० में बताई गई है ।

३०—सिंचाई कर जो पानी के निकास के नालों से की जाय—यदि किसी निकास के नाले में या ऐसे प्राकृतिक नाले में जिसे प्रान्तीय सरकार ने ठीक किया हो और जो धारा ५५ उक्त अधिनियम के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, इतना पर्याप्त पानी हो कि बिना बन्ध लगाये उससे सिंचाई की जा सके तो सब-डिवीजनल अधिकारी नहर ऐसी सिंचाई की बिना कर आज्ञा दे सकते हैं, इस प्रतिबन्ध पर कि नाले में किसी प्रकार की रोक न लगाई जाय और यदि कोई रोक लगाई जायगी तो न केवल पानी के काम में लाने का आदेश रद्द किया जायगा अपितु रोक लगाने वाले व्यक्तियों पर धारा ७० खण्ड १ से ३ उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग लगाया जायगा ।

जब डिवीजनल अधिकारी नहर की स्वीकृति के बिना, जिसकी नियमानुसार ११ आवश्यकता हो कोई व्यक्ति पास की गूल के द्वारा नहर का पानी किसी निकास के नाले में जिसे प्रान्तीय सरकार ने बनाया हो या जो सरकार के प्रबन्ध में है, ले जाय तो बिना इस ध्यान के कि पानी नष्ट हुआ हो या नहीं, ऐसे व्यक्ति पर धारा ७० खण्ड २ उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति नहर का पानी इसी ढंग से किसी प्राकृतिक निकास के नाले में ले जाय और उससे पानी नष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति पर धारा ७० खण्ड ४ उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग लगाया जा सकता है। जो सिंचाई ऊपर बताई गई है दोनों दशाओं में से किसी प्रकार की जावे उन पर साधारण सिंचाई का कर लगेगा और समस्त ऐसी सिंचाई यथासम्भव बन्द करनी चाहिये।

३१—कर जो जाय—यदि नहर का पानी नष्ट होने दिया जाय और अकृषनीय क्षेत्र में फैल जाय तो इसी क्षेत्र पर कर सींच उच्च श्रेणी अधिभारक कर के अनुसार जो प्रचलित हो लगाया जायगा। यदि उस क्षेत्र में पानी की गहराई ६ इंच से अधिक होगी तो कर की दर दुगुनी होगी, और यदि पानी की गहराई १ फुट से अधिक होगी तो कर की दर तिगुनी होगी। यदि पानी कृषिनीय क्षेत्र में नष्ट होगा तो उसी पर कर की दर उससे दुगुनी होगी, जो उस भूमि में बोई हुई जिन्स के लिये नियत हो। इस प्रतिबन्ध पर कि प्रत्येक दशा में यदि डिवीजनल अधिकारी उचित समझे तो कम दर पर कर सींच लगावें।

बन्धियों के नियम

(अ) नहर का पानी जो मिर्जापुर कैनाल डिवीजन की बन्धियों में लिया जावे और उससे सिंचाई की जावे, उस पर कर लगाने के नियम—

नम्बर नं० १—यदि नहर का पानी किसी बन्धी में ३१ अक्तूबर के पश्चात् और १ मई के पूर्व इच्छा पूर्वक या अनिच्छा से भरने दिया गया हो तो समस्त रबी व खरीफ की सिंचाई पर जो उस बन्धी के पानी से अगली वर्षा होने तक की जावे, कर लगाया जायगा।

, खरीफ की सिंचाई पर जो अगली वर्षा होने के पश्चात् की गई हो कोई कर नहीं लगाया जायगा। अतिरिक्त उस दशा के कि जब बन्धी में पानी ३० अप्रैल के बाद लिया गया हो।

नम्बर नं० २—यदि किसी बन्धी में नहर का पानी ३० अप्रैल के पश्चात् और १ सितम्बर के पूर्व इच्छा या अनिच्छा से भरने दिया जाता है तो समस्त खरीफ की सिंचाई पर जो उस बन्धी से की जावे कर लगाया जावेगा यदि नहर का पानी किसी बन्धी में सितम्बर या अक्तूबर में लिया गया है तो समस्त रबी व खरीफ पर जिसकी सिंचाई उस बन्धी से की गई हो और उस रबी पर जो बन्धी के पानी से डूबी हुई भूमि पर बोई गई हो कर लगाया जायगा।

नम्बर नं० ३—बन्धी में भरे हुए पानी की मात्रा यदि थोड़ी है और सरलता से उसकी नाप हो सकती है, सम्बन्धित भूमिधर या कृषक बन्धी में पानी भरने के पश्चात् १५ दिवस के अन्दर एक लिखा हुआ प्रार्थना-पत्र सब-डिवीजनल अधिकारी को दे सकता है कि पानी का कर सींचे हुये क्षेत्र के बदले में पानी की मात्रा पर लगाया जावे, यह प्रार्थना-पत्र

स्वीकार किया जायगा और पानी का कर उस दर से लिया जायगा जो (आई० एम० ओ०) के परिशिष्ट नं० ४ में पानी की मात्रा के लिये नियत है, प्रतिबन्ध यह कि नाप होने के पूर्व कोई सिंचाई न की गई हो और यह भी कि पानी की मात्रा की नाप होने के पश्चात् उस बन्धी में पानी फिर न आने पावे। द्वितीय समस्त दशाओं में बन्धी में भरे हुये पानी की मात्रा पर कर नहीं लगाया जायगा, अपितु सींचे हुये क्षेत्रफल पर खण्ड नं० १ व २ के अनुसार कर लगाया जायेगा।

खण्ड नं० ४—सब-डिवीजनल अधिकारी नहर किसी मुख्य बन्धी को सिंचाई कर से मुक्त कर सकते हैं, यदि उनकी राय में बन्धी में सम्बन्धित फसल में इतना पानी पर्याप्त है कि बिना सहायता नहरी पानी के भी उतने भूक्षेत्र सींचा जा सकता हो या कि पानी नहरी की मात्रा इतनी कम थी कि उस कारण से बन्धी के पानी से सींचे हुये क्षेत्र में कोई अधिकता प्रकट नहीं हुई।

खण्ड नं० ५—नियम नं० ४५ अधिनियम नहर के अधीन केवल उस दशा में प्रयोग में लाया जायेगा जबकि उपरोक्त नियम में से कोई नियम न लगेगा।

खण्ड नं० ६—जब पटरौल किसी बन्धी की नहर के पानी से भरी या भरती हुई देखे तो बन्धी के पानी से डूबे हुये क्षेत्र को तत्पश्चात् शीघ्र ही अंकित करे और नहर का पानी लिये जाने की ठीक-ठीक तारीख यदि ज्ञात हो अथवा अनुमान से नोट करना। अमीनों को पानी गई के पश्चात् बन्धियों की भराई की पड़ताल पर मुख्य तौर पर ध्यान देना चाहिये और अधिकारियों का भी उसकी दोहरी जांच करना चाहिये। जो उस काम के लिये नियत हैं। और नहर का पानी लिये जाने की सूचना रवादी रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड द्वारा सम्बन्धित स्वामी को देनी चाहिये, यदि किसी कारणवश वह नोटिस बिना पूर्ति के वापस आवे तो उसे लेख पत्र या ग्राम प्रधान को देकर उसकी रसीद लेनी चाहिये। पटरौल को तालाब भरने के सम्बन्ध में रिपोर्ट की प्रतिलिपि सब-डिवीजनल अधिकारी को भी सीधे भेजना चाहिये और सब-डिवीजनल अधिकारी को अपने कार्यालय के रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करना चाहिये।

खण्ड नं० ७—यदि बन्धी का स्वामी बन्धी के नहर से भरे जाने के विषय में प्रविष्टि की शुद्धता का विवाद करना चाहे तो उसको उचित होगा कि वह सब-डिवीजनल अधिकारी नहर या जिलेदार नहर के पास उस तारीख से १५ दिवस के अन्दर अनुरोध करे जब उसको या ग्राम प्रधान को या लेखपाल को वह नोटिस मिला हो, जिसका वर्णन उपरोक्त खण्ड नं० ६ में है।

खण्ड नं० ८—बन्धी के भरे जाने पर बन्धी का स्वामी नहर का पानी बन्द कर देगा, अतिरिक्त उस दशा के जबकि जोतें की बन्धी या बन्धियों के लिये आवश्यक हो, यदि नहर का पानी नष्ट होने दिया जायगा तो बन्धी के स्वामी पर (आई० एम० ओ०) के परिच्छेद नं० १५३ के नियम ११ के अनुसार कर लगाया जा सकता है, यदि नहर का पानी एक बन्धी से निकल कर दूसरी बन्धी में प्रविष्ट होता है और जिसके स्वामी का उसे भरने का कोई विचार नहीं था तो वह पानी जिसका उस बन्धी का स्वामी बिना पानी बह कर चला गया है अपने काम में न लाये आवश्यक तौर पर समझा जायेगा।

१२—तालाब और पाक्स पर की दरें सारा—उपरोक्त विनियम के धारा १६ आवश्यकता हेतु माने जाते हैं जिनका आवश्यक उल्लेख आवश्यक :

(क) प्रत्येक पानी का अभाव (सिवाय सीर को भूमि जोतने वाले असामी के) की लगान में अपेक्षा के अधिक हो।

(ख) जिस दशा में कि भूमि सीर के स्वामी ने भूमि को लगान पर उठा दिया हो या जब कि सीर के अतिरिक्त अन्य भूमि के असामी ने उसको शिकमी खेती पर दे दिया हो तो वह स्वामी या असामी और वह व्यक्ति जो वास्तव में अधिकारी अधिवारक हो ऐसी दशाओं में जिनका उल्लेख उप-धारा (क) में किया गया है स्वामी या असामी और वह व्यक्ति जो वास्तव में अधिकारी अधिवारक ही पृथक् पृथक् और सब मिलकर अधिवारक कर के भुगतान के अधिकारी होंगे।

धान के चकों के नियम

(ग) हेडवर्क्स कैनाल्स डिवीजन और दरौलिया डेवलपमेंट डिवीजन (यू०पी०) के विकास कैनाल्स पर चकबन्दी के ढंग से धान की सिंचाई के प्रबन्ध और आय के नियम।

परिभाषा

१—अधीक्षक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और उप-डिवीजनल अधिकारी सम्बन्धित नहर के अधीक्षक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और उप-डिवीजनल अधिकारी से आशय है।

२—नहर अधिकारी से तात्पर्य वह नहर अधिकारी है जिसकी परिभाषा उत्तरी भारत की नहरों और पानी के निकास के अधिनियम ऐक्ट नं० ८ सन् १८७३ में की गई है।

३—कुलाबे के चक से उस क्षेत्र से तात्पर्य है, जो उस कुलाबे पर सिंचाई के लिए निर्धारित किया गया है।

४—जिड़ुआ धान या अगौता धान वह है, जो बखेर कर बोया गया हो और १५ जून से पहले बोया गया हो।

५—रोपुआ या पछाया धान वह है, जो बरेह कर बोया गया हो और १५ जून के पश्चात् बोया गया हो।

६—नहर का पानी उस पानी का नाम है जो सीधे या अन्य साधन से ऐसी नहर से या सोते से लिया जावे, जिसकी प्रान्तीय सरकार देख-भाल (मरम्मत) करती है।

७—अधिवारक उस व्यक्ति से आशय है, जो उत्तरी भारत की नहरों और पानी की निकास के अधिनियम के अधीन कर सींच के भुगतान का अधिकारी हो।

नियम

१—यदि नहर का पानी किसी चक में १५ जून और १५ अक्तूबर के मध्य रोपुआ धान की सिंचाई के लिये लिया जावे तो उस चक में धान के समस्त क्षेत्र पर जो नहर का पानी फेरे के दिन तक काटा न गया हो या उस दिन के पश्चात् उस चक में उपर्युक्त समय के अन्दर बोया गया हो सिंचाई कर धान निर्धारित दर से लगाया जायगा, अतिरिक्त उस दशा के कि जब धान के किसी चक में नहर का पानी उस कुलाबे से जो उस चक में पानी देता है, स्वयं आ कर नहीं जा सकता तो वह क्षेत्र कर से मुक्त होगा, जब तक कि यह प्रमाणित न हो कि नहर का पानी उस क्षेत्र में नाली बना कर लिया गया है।

२—यदि सम्बन्धित अधिकारक किसी काम के लिये चक में १५ जून और १५ अक्तूबर के मध्य नहर का पानी नहीं लेना चाहते तो वह निम्नलिखित ढंग अपनायें।

(अ) वे स्थित अधिशासी अभियन्ता या सब-डिवीजनल अधिकारी को लिखित व रजिस्टरी डाक द्वारा सूचना दें कि वे नहर का पानी १५ जून व अक्तूबर के मध्य किसी काम के लिये नहीं लेना चाहते। यह नोटिस ऐसे समय में भेजना आवश्यक है कि वह सम्बन्धित अधिकारी के पास ७ जून तक पहुंच जाय और उसमें निम्नांकित विवरण अंकित होंगे। गांव का नाम, नहर का नाम और नम्बर व स्थान कुलाबा मील, फर्लांग आदि।

(ब) वे १५ जून के पूर्व कुलाबे को नहर की पटरी के बाहर एक ऐसे बांध के द्वारा बन्द करेंगे जो सिरे पर कम से कम ३ फीट चौड़ा और नहर की पूरी पंसाल से २ फुट ऊंचा हो और बांध से मिली हुई गूल को दस फुट लम्बाई तक मिटा दें।

(स) सिंचाई की अवधि के मध्य किसी समय किसी अधिकारी नहर के यहां से ऐसा नोटिस मिलने पर जिसमें बांध आदि के जिससे कुलाबा बन्द किया गया है त्रुटि बतलाई गई हो, (सात दिन के अन्दर उन त्रुटियों को ठीक करेंगे।

(द) १५ जून से १५ अक्तूबर तक व स्थित बांध की सुरक्षा के जिम्मेदार होंगे।

३—यदि सम्बन्धित कृषक किसी चक में नहर का पानी रेतुवा धान की सिंचाई के लिए नहीं लेना चाहते किन्तु ईख या रेतुवा धान के अतिरिक्त और जिन्सों के लिए १५ जून और १५ अक्तूबर के मध्य नहर का पानी लेना चाहते हैं तो वे निम्नलिखित ढंग अपनायेंगे :

(अ) वे एक लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा अधिशासी अभियन्ता या सब-डिवीजनल अधिकारी को यह सूचित करते हुये भेजेंगे कि वे चक में १५ जून और १५ अक्तूबर के मध्य नहर का पानी रेतुवा धान के अतिरिक्त किसी जिन्स की सिंचाई के लिए लेना चाहते हैं, किन्तु रेतुवा धान के लिए नहर का पानी नहीं लेना चाहते, यह नोटिस अवश्य ऐसे समय से दिया जावेगा कि अधिकारी के पास जिसको भेजी जा रही है ७ जून के पूर्व पहुंच जाय और उसमें वह सब विवरण अंकित होंगे जो नियम नम्बर (२) (अ) में बताई गई हैं और (ब) वे १५ जून के पूर्व रेतुवा धान के क्षेत्र में जाने वाली गूलों में बन्ध बनायेंगे और समस्त आवश्यक बन्ध और नालियां बनावेंगे और नहर का पानी रेतुवा धान के क्षेत्र में अथवा सीधे या उन खेतों से होकर जो सींचे जा रहे हैं पहुंचने से रोकने के लिए समस्त आवश्यक प्रबन्ध करेंगे।

(स) इन सिंचाई के दिनों के मध्य किसी समय नहर अधिकारी के पास ऐसी नोटिस मिलने पर जिसमें बन्धों, नालियों या अन्य कार्यों में जो उनके क्षेत्र में पानी पहुंचाने से रोकने के लिए बने हों, त्रुटि बतलाई गई हो, उन त्रुटियों को सात दिन के अन्दर ठीक करेंगे।

(द) वे १५ जून से १५ अक्तूबर तक इस प्रकार समस्त बन्ध और नालियों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।

४—यदि सम्बन्धित अधिकारक किसी कुलावे के सम्बन्ध में यह ढंग नहीं अपनाते जो नियम २ व ३ में बताया गया है तो यह माना जायगा कि कुलाबा १५ जून या अक्तूबर के मध्य खुला रहा है और पानी रेतुवा धान की सिंचाई के लिए चक में आता रहा।

५—यदि किसी कुलाबे के चक में २ या अधिक ग्राम या उनके भाग सम्मिलित हों तो इन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम या ग्राम का भाग विशेष चक के अन्दर एक पृथक् चक समझा जायगा और प्रत्येक गांव के अधिकारक को यह अनिवार्य होगा कि नियम २ या ३ के अनुसार अलग अलग कार्यवाही करें यदि कुलाबा नियम ३ के अनुसार बन्द नहीं किया गया है तो उस चक में किसी ग्राम के अधिकारकों को रेतुआ धान के लिये पानी नहीं लेना चाहिये यह अनिवार्य होगा कि नहर का पानी अपने रेतुआ धान के खेत में सीधे या ऐसे खेत से होकर जिसमें नहर का पानी लिया जा रहा हो, पहुंचने से रोकने के लिए समस्त आवश्यक प्रबन्ध करें, यदि वे यह प्रबन्ध नहीं करेंगे तो रेतुआ धान का क्षेत्र कर सींच का देनदार होगा।

६—कभी ऐसा होता है कि नहर का पानी किसी चक के धान के क्षेत्र में जिस का निश्चित कुलाबा नियम (२) या (३) के अनुसार बन्द कर दिया गया है पास के क्षेत्र से जिसमें नहर का पानी लिया जा रहा हो पहुंच सकता है ऐसी दशा में उस चक के धान के क्षेत्र पर जिसका कुलाबा बन्द कर दिया गया है कोई कर सींच नहीं लगाया जायगा, किन्तु नहर अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस चक तक नहर का पानी पहुंचने से रोकने के लिए वह कार्यवाही करें जो उचित प्रतीत हो।

७—यदि अधिकारक जो नियम (२) या (३) के अधीन कार्यवाही कर चुके हैं, बाद को सम्बन्धित चक में नहर का पानी रेतुआ धान की सिंचाई हेतु लेना चाहें तो वे एक रजिस्टरी शुदा नोटिस अधिशासी अभियन्ता या सबडिवीजनल अभियन्ता को भेजेंगे और उसमें कम से कम ७ दिन पूर्व अपनी पानी लेने की इच्छा की सूचना देंगे यदि अधिशासी अभियन्ता या सब-डिवीजनल अधिकारी के विचार में पानी जो सम्बन्धित नहर में प्राप्त है वह इतना पर्याप्त नहीं है कि उनके क्षेत्र को जो पहले से पानी ले रहे हैं पानी देने के पश्चात् उनके क्षेत्र के लिए पानी दे सके तो वह पानी लेने की आज्ञा से इनकार कर सकता है और अधिकारकों को इस की सूचना देगा यदि अधिकारकों को इनकार की सूचना नहीं मिलती है तो वे नोटिस भेजने की तारीख से ७ दिन पश्चात् धान के क्षेत्र में पानी ले सकते हैं, इसके पश्चात् उस चक में तमाम क्षेत्र धान पर नियम (१) के अनुसार प्रचलित दर पर कर सींच लगाया जायगा।

८—जिस क्षेत्र की सिंचाई नहर की टेल गूल से होती हो उसके अधिकारक यदि नहर का पानी रेतुआ धान की सिंचाई के लिए नहीं लेना चाहते तो वे नियम (२) या नियम (३) के अनुसार कार्यवाही करेंगे। नहर अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि नहर की टेल पर या उसके समीप एक स्केप स्थित हो जो टेल पर पहुंचा हुआ समस्त फालतू पानी ले सकता है। यदि ऐसा स्केप स्थित नहीं है और नहर का पानी टेल पर से धान के क्षेत्र में सम्बन्धित अधिकारकों की पानी रोकने के उचित प्रयत्न के पश्चात् भी पहुंच जाता है तो उस क्षेत्र पर सिंचाई कर नहीं लगाया जा सकता है।

९—यदि अधिकारी नहर को यह ज्ञात होता है कि नहर का पानी रेतुआ धान के उस रकबे में लिया गया है या लिया जा रहा है जिसके सम्बन्धित अधिकारकों ने नियम (२) या नियम (३) के अधीन कार्यवाही की है। परन्तु नियम (७) के अनुसार रजिस्ट्री शुदा नोटिस नहीं भेजा है या जिसके सम्बन्ध में उन्होंने नियम ७ के अनुसार रजिस्ट्री शुदा नोटिस भेजा है लेकिन नहर का पानी लेने की आज्ञा नहीं दी गई है तो वह कुछ अधिकारकों का ध्यान आकृष्ट करायेगा कि नहर का पानी लिया जा रहा है या लिया गया है और उनसे इस बात की एक लिखित रसीद प्राप्त करेगा, और वे कोई बयान देना चाहें तो उसे अंकित करेगा। यदि अधिकारक उक्त रसीद देने से इनकार करें तो नहर अधिकारी इस बात का लिखित प्रमाण जिला सम्बन्धित गवाहों

से प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। यदि नहर अधिकारी पतरौल, अमीन या मातहत है तो वह शीघ्र ही इसकी सूचना जिलेदार को देगा और जिलेदार बिना विलम्ब और अधिक से अधिक १५ दिन के अन्दर इस घटना की जांच मौके पर करेगा। और सब डिवीजनल अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।

यदि नहर अधिकारी एक जिलेदार है तो सीधे सब-डिवीजनल अधिकारी को और यदि नहर अधिकारी सब-डिवीजनल अधिकारी है, तो सीधे अधिशासी अभियन्ता को इस बात की रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट में सम्पूर्ण विवरण और वह बयानात जो अधिकारकों ने दिये हों, अंकित होंगे।

अधिशासी अभियन्ता इस बात का निर्णय कि उक्त क्षेत्र पर कर-सींच लगाना चाहिये, रिपोर्ट की वास्तविकता पर करेगा और नियम पर चलेगा। यदि अधिकारकों का दोष नहीं है, और वह क्षेत्र में नहर का पानी पहुंचाने से रोकने की शीघ्र कार्यवाही करते हैं तो कोई कर-सींच नहीं लगाया जायगा।

यदि जांच से यह सिद्ध होता है कि अधिकारक नियम ७ के अधीन बिना नोटिस दिये हुए इस नियम के अनुसार पानी मिलने की आज्ञा न मिलने पर भी पानी ले रहे हैं तो अधिशासी अभियन्ता उस क्षेत्र पर साधारण दर का दो गुना तक कर-सींच ले सकते हैं।

१०—अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित अधिकारकों के प्रार्थना-पत्र पर या स्वयं अपनी ओर से किसी चक को दो या अधिक छोटे चकों में जिनको (सब-चक) कहते हैं, इस प्रतिबन्ध पर विभाजित कर सकते हैं कि ऐसे प्रत्येक (सब-चक) की प्रत्यक्ष सीमा होगी और ऐसा प्रबन्ध होगा कि नहर का पानी जब एक (सब-चक) में लिया जा रहा हो तो दूसरे सब-चक में जाने से रोका जा सकता है। प्रत्येक सब-चक सब पृथक्-पृथक् समझा जावेगा और नियम (५) इस प्रकार लागू होगा मानो प्रत्येक सब-चक एक अलग ग्राम है।

११—पर्यवेक्षण अभियन्ता यदि उचित समझे तो किसी साल में यह आज्ञा दे सकता है कि किसी नहर या नहरों के समूह पर कोई विशेष रूप कर धान सिंचाई कर से मुक्त कर दिया जाये यदि नहर का पानी किसी निर्धारित तारीख के पश्चात् लिया जावे जो १५ सितम्बर से पूर्व हो।

१२—उन विषयों के सम्बन्ध में जिनका उल्लेख इन नियमों में आई है समस्त परिवाद (शिकायतें) अधिशासी अभियन्ता या सब-डिवीजनल अधिकारी के पास भेजना चाहिये और उनकी जांच उचित ढंग से नहर के अधिनियम के अन्तर्गत साधारण रीति के अनुसार की जायेगी।

१३—<u>सिंचाई कर के दरों की अनुसूची—गांव वालों की जानकारी के लिये मौजूद होनी चाहिए</u>—प्रत्येक ऐसे मौजा के लिये जिस गांव में नहर का सिंचाई होती हो डिवीजनल अधिकारी नहर एक अनुसूची हिन्दी में या जिले की लिपि प्रचलित भाषा में देंगे जिसमें हर प्रकार की पैदावार की सिंचाई कर की दर उस गांव के साधारण नाम (पानी दीया देती) के और नहर विभाग की नाप के अनुसार (सीधा नहरी) के अंकित होगी। यह दर की सूची ग्राम की चौपाल में या अन्य सार्वजनिक स्थान पर लटका दी जायगी।

३४—मालिकाना कर का लगाया जाना—डिवीजनल अधिकारी नहर उन सब सींचे हुए खेतों पर जिन पर गत बन्दोबस्त में बाकी दर नियत की गई है मालिकाना कर उन नियमों के अनुसार और उस दर से नियत करेगा जो कि प्रांतीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा ७५ के अनुसार घोषित किया हो।

३५—रकम जो मालिकाना-कर नियत करने के समय निकाल दिये जायेंगे—मालिकाना कर लगाने के लिये नीचे लिखे हुये रकम का कोई भाग अविचारक कर में शामिल नहीं किया जायगा :—

(अ) कोई अधिक कर जो नियम १९ खंड २ या नियम २५ के अधीन लगाया गया हो।

(ब) कोई कर जो अकृषनीय भूमि पर लगाया गया हो या यदि कृषित भूमि पर नियम नं० ३१ के अनुसार सिंचाई कर लगाया गया हो तो उस कर का वह भाग जो साधारण कर से अधिक हो।

(स) कोई सिंचाई कर जो नियम १२ या नियम नं० २९ खण्ड २ के अनुसार लगाया गया हो।

३६—मालिकाना कर के निर्धारण के विरुद्ध अपील—मालिकाना कर के निर्धारण के विरुद्ध अपीलों के सम्बन्ध में नीचे लिखे हुये नियमों का पालन आवश्यक होगा :—

(१) मालिकाना कर के विरुद्ध जो नहर अधिकारी ने नियत किया हो अपील जिलाधीश के पास होगी। इस प्रतिबन्ध पर कि अपील उस तारीख से ३० दिन के अन्दर पेश की जाय।

(२) जब एक व्यक्ति पर तीन सौ रुपया से अधिक कर नियत किया गया हो तो जिलाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील कमिश्नर के पास होगी, इस प्रतिबन्ध पर कि अपील उस आदेश की तारीख से जिसके विरुद्ध अपील हो तीस दिन के अन्दर पेश किया जाय यदि नियत की हुई धनराशि तीन सौ रुपया से कम हो तो प्रार्थना-पत्र देने पर जिलाधीश किसी ऐसे आदेश पर जो उसने पूर्व दिया हो दोबारा विचार कर सकता है।

(३) इस समय का हिसाब करने के लिये जो उन नियमों में अपील के लिये नियत किया गया है वह दिन जब कि नियत कर की सूचना मिली हो या वह दिन जब कि आदेश जिसके विरुद्ध अपील की सुनाया गया हो और वह समय जो उस आदेश की प्रतिलिपि मिलने के लिये आवश्यक हो निकाल दिया जायेगा।

(४) कारण जिनके आधार पर अपील की जा सकती हैं, निम्नांकित होंगे:—

[१] यह कि किसी खेत या उसके किसी भाग पर कर नहीं लगाना चाहिये अर्थात् गत बन्दोबस्त में उस पर सिंचित भूमि की दर निर्धारित हो चुकी है।

[२] यह कि कर जो लगाया गया है वह अविचारक कर के एक तिहाई से अधिक है।

[३] यह कि कर उस धन से अधिक है जो निर्धारित मालगुजारी की प्रचलित विधि के अनुसार उक्त भूमि पर इस कारण से लगाया जा सकता है कि सिंचाई के कारण से उसके वार्षिक कर या उपज में लाभ हुआ है।

[४] यह कि अपीलांट निर्धारित कर का जुम्मेदार नहीं है।

३७—तहसीलदारों को माप की सूचना देनी चाहिये । जिन तारीखों में लेखपालों को नियम नं० ५२ के अनुसार अन्तिम माप में सहयोग देने के लिए गांव में उपस्थित होना पड़ेगा उसकी सूचना दस दिन पूर्व तहसीलदारों को दी जायगी ।

३८—तहसीलदार लेखपालों की उपस्थिति के जिम्मेदार होंगे। सूचना पाने पर तहसीलदार इस बात के जिम्मेदार होंगे कि लेखपाल जिस समय उनकी आवश्यकता हो, उपस्थित रहें ।

३९—खतौनी या माप सूची की तैयारी—किसी गांव की माप समाप्त होने पर अमीन को आवश्यक होगा कि वहां से जाने से पूर्व खसरा से एक खतौनी तैयार करे जिसमें प्रत्येक कृषक से संबंधित समस्त प्रविष्टि एक जगह करके योग लगा दिया जायगा। उसी समय लेखपाल खतौनी की एक प्रतिलिपि उन फार्मों पर जो नहर अधिकारी देगा प्रचलित भाषा में लिखी हुई तैयार करेगा और उस पर अमीन के हस्ताक्षर होंगे ।

४०—खतौनी कृषक देख सकते हैं । लेखपाल इस बात का जिम्मेदार है कि खतौनी की प्रतिलिपि, जो उसके पास है, प्रत्येक व्यक्ति, जो सिंचाई-कर देता है, हर समय देख सकेगा ।

४१—पर्चों का वितरण—प्रत्येक कृषक को एक पर्चा दिया जायगा, जिसमें उस कर-सीव का विवरण अंकित होगा जो उसके ऊपर वधित है । सिंचाई की अन्तिम माप के लिए किसी गांव में पहुंचने पर अमीन ग्राम प्रधान या उसके प्रतिनिधि को उस तारीख की सूचना देगा, जिसमें पर्चे वितरण किये जायेंगे और उसके साथ ही इस बात का लिखित इश्तहार गांव की चौपाल में लगा देगा । ग्राम प्रधान कृषकों को निर्देश देगा कि उपस्थित होकर पर्चे अमीन से ले लें जो पर्चे वितरण होने से शेष रह जायेंगे वह गांव के ग्राम प्रधान को या उसके न होने की दशा में लेखपाल को इस आशय से दे दिये जायें कि वह उन कृषकों को दें, जिनका उनसे सम्बन्ध हो। अमीन हर पर्चे पर वितरण की तारीख अंकित कर देगा और यदि पर्चा कृषक के अतिरिक्त किसी अन्य को दे दिया जाय तो अमीन यह भी अंकित करेगा कि किसे दिया गया ।

४२—जमाबन्दियों के भेजने की तारीखें—डिवीजनल अधिकारी नहर जमाबन्दियां सम्बन्धित तहसीलदारों को भेज देंगे और साथ ही जिलाधीश को जमाबन्दियों के भेजने की तारीख और प्रत्येक ग्राम के कुल धनराशि की सूचना देंगे जमाबन्दियों के हर बस्ते के साथ, जो तहसील को भेजा जायगा, दो प्रतिलिपि कारन्ट की होंगी—एक प्रतिलिपि तहसीलदार स्वयं रक्खेगा और दूसरी को उस पर नम्बरदारों के हस्ताक्षर कराने के पश्चात् जिलाधीश के पास भेज देगा डिवीजन के कार्यालय से जमाबन्दियां लगभग ३ दिन पूर्व भेजी जायेंगी, जो निम्नांकित हैं—

कमिश्नरी	जिला	खरीफ	रबी
मेरठ	देहरादून	१५ नवम्बर	१ मई
	सहारनपुर	१५ नवम्बर	१ मई
	मुजफ्फरनगर	१५ नवम्बर	१ मई
	मेरठ	१ नवम्बर	१ मई
	बुलन्दशहर	१ नवम्बर	१ मई
आगरा	अलीगढ़	१ नवम्बर	१ मई
	मथुरा	१५ नवम्बर	१ मई

कमिश्नरी	जिला	खरीफ	रबी
	आगरा	१ नवम्बर	१ मई
	मैनपुरी	१ नवम्बर	१ मई
	एटा	* { १ नवम्बर १५ नवम्बर	 १ मई
रुहेलखंड	बरेली	* { १ दिसम्बर १५ नवम्बर	१ मई १ मई
	बिजनौर	* १ दिसम्बर	१ मई
	पीलीभीत	१ दिसम्बर	१ मई
	शाहजहांपुर	१ दिसम्बर	१ मई
	मुरादाबाद	* १५ नवम्बर १ दिसम्बर	१ मई
	बदायूं	*१ दिसम्बर	*१ मई
लखनऊ	हरदोई	१ दिसम्बर	१ मई
	सीतापुर	१ दिसम्बर	१ मई
	रायबरेली	१ दिसम्बर	१ मई
	लखनऊ	१ दिसम्बर	१ मई
	उन्नाव	१ दिसम्बर	१ मई
	खीरी	१ दिसम्बर	१ मई
फैजाबाद	बाराबंकी	१ दिसम्बर	१ मई
	फैजाबाद	*१ दिसम्बर	*१ मई
	प्रतापगढ़	१ दिसम्बर	१ मई
	सुल्तानपुर	१ दिसम्बर	१ मई
इलाहाबाद	फर्रुखाबाद	१ दिसम्बर	१ मई
	इटावा	१ दिसम्बर	१ मई
	कानपुर	१ दिसम्बर	१ मई
	फतेहपुर	१ दिसम्बर	१५ अप्रैल
	इलाहाबाद	१ दिसम्बर	१५ अप्रैल
झांसी	झांसी	१५ अक्टूबर	१५ अप्रैल
	जालौन	१५ अक्टूबर	१५ अप्रैल
	हमीरपुर	१५ अक्टूबर	१५ अप्रैल
	बांदा	१ दिसम्बर	१५ अप्रैल
	मिर्जापुर	१ दिसम्बर	१५ अप्रैल
बनारस	बनारस	१ दिसम्बर	१५ अप्रैल
कुमायूं	नैनीताल	१ दिसम्बर	१ मई

*यह तारीखें केवल नलकूपों के लिये नियत हैं।

नोट—सिंचाई-कर डिवीजनल अधिकारी नहर लगायेगा और जिलाधीश के द्वारा वसूल किया जायगा।

४३—अतिरिक्त कर की वसूली—जिलाधीश को अनिवार्य है कि वह सिंचाई-कर वसूल करे, जो डिवीजनल अधिकारी नहर ने लगाया हो।

४४—खसरा प्रविष्टि के सम्बन्ध में परिवाद (शिकायतें)—यदि कोई कृषक उन खेतों की शुद्धि के सम्बन्ध में परिवाद करना चाहता हो जो उसके नाम जमाबन्दी में अंकित हो चाहे भूमि की सिंचाई के सम्बन्ध में या उनके तोड़बाल के या माप या कर की दर या जिन्स के सम्बन्ध में हो तो उसको अनिवार्य है कि अपना परिवाद नीचे लिखे हुये अधिकारियों में से किसी के पास पेश करे:—

डिवीजनल अधिकारी नहर, डिप्टी रेवेन्यू अधिकारी नहर, सब-डिवीजनल अधिकारी नहर, जिलेदार नहर। यह प्रार्थना-पत्र उस तारीख से, जबकि माप समाप्ति के पश्चात् पर्चे बांटे गये हों, तीस दिन के अन्दर पेश करनी चाहिये या यदि इस फसल में बिना नहरी सींच करने के कर सींच लगाया गया है तो उस तारीख से २१ दिन के अन्दर प्रतिवाद किया जावे, जबकि कृषक को प्रथम कर सींच की सूचना मिली हो। परिवाद पेश करने के १५ दिवस के अन्दर मौके पर जांच की जायगी और उक्त अंकित अधिकारियों में से पहिले तीन में से कोई अधिकारी उसका शीघ्र निर्णय करेगा। जब कोई परिवाद जिलेदार के पास पेश की जावे तो वह शीघ्र मौके पर जांच करके मौके की जांचों के बारे की रिपोर्ट डिप्टी रेवेन्यू अधिकारी नहर को या जहां डिप्टी रेवेन्यू अधिकारी न हों, सब-डिवीजनल अधिकारी नहर को आदेश देने के लिये भेजेगा। जिन अभियोगों का निर्णय सब-डिवीजनल अधिकारी नहर को या डिप्टी रेवेन्यू अधिकारी नहर ने किया हो उनकी अपील १५ दिन के अन्दर डिवीजनल अधिकारी नहर के यहां हो सकेगी और डिवीजनल अधिकारी नहर का निर्णय अन्तिम होगा।

४५—अभिधारक कर के लगाने के सम्बन्ध में परिवाद—जब निर्धारित अभिधारक करके विरुद्ध इस आशय पर परिवाद किया जाय कि पानी, जिसके लिये कर लगाया गया है, ऐसी नहर से नहीं लिया गया, जो धारा २ खंड १ उक्त अधिनियम की परिभाषा में आती हो तो उस परिवाद की जांच डिवीजनल अधिकारी करेगा, जिसको परिवाद करने वाले के पक्ष में न्याय करने का अधिकार है या यदि वह इस परिवाद को उचित न समझे तो अनिवार्य है कि अपने प्रस्तावित आदेश की एक प्रतिलिपि जिलाधीश के पास भेज दे। यदि जिलाधीश को उस आदेश से सहमति है तो वह अन्तिम निर्णय होगा, यदि जिलाधीश को प्रस्तावित किये हुये आदेश से सहमति नहीं है तो वह अभियोग को कमिश्नर के पास भेज देगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

४६—किसानों को ओर से परिवाद—जब कोई नम्बरदार या और व्यक्ति धारा नं० ४६, ४७ उक्त अधिनियम के अनुसार किसी गांव या उसके किसी भाग के अभिधारक-कर के भुगतान करने का उत्तरदायी हो तो नियम ४४ के अनुसार परिवाद किसानों के अतिरिक्त नम्बरदार या अन्य व्यक्ति दायर कर सकता है और जिस वापसी का इस परिवाद पर आदेश हो वह नम्बरदार या अन्य उक्त व्यक्ति को दी जायगी।

४७—रसीदें—नम्बरदार को अनिवार्य होगा कि अभिधारक करके भुगतान पर कृषक के मांगने पर रसीदें दे उन रसीदों पर लेखपाल के भी हस्ताक्षर होंगे।

४८—अभियाचन (मतालिबा) में संशोधन करने की विधि—यदि पर्चे वितरण करने के पश्चात् अभियाचन में कुछ बेशी की जावे या कोई छूट नियम ४४, ४५ के अधीन परिवाद होने पर स्वीकार की जाय या कोई छूट उक्त अधिनियम की धारा ३२ के खण्ड २ या नियम २८ या किसी अन्य प्रकार से दी जावे तो ऐसी कमीबेशी की सूचना कृषकों को दूसरे पर्चे के द्वारा दी जायगी जो तितम्मा के रूप में

होगी। बेंसी छपे हुये पर्चे पर स्याह शब्दों में और कमी सुर्ख शब्दों में दिखाई जायगी। तमाम ऐसे परिवर्तन, जो डिसार्पीडा की जमाबन्दियों के भेजने के पूर्व की जाय, जमाबन्दियों में दिखाई जायगी और उस प्रकार के छपे ये पर्चे पर (बेंसी स्याही में और सुर्खी में) लिखकर पर्चे भी जमाबन्दियों में शामिल कर दिये जायेंगे परिवर्तन जो जमाबन्दियों के जाने के पश्चात् की गई हो उसकी सूचना तहसीलदार को इसी प्रकार के पर्चे के द्वारा की जायगी।

४९—परिवाद, जो अभियाचन हेतु डिसार्पीडा के पास किये जायें—इन परिवादों को जो डिसार्पीडा के यहां अभियाचन के सम्बन्धों में किये जायें, डिसार्पीडा डिवीजनल अधिकारी नहर के पास भेज देगा। परन्तु किसी अभियाचन की वसूली अतिरिक्त इसके, जिसकी नियम नं० ४५ में व्याख्या की गई है, उस समय तक स्थगित न की जायगी जब तक डिवीजनल अधिकारी नहर परिवाद की स्वीकृति की सूचना न दे।

५०—जो धन कि वसूल न हो सकता हो—ऐसे शेष धन के सम्बन्ध में जो सम्पत्ति न होने के कारण या कमी हो जाने के कारण काश्तकारों के या किसी अन्य कारणों से, जिसका सम्बन्ध प्रबन्ध नहर से न हो वसूल न हो सकती हो और उन दावों के सम्बन्ध में, जो इस आशय पर किये जावें कि अधिक कर वसूल कर लिया गया है, डिसार्पीडा उन निर्देशों का प्रयोग करेगा जो उपायुक्त बोर्ड से लिये गये हों। यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जबकि नम्बरदारों ने समस्त अभियाचन सरकार को चुका दिया है अगर बाद में उसका कोई भाग किसानों से वसूल न हो सका हो।

५१—वापसियों का भुगतान किया जाना—तमाम दशाओं में अधिशासक कर का मालगुजारी कर की वापसियों को डिसार्पीडा भुगतान करेगा।

५२—लेखपाल का शुल्क—लेखपालों को प्रतिशत एकड़ सिंचित भूमि पर दस आने की दर से शुल्क मिलना उनका कर्तव्य होगा कि:

(१) गांव में अन्तिम माप की पूर्ति के समय उपस्थित रहें।

(२) नहर के अमीन को ऐसे स्वामियों और असामियों आदि के नाम बतायें, जिनकी अमीन को अपने कागजात की पूर्ति के लिए आवश्यकता हो और यदि किसी बात में सन्देह हो तो उसका अमीन के साथ मिल कर मौके पर जांच करके निर्णय करें।

(३) नियम नं० ३९ के अनुसार जमाबन्दी का सारांश तैयार करेगा। यह शुल्क उस समय दिया जायगा, जब लेखपाल उन कर्तव्यों को, जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है, डिवीजनल अधिकारी नहर के सन्तोष के अनुसार पूरा करे।

५३—नम्बरदार का शुल्क—नम्बरदारों या अन्य व्यक्तियों को, जो कर के वसूल करने के लिए नियुक्त किये गये हों चार रुपया ग्यारह आना प्रतिशत या तीन पाई प्रति रुपया की दर से शुल्क दिया जायगा। यह शुल्क उस अभियाचन नहर पर, जो उन जमाबन्दियों के अनुसार उचित हो, जो उन व्यक्तियों को दी जायें, इस प्रतिबन्ध पर दिया जायगा कि पूरा अभियाचन नहरी जमाबन्दियों जाने के ९० दिन के अन्दर भुगतान कर दिया जाये, अभियाचन नहर नम्बरदारों के जमाबन्दियां पाने के तीस दिन के पश्चात् भुगतान योग्य हो जायगा।

नाव चलाना

५४—कर—जब किसी नहर में प्रान्तीय सरकार ने नाव चलाने की उचित आज्ञा दी हो तो नावों और बेड़ों पर, जो उस नहर में चलें, कर ऐसे नियमों (चौड़ाई और भार माल) के अधीन उन दरों के अनुसार लगाया जायगा, जो प्रांतीय सरकार धारा ७५ द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत करे।

५५—भाड़ की नावें—भाड़ की नावों को नहर में चलने का आदेश बिना डिवीजनल अधिकारी नहर के लिखित लाइसेन्स के नहीं दिया जायगा। जो प्रपत्र परिशिष्ट नं० २ के अनुसार होगा, उन नियमों का पालन, जो लाइसेन्स में दी हों, अनिवार्य होगा।

५६—माप—प्रत्येक नाव या बेड़ा, जो किसी नहर में उतारा गया हो तो इस बात की जानकारी करने के लिये नापा जा सकेगा कि उन दरों के, जो नियम ५४ के अधीन नियत की गई हों, उस नाव या बेड़ा को कितना कर भुगतान करना होगा।

५७—नम्बर—अधिशासी अभियन्ता उत्तरी डिवीजन गंगा नहर या अन्य व्यक्ति, जिसको इस बारे में अधिकार दिया गया हो पहिली माप के समय हर नाव के लिए नम्बर क्रमानुसार नियत कर देगा, जिससे नाव नहर में चलती हुई पहचानी जा सकेगी। यह नम्बर नाव के अगले भाग पर या बाजू पर बाईं ओर डाला जायगा, उसकी ऊँचाई आठ इन्च से कम न होगी और ऐसे रंग से बनाया जायगा, जो कम से कम एक सौ गज पर आसानी से पहिचाना जा सके।

५८—टिकट—हर नाव के नहर में प्रवेश होने पर डिवीजनल अधिकारी नहर या वह व्यक्ति, जिसको नियमानुसार इस बारे में अधिकार दिया गया हो एक टिकट परिशिष्ट नं० ३ में दिये गये प्रपत्र के अनुसार देगा, जिसमें नाव का नम्बर, तारीख नहर में उतारे जाने की, उसके स्वामी का नाम, व्यवसाय, निवास-स्थान और उस व्यक्ति का नाम, जिसके आधिपत्य में उस समय हो, लिखे होंगे। नाव के नहर से बाहर जाने से पूर्व डिवीजनल अधिकारी नहर या वह व्यक्ति, जिसको नियमानुसार इस सम्बन्ध में अधिकार दिया गया हो, टिकट पर अलग होने की तारीख लिख कर उसे उस व्यक्ति को लौटा देगा, जिसके आधिपत्य में उस समय नाव होगी।

५९—लम्बाई-चौड़ाई आदि—कोई नाव जो साढ़े चौदह फीट से अधिक चौड़ी हो ऐसी नहर में नहीं चलाई जाने दी जायगी, जिसके नाव नाले सोलह फीट चौड़े हों, जिस नहर में नाव नाले २० फुट चौड़े हों, उनमें कोई नाव १८ फीट से अधिक चौड़ी चलाने की आज्ञा नहीं दी जायगी, जिस नहर के नाव नाले १६ फीट चौड़े हों उसमें कोई बेड़ा १४ फीट से अधिक चौड़ा और ९० फिट से अधिक लम्बा नहीं चलने दिया जायगा और जिस नहर के नाव नाले २० फीट चौड़े हों, उसमें १८ फीट से अधिक चौड़ा और १०० फीट से अधिक लम्बा बेड़ा नहीं चलने दिया जायगा।

६०—कर पहिले भुगतान करने होंगे—कर नहर पहिले भुगतान किये जायेंगे और कोई नाव किसी नहर से, जिसमें वह चलती हो, उस समय तक बाहर नहीं जाने दी जायगी जब तक कि समस्त कर भुगतान नहीं हो जायेंगे। डिवीजनल अधिकारी नहर या अन्य सम्बन्धित कर्मचारी नाव को अलग करने का आदेश देने के समय उस

प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा जो टिकट के नीचे लिखा होगा, जो नियम नं० ५८ के अनुसार दिया गया हो। हस्ताक्षर करने से पहिले वह सन्तोष कर लेगा कि नाव के समस्त कर चुकता हो गये हैं।

नोट—नहर की नावें, जो नहर के काम में लाई गई हैं, कर से मुक्त होंगी। भारतीय सरकार के सिंचाई विभाग के विज्ञापन नं० ४४, तारीख १ मई सन् १८९५ ई०।

६१—कर की रसीदें—कर डिवीजनल अधिकारी नहर या अन्य सम्बन्धित कर्मचारी को किसी कर की चौकी पर चुकता किये जायेंगे और उनकी रसीदें प्रपत्र परिशिष्ट नं० ४ के अनुसार दी जायगी।

६२—नाव चलाने के पास—जब कोई नाव जो किसी नहर में चलती हो पूरी या थोड़ी भरी जावे तो स्वामी या नाव के प्रभारी को आवश्यक होगा कि लादने के स्थान पर डिवीजनल अधिकारी नहर या अन्य सम्बन्धित कर्मचारी, यदि डिवीजनल अधिकारी या अन्य सम्बन्धित कर्मचारी लादने के स्थान पर उपस्थित न हो, तो सबसे पहिली चौकी पर, जहां से नाव गुजरे, एक बीजक इस माल का, जो लादा गया हो दिखा दें, जिसमें माल की किस्म, भार, मूल्य और स्थान, जहां जाना लिखे हों। इसके पश्चात् डिवीजनल अधिकारी नहर या अन्य सम्बन्धित कर्मचारी स्वामी या प्रभारी नाव को एक पास प्रपत्र परिशिष्ट नं० ५ के अनुसार देगा, जिसमें समस्त विवरण, जो ऊपर उल्लिखित हैं, लिखे होंगे। यह पास उस स्थान पर, जहां से नाव खाली की जायगी, सबसे निकट की चौकी पर उस व्यक्ति को दे दिया जायगा जो उस पास के लेने का अधिकारी हो।

६३—पास जिस समय मांगा जावे दिखलाना चाहिये—नाव के प्रभारी को उचित है कि वह सदैव अपना पास, जो कि उसको नियम नं० ६२ के अनुसार दिया गया है, मांगने पर डिवीजन अधिकारी या अन्य सम्बन्धित कर्मचारी को दिखा देवें।

६४—हर नाव या हर बेड़े को दो व्यक्ति चलायेंगे—किसी नाव या बेड़े को दो व्यक्तियों से कम न चलावेंगे।

६५—बेड़े के पास—जो व्यक्ति किसी नहर में बेड़ा बनाकर ले जाना चाहें उनको डिवीजनल अधिकारी या अन्य सम्बन्धित कर्मचारी के पास प्रार्थना-पत्र देने पर एक पास प्रपत्र परिशिष्ट नं० ६ के अनुसार दिया जायगा। कोई बेड़ा बिना पास लिये हुये नहर के अन्दर नहीं डाला जा सकता है।

६६—बेड़ों का नहर में से निकालना—जब बेड़ा नियत स्थान पर, जो पास में लिखा है, पहुंच जावे तो प्रभारी बेड़े को उचित है कि चौबीस घन्टा के अन्दर अपने पास के डिवीजनल अधिकारी नहर या अन्य सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा कर देवे। यदि समस्त कर चुकता हो चुका हो तो उक्त अधिकारी बेड़े को नहर से निकालने की आज्ञा दे देंगे। इस आज्ञा के मिलने के पश्चात् अड़तालीस घंटा के अन्दर बेड़ों को नहर के अन्दर से निकाल लेना अनिवार्य है। प्रतिबन्ध यह है कि डिवीजनल अधिकारी नहर या अन्य सम्बन्धित कर्मचारी ने बेड़े निकालने में देर करने की आज्ञा लिखकर दे दी हो।

६७—डिवीजनल अधिकारी को बेड़े निकालने का अधिकार होगा—डिवीजनल अधिकारी नहर को या अन्य सम्बन्धित व्यक्ति को अधिकार होगा कि उन बेड़ों को, जो नियम नं० ६६ में नियत की हुई अवधि के अन्दर न निकाले जायं या जिनके साथ कोई व्यक्ति न हो, पानी से बाहर निकाल दें।

६८—बिना पास के बेड़े—यदि कोई बेड़ा बिना पास के पाया जाय तो उसके ऊपर नहर के निकास से लेकर नहर से निकाले जाने के स्थान तक दूरी के हिसाब से दुगुना कर लगाया जा सकता है।

६९—पास में लिखी हुई तादा से अधिक सामान को दशा में दूना कर लगाया जायगा—प्रत्येक दशा में जब कि दिये हुये पास नियम नं० ६४ या ६५ के अनुसार लिखे हुये सामान से अधिक सामान पाया जावे तो हर प्रकार की अधिक वाली वस्तुओं पर दूना कर लिया जायगा।

७०—ऐसे बेड़ों का निकालना जो नहर के कामों से अटक जायें—हर व्यक्ति को जो किसी नहर में बेड़ा बहाकर ले जाय आवश्यक है कि वह बेड़े को इस प्रकार चलाये कि वह नहर के किसी काम से न अटके, यदि कोई बेड़ा इस प्रकार अटक जाय या रुकावट पैदा करे तो उसको कोई अधिकारी नहर, जो स्थान पर उपस्थित हो, तो शीघ्र तोड़कर नहर से निकाल देगा।

७१—बेड़े को रोके जा सकेंगे—समस्त बेड़े जो धारा ५१ व ५२ उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अभियाचित हों तो उस समय तक, जब तक अभियाचन भुगतान न हो जाय, रोके जा सकेंगे। यदि इस प्रकार रोके जाने के १४ दिन के अन्दर धन भुगतान न हो तो डिवीजनल अधिकारी नहर ऐसे धन की प्राप्ति के लिये उस अधिकार का प्रयोग करेंगे जो उक्त अधिनियम के भाग ६ में दिया गया है।

७२—मस्तूल—आवश्यक है कि नावों के मस्तूल इस प्रकार लगाये जायं कि वह शीघ्र और सुगमता से नीचे किये जा सकें और कोई मस्तूल इस प्रकार न लगाया जायगा कि नीचा कर लेने पर उससे किसी पुल में, जिसके नीचे होकर नाव निकले, टक्कर या रगड़ लगे।

७३—नावें और बेड़े आगे-पीछे बांध दिये जायंगे—प्रत्येक नाव या बेड़े के लिये उचित है कि जब नहर के किनारे या घाट पर लगाया जावे तो दोनों सिरों पर पुख्तगी से घाट या किनारों से बांध दिया जावे। बिना आज्ञा डिवीजनल अधिकारी या अन्य कार्यकर्ता के कोई नाव या बेड़ा किसी ऐसे अधिकारी नाव या बेड़े के बाहर, जो पहिले से बन्धी हुई हो, नहीं बांधा जा सकता है।

७४—नाव और बेड़े इस प्रकार लगाये जायं कि आने-जाने में बाधक नहीं—कोई नाव या बेड़ा इस प्रकार से न खड़ा किया जायगा जिससे और नावों या बेड़ों को भय हो या उनके मार्ग में रोक हो या नाव संचालन में बाधक हों तो और आवश्यक है कि उन शर्तों पर, जो किनारे पर लगाई जायं, कोई [illegible] लम्बा खड़ा न किया जाय।

७५—हर नाव या बेड़े पर जब किनारे लगाये जायं कोई व्यक्ति उपस्थित रहना चाहिये। जब कोई नाव या बेड़ा किनारे पर लगाया जाय तो उस पर किसी व्यक्ति का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

७६—नाव या बेड़े का टूटना या डूब जाना—यदि कोई नाव या बेड़ा किसी नहर में सम्पूर्ण या किन्हीं अंशों में डूब जाय या चलने में अयोग्य हो जाय तो ऐसे नाव या बेड़े के स्वामी या प्रभारी को आवश्यक होगा कि उसको तुरन्त नहर में से निकलवा दे यदि स्वामी या प्रभारी उपस्थित न हो या वह नाव या बेड़े को निकालने से इनकार करे, या वह नाव या बेड़े को निकालने में उचित रीति से शीघ्रता न करे तो डिवीजनल अधिकारी नहर या अन्य व्यक्ति, जिसे इस सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो, धारा ४९ उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नाव या बेड़े को बाहर निकलवा सकता है।

७७—नहर की पटरियां और किनारे घाट के रूप में प्रयोग में न लाये जायं—डिवीजनल अधिकारी नहर या अन्य सम्बन्धित अधिकृत नहर की आज्ञा के बिना नहर के किनारे और पटरियां माल के एकत्रित करने के लिए घाट के ढंग पर प्रयोग में नहीं लाई जा सकेंगी। जो व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करेगा अर्थदंड का भागी होगा।

७८—माल नहर की भूमि से हटाना—समस्त माल नहर की भूमि से सात दिन के अन्दर उठा लिया जाना आवश्यक है, अतिरिक्त इस दशा के कि डिवीजनल अधिकारी नहर या सब-डिवीजनल अधिकारी नहर ने माल को इससे अधिक समय के लिये रखने की लिखी हुई आज्ञा दे दी हो। समस्त माल जो नहर की भूमि पर रखा जावे, ऐसे उचित ढंग पर चट्टे लगा कर रखना चाहिए कि आने-जाने में बाधक न हो। यदि ऐसा माल जिस समय आदेश दिया जाय न हटाया जाय तो आठ आना प्रति सौ मन की दर से प्रति दिन कर हरजाना के रूप में इस दशा में लागू होगा। जबकि माल इस प्रकार का हो कि उसे तौला जा सके और उस दशा में कि इस माल का हिसाब गिनती से होता हो तो सम्बन्धित अधिकारी नहर और कर उचित समझे नियत करेगा। यह नियम नहर के गोदामों पर लागू नहीं होता जिसके लिए राज्यीय सरकार अलग नियम बनायेगी।

७९—नाव या बेड़े की जांच—किसी अधिकारी नहर को, जिसका पद सब-डिवीजनल अधिकारी से कम न हो या अन्य कार्यकर्त्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी नाव या बेड़ा को, जो नहर में चलता हो, जांच करे। प्रतिबन्ध यह है कि इस बात का विश्वास करने के कारण हों कि स्वामी या प्रभारी नाव या बेड़ा उस भाग के किसी नियम के विरुद्ध करने का उद्योग करता है।

८०—नहर का बन्द होना—ऐसी नाव या बेड़े के स्वामी या प्रभारी की ओर से, जो नहरों में चलता हो, कोई दावा हर्जे का ऐसी अनिवार्य देर के कारण से न हो सकेगा जो नहर के बन्द रहने से हुई हो या इस कारण से हुई हो कि पानी की गहराई किसी समय विवश होकर कम करनी पड़ी हो, या कोई बन्द, झाल अथवा पुल या नहर के भीतर कोई अन्य काम बिगड़ गया हो।

८१—नावें आदि जो स्वामीहीन छोड़ दी गई हों—यदि नहर में कोई नाव या बेड़ा स्वामिहीन पाया जाय या कोई माल जी सामान, जो नहर में किसी सरकारी नाव में लदा हो या किसी ऐसी भूमि या पक्की में जमा हो जिस पर नहर के कामों की आवश्यकता से अधिकार हो और दो महीने तक किसी का दावा न दिया जावे तो डिवीजनल अधिकारी नहर उस पर अधिकार करेगा। जो अधिकारी इस प्रकार अधिकार करे, उसे आवश्यक है कि

प्रान्तीय सरकारी गजट में प्रपत्र परिशिष्ट नं० ७ के अनुसार विज्ञापन छपवाये और यदि उस नाव और उसके बोझ या माल और सामान के सम्बन्ध में, जिनका उल्लेख विज्ञापन में किया गया हो, नोटिस की तारीख से ३० दिन के अन्दर दावा न किया जाय तो उक्त अधिकारी उसके बेचने की आज्ञा देगा। विक्रय मूल्य प्राप्त होने पर डिवीजनल अधिकारी नहर वह धन, जो कर से सम्बन्धित वाजिब हो, उसके लेखे में जमा कर देगा। यदि प्राप्त धन कर से अधिक हो तो शेष धन नाव के या उसके बोझ के या माल या सामान के स्वामी को जब कि उसका स्वामित्व डिवीजनल अधिकारी नहर के सन्तोष के अनुसार सिद्ध हो जाय, भुगतान कर देगा। और यदि स्वामित्व डिवीजनल अधिकारी नहर के संतोष के अनुसार सिद्ध न हो तो बिक्री की तारीख से एक महीने के अन्दर जिले के कोष में जमा कर देगा। यदि खालिस कीमत विक्रय धन वाजिब से कम हो तो समस्त खालिस धन आमदनी नाव चलाने के हिसाब में जमा कर दी जायगी।

विविध

८२—नहर के निर्माण-कार्य पर निकलने या उनके आर-पार जाने की मनाही—कोई व्यक्ति बिना डिवीजनल अधिकारी नहर की लिखित आज्ञा से किसी नहर या निकास के नाले के किसी निर्माण-कार्य या नहर किनारे या पटरियों पर या उनके आर-पार न चलने और न किसी पशु या गाड़ी को चलावे। इसके पश्चात् कि उसे ऐसा करने की मनाही की गई हो, तो अतिरिक्त ऐसे पुलों और घाटों और पायाब उतरने वाले स्थानों या उन तक पहुंचने के मार्गों के, जो सार्वजनिक प्रयोग के हेतु बनाये गये हों, जो व्यक्ति नहर या निकास के नाले या उसकी पटरियों या उसके अन्य कामों पर या उनके आर-पार उतरे या किसी पशु या गाड़ी को चलाये, उस नोटिस के विरुद्ध जो अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में किसी आम सड़क और ऐसी निर्माण पटरी या नाले के ऊपर लगा हो तो यह समझा जायगा कि
70(11) ऐसे व्यक्ति को धारा ७० (११) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मनाही हो चुकी थी।

८३—नहर में मछली मारने व पकड़ने या बंसी लगाने की मनाही—किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि डिवीजनल अधिकारी नहर या लिखित आज्ञा के बिना किसी नहर, तालाब, जलाशय के भीतर या किसी नदी के वियर डेम बांध के १० फर्लांग की दूरी के अन्दर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के नहर विभाग के अधिकार में हैं, मछली मारे या पकड़े या बंसी आदि डाले, डिवीजनल अधिकारी नहर मछली पकड़ने के आज्ञा-पत्र में कोई प्रतिबन्ध, जिसको वह आवश्यक समझें, लगा सकते हैं और शुल्क भी लगा सकते हैं जो निम्नांकित से अधिक न होगा :—

(१) वार्षिक पास के लिए, जिसकी अवधि पहली अक्तूबर या उसके पश्चात् के जारी होने की तारीख से प्रारम्भ होने पर अगले साल के ३० सितम्बर को समाप्त होगी। रोकड़ १०.०० रुपया।

(२) दैनिक पास के लिये, जिसका समय प्रातःकाल ६ बजे से उसी दिन सायंकाल के ८ बजे तक होगा, रोकड़ १.०० रुपया।

किसी वार्षिक पास वाले या दैनिक पास वाले को आठ बजे रात और ६ बजे प्रातः के बीच मछली पकड़ने की आज्ञा नहीं दी जायगी, अगर कोई व्यक्ति इस नियम के विरुद्ध करता है तो धारा ७० (१२) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस पर
70(12) पचास रुपया तक अर्थदंड हो सकेगा या उसे कारावास का दण्ड मिल सकेगा जिसकी अवधि १ महीने से अधिक न हो या दोनों दण्ड मिल सकेंगे।

(३) ओतला हेतु ववर्ल पर अप्रैल से सितम्बर के बीच प्रतिवर्ष पूरा बिना उक्त नियम के अधीन ६ बजे प्रातः से ९ बजे रात तक है और ९ बजे रात से ६ बजे प्रातः तक इन्हीं महीनों में मछली पकड़ने की आज्ञा न दी जायगी।

८४—जो व्यक्ति नहरों पर नियुक्त हों उनको पानी के वितरण आदि से कुछ व्यक्तिगत सम्बन्ध न होना—कोई व्यक्ति जो किसी नहर पर नियुक्त हो बिना डिवीजनल अधिकारी की लिखित आज्ञा के उस नहर पर पानी के वितरण या प्रयोग से अपने लाभ हेतु कोई स्वार्थ न रखते न कोई माल, जो उस पर सरकार बेचे या सरकार की ओर से बेचा जाय, अपने नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम अलग या औरों की साझेदारी में मोल ले न उसके प्रति बोली दे।

(अ) झांसी जिला में बरवा सागर झीलों और नहरों से सिंचाई के नियम—

(१) समस्त कृषक जो ऐसी भूमि पर अधिकारी हों, जिनकी सिंचाई बरवा सागर झील से होती है और जिनको यह अधिकार सिंचाई मिले हैं, जो प्रचीन अधिकारों के नाम से सम्बोधित हैं और जिनके यह अधिकार झांसी जिले के बन्दोबस्त कागजात में स्वीकार और लिखे हैं, नीचे लिखे नियमानुसार और उपरोक्त बन्दोबस्त के कागजों में लिखी हुई शर्तों के अनुसार अपने खेतों की सिंचाई मुफ्त, बिना कर, पानी सरकारी झीलों के उन कुलावों; और मोरियों से कर सकते हैं जो कि सरकार ने इस हेतु बनाये हैं और जिनसे सिंचाई करने का अधिकार उनको दिया गया है। उन कुलावों का दहन आदि सिंचाई हेतु काफी होगा, मगर न कुलावों या मोरियों के अतिरिक्त और किसी कुलावा, मोरी या नाका से सिंचाई नहीं कर सकते हैं।

(२) उपरोक्त नियमानुसार बने हुए कुलावों, मोरियों और झोलों को हर समय काम में लाया जा सकता है। जब कि नहर, जिनसे उनको पानी मिलता है, जारी हो, मगर डिवीजनल अधिकारी नहर को अधिकार है कि किसी मुख्य समय में नोटिस देकर पानी विभाजित करने के उचित प्रबन्ध हेतु उनपर किसी प्रकार की रोक लगा देवें।

(३) डिवीजनल अधिकारी नहर निम्न लिखित दशाओं के अतिरिक्त किसी कुलावा या किसी व्यक्ति का पानी बन्द नहीं करेंगे:—

(१) जब और जितने समय के लिए किसी मुख्य काम के बनाने के कारण पानी का बन्द किया जाना आवश्यक हो और इस काम की आज्ञा किसी अधिकारी कार्यकर्ता ने स्थानीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् दी हो।

(२) जब और जितने समय के लिये कोई कुलावा साधारणतया अच्छी तरह से सुधरी दशा में न रक्खी जाय ताकि उससे पानी नष्ट न हो सके।

(३) अतिरिक्त उस दशा के, जिसका वर्णन इस नियम की उपधारा (२) में और नियम नं० ६ में किया गया है कोई कुलावा आठ दिन से अधिक बन्द नहीं रक्खा जायगा।

(४) स्थानीय सरकार किसी ऐसे हानि के प्रतिकार (मुआवजे) की जिम्मेदार न होगी जो उसकी शक्ति के बाहर कारणों से पानी के न मिलने और रोकने के कारण से हो जाय। या किसी नहर में सुधार या परिवर्तन या वृद्धि के कारण से हो या किसी ऐसे सुधार से जो कि नहर के भीतर नियमानुसार प्रवाह पानी को जारी रखने या स्थायी सिंचाई के काम को जारी रखने हेतु डिवीजनल अधिकारी नहर की राय में आवश्यक हो।

(५) यदि किसी भूमि में जो बिना कर सिंचाई की अधिकारी हो पानी रुक जाये अतिरिक्त उन दशा के, जिसका वर्णन ऊपर नियम ४ में किया गया हो तो ऐसी भूमि का अधिकारी या स्वामी एक प्रार्थना-पत्र हानि सम्बन्धी, जो पानी के इस प्रकार रुक जाने से हुआ, जिलाधीश को दे सकता है और जिलाधीश प्रार्थी को उचित प्रतिकर दिला सकते हैं ।

(६) उपरोक्त नियम ३ के खंड न० २ के अनुसार किसी गूल में पानी का दिया जाना उस समय बन्द किया जा सकता है जबकि अधिकारी नहर जो बन्दी की अनुग्रह (सिफारिश) करे, स्वयं निरीक्षण के पश्चात् इस बात का विश्वास कर ले कि गूल ऐसी उचित दशा में स्थित नहीं है जैसा कि ऊपर नियम ३ खंड (२) का मन्शा है, ऐसे बन्दी का आदेश लिखित होगा और उस पर डिवी जनल अधिकारी नहर के हस्ताक्षर होंगे, यदि बन्दिश की अवधि ३० दिन या उससे अधिक होने की शंका हो तो शीघ्र ही जिलाधीश को रिपोर्ट की जायगी और प्रत्येक दशा में बन्दिश के मुख्य कारणों की व्याख्या की जायगी ।

(७) यदि कोई व्यक्ति ऐसे समय कुलाबा खोलता है या पानी लेता है या काम में लाता है जबकि डिवीजनल अधिकारी नहर ने उन नियमों के अन्तर्गत पानी का दिया जाना बन्द कर दिया है तो वह उत्तरी भारत की नहरों और पानी के निकास के अधिनियम ८ सन् १८७३ ई० के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा ।

(८) सिंचाई विभाग नहर और उसकी शाखों के उन समस्त भागों को आगे स्थिर रखने के लिये जिम्मेदार होगा जिसके लिये स्वामी (मालिकान) अब तक जिम्मेदार रहे हैं। इसके बदले प्राचीन अधिकार रखने वाले स्वामी एक वार्षिक निर्धारित धनराशि मु० १५०.०० रुपया की डिवीजनल अधिकारी नहर को अदा करेंगे यह धनराशि ग्राम बरवा सागर, सलोरा नौटगीर के स्वामियों से उनके अधिकार के अनुसार बतौर शेष मालगुजारी शुरू सन् १३३९ फसली साल से वसूल की जायगी ।

(च) झाँसी जिले में कंचनियों झील और नहर से प्राचीन सिंचाई के नियम—

(१) समस्त कृषकगण जो ऐसी भूमि पर अधिकारी हों, जिसकी सिंचाई कंचनियों झील से होती है और जिनका वह अधिकार सिंचाई किये हुये या प्राचीन अधिकार के नाम से सम्बन्धित है और जिनके यह अधिकार झाँसी जिले के बन्दोबस्त के कागजात में स्वीकार और लिखे हैं तथा वे लिखे नियमानुसार और उपरोक्त बन्दोबस्त के कागजात में लिखी हुई शर्तों के अनुसार अपने खेतों की सिंचाई बिना कर सरकारी खर्चों के उन कुलाबों और मोरियों से कर सकते हैं जोकि सरकार ने इस हेतु बनाये हैं और सिंचाई करने का उनको अधिकार दिया गया है उन कुलाबों का दहन आदि सिंचाई के लिये पर्याप्त (लाक) होगा मगर इन कुलाबों, मोरियों के अतिरिक्त और किसी कुलाबा, मोरी या नाके से सिंचाई नहीं कर सकते ।

(२) उपरोक्त नियमानुसार बने हुये कुलाबों, मोरियों और नालों की प्रत्येक समय प्रयोग में लाया जा सकता है जबकि वह नहर जिससे उनको पानी मिलता है, जारी हो । परन्तु डिवीजनल अधिकारी नहर को अधिकार है कि कुछ समय में पानी नियमित करने के उचित प्रबन्ध के लिये उपरोक्त प्रकार की रोक लगा देवें ।

(३) डिवीजनल अधिकारी नहर निम्नांकित दशाओं के अतिरिक्त किसी कुलाबा या किसी व्यक्ति का पानी बन्द नहीं करेगा :—

(१) जब और जितने समय के लिए किसी नूतन काम के बनाने के कारण पानी का बन्द किया जाना आवश्यक हो और उस काम की आज्ञा किसी अधिकारी कार्यकर्ता ने प्रान्तीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् दी हो।

(२) जब और जितने समय के लिए कि कोई गूल साधारणतया अच्छी तरह से सुधरी हुई दशा में न रखी जाय ताकि उससे पानी नष्ट न हो सके।

(३) अतिरिक्त उस दशा के, जिसका वर्णन इस नियम के खंड (२) में और नियम ६ में किया गया है कोई कुलावा आठ दिन से अधिक बन्द नहीं रक्खा जायगा।

(४) प्रान्तीय सरकार किसी ऐसी हानि के प्रतिकर की जिम्मेदार न होगी, जो उसकी शक्ति के बाहर कारणों से पानी के न मिलने और रोकने के कारण से हो जावे, जो किसी नहर में सुधार, परिवर्तन या वृद्धि के कारण से हो, किसी ऐसे सुझाव से हो जो किसी नहर के भीतर नियमानुसार बहाव पानी को जारी रख पर स्थायी सिंचाई के क्रम को जारी रखने के लिए डिवीजनल अधिकारी नहर की राय में आवश्यक हो।

(५) यदि किसी भूमि में जो बिलाकर सिंचाई की अधिकारी हो, पानी रुक जावे, अतिरिक्त उस दशा के, जिसका वर्णन उपरोक्त नियम नं० ४ में किया गया है, तो ऐसी भूमि का अधिकारी या स्वामी एक प्रार्थना पत्र हानि के सम्बन्ध में जो पानी के इस प्रकार से रुक जाने से हुआ हो, जिलाधीश को पेश कर सकता है और जिलाधीश शर्तों को उचित प्रतिकर दिला सकते हैं।

(६) उपरोक्त नियम नं० ३ के खंड नं० २ के अनुसार किसी गूल में पानी का दिया जाना उस समय बन्द किया जा सकता है, जब कि वह अधिकारी नहर की बन्दी की आग्रह (सिफारिश) करें। व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात् इस बात का विश्वास कर ले कि गूल ऐसी उचित दशा में स्थित नहीं है जैसा कि उपरोक्त नियम ३ खण्ड २ का आशय है। ऐसी बन्दी का आदेश लिखित होगा और उस पर डिवीजनल अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यदि बन्दिश का समय ३० दिन या उससे अधिक होने का भय हो तो शीघ्र ही जिलाधीश को रिपोर्ट की जायगी और प्रत्येक दशा में बन्दिश के मुख्य कारणों की व्याख्या की जायगी।

(७) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे समय में कुलावा खोलता है या पानी लेता है या काम में लाता है, जब कि डिवीजनल अधिकारी नहर ने उन नियमों के अनुसार पानी का दिया जाना बन्द कर दिया है तो वह उत्तरी भारत की नहरों और पानी के निकास अधिनियम ८ सन् १८७३ ई० के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।

(८) सिंचाई विभाग नहर और उसकी शाखों के उन समस्त भागों को आगे ठीक रखने के लिए जिम्मेदार हुआ, जिसके लिए स्वामी अब तक जिम्मेदार रहे हैं। इसके बदले में ग्रामीण अधिकार रखने वाले स्वामी एक वार्षिक निर्धारित धनराशि ५,००० रुपया डिवीजनल अधिकारी को अदा करेंगे। यह धन ग्राम कंपनियों मुताबिक बन्दोबस्त से अनुसार शेष मालगुजारी के रूप में सन् १३३७ फसली वर्ष के आरम्भ से चुकाया जायगा।

८५—सब-डिवीजनल अधिकारी नहर या डिप्टी रेवेन्यू अधिकारी नहर के अधिशासी आदेश के विरुद्ध अपील डिवीजनल अधिकारी नहर के समक्ष हो सकेगी और डिवीजनल अधिकारी नहर के किसी मूल अधिशासी आदेश (original Executive order) की अपील अधीक्षण अभियन्ता के पास हो सकेगी।

८६—जो आदेश डिवीजनल अधिकारी नहर नियम ४ व ६ व १४-बी और १७ के अनुसार दे उसकी अपील अधीक्षण अभियन्ता नहर के समक्ष हो सकेगी।

८७—कोई अपील, जो नियम ८५ के अनुसार उस आदेश की तारीख से, जिसका परिवाद हो, १५ दिन समाप्ति के पश्चात् न हो सकेगी, कोई अपील जो नियम ८६ के अधीन उस आदेश की तारीख से, जिसका परिवाद हो, ३० दिन के पश्चात् न हो सकेगी।

८८—उस समय को आंकने में जो इन नियमों के अनुसार अपील के लिये नियत की गई है, वह दिन, जब कि आदेश, जिसका परिवाद हो, सुनाया गया हो और वह समय, जो उस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगे, निकाल दिया जायगा।

८९—इन नियमों के अनुसार कोई अपील निर्धारित अवधि के पश्चात् उस दशा में मानने योग्य होगी। जबकि अपीलार्थी उस अधिकारी को, जिसके पास अपील की जाय, विश्वास दिला दे कि निश्चित समय के अन्दर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण उपलब्ध हैं। किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध, जो उस नियम के अनुसार अपील करने के सम्बन्ध में हो, कोई अपील नहीं हो सकेगी।

९०—प्रान्तीय सरकार को अधिकार है कि किसी समय किसी ऐसे दावे को मंगवावे जो किसी कमिश्नर या जिलाधीश या अधीक्षण अभियन्ता या डिवीजनल अधिकारी नहर के समक्ष किये गये हों और उस पर ऐसा आदेश जारी करे जो उचित प्रतीत हो और जो अधिनियम के और उसके नियमों के अनुसार बनाये गये हों के अनुसार हों।

सिंचाई, जो उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर हो

९१—नियम जो नहर आगरा के सम्बन्ध में गुड़गांव और देहली के जिलों में लागू होंगे ऊपर लिखे हुये नियम उस सीमा तक नहर आगरा पर भी लागू होंगे, जहां तक कि वह पंजाब प्रान्त और देहली के जिला गुड़गांव और देहली में स्थित है, अतिरिक्त नियम ३६,४२ और ५० से ५३ के अतिरिक्त, जिनके बजाय पंजाब के नियम जो नीचे लिखे गये हैं, लागू होंगे।

पंजाब का नियम ३८ खतौनी या अभियाचन विवरण (नक्शा मतालबा) की

तैयारी।

किसी गांव की माप समाप्त होने पर वहां जाने से पहले अमीन नहरी मुहर्रिर से एक खेतौनी या जमाबन्दी तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक किसान के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टि (इन्द्राज) एक जगह होंगे और उनका योग लगा देगा। खतौनी प्रत्येक गांव या मौजा की पृथक् नहीं होगी, परन्तु प्रत्येक

मुद्री या प्रत्येक नम्बरदार के नाम के हिस्से की पृथक-पृथक होगी। उसी समय पटवारी नीरी की एक प्रतिलिपि प्रचलित भाषा में उन फार्मों पर तैयार करेगा जो उसे अधिकारी नहर देगा. उस प्रतिलिपि पर अमीन के हस्ताक्षर होंगे।

पंजाब का नियम नं० ४१ जमाबन्दियों के भेजने की तारीख डिवीज़नल अधिकारी नहर फसल खरीफ और रबी की खतौनियां तहसीलदार को ऐसे समय में भेजेगा कि फसल रबी की १५ मई तक उसके कार्यालय में पहुंच जाय। प्रत्येक फसल खतौनियाँ को हर बस्ते के साथ वारन्ट फार्म नं० २ भेजे जायेंगे और तहसील को खतौनियां भेजे जाने के साथ ही डिवीज़नल अधिकारी जिलाधीश को वारन्ट फार्म २ की प्रतिलिपि नियम नं० ४२ भेजेगा।

पंजाब का शेष धन प्राप्त न हो सके।

ऐसे शेष धनों के सम्बन्ध में जो अचल सम्पत्ति न होने के कारण अथवा बाकीदारों के भाग जाने के या किसी अन्य कारण से, जिसका सम्बन्ध प्रबन्ध नहर से न हो वसूल न हो सकती हो और ऐसे दावों के सम्बन्ध में, जो इस आशय पर किये जायें कि अधिक कर वसूल कर लिया गया है, डिप्टी कमिश्नर निर्णय देगा और उसका आदेश अन्तिम होगा। यह नियम उन दशाओं में भी लागू होगा, जिनमें नम्बरदारों ने प्रान्तीय सरकार को समस्त धन शीघ्र भुगतान कर दिया हो और बाद में उसका कोई भाग असामियों से वसूल न हो सके।

पंजाब का नियम नं० ५० (वापसियों का भुगतान)—

ऐसी वापसियों का भुगतान, जिनका आदेश डिप्टी कमिश्नर ने या डिवीज़नल अधिकारी नहर ने या प्रान्तीय सरकार ने दिया हो, डिप्टी कमिश्नर करेंगे। जो फार्म नं० ६ सम्बन्धित माल विभाग नहर के नीचे खुलासा (ब) में समस्त ऐसे भुगतान किये हुए धन लौटाने के सम्बन्ध में सतर्कता से अंकित करेगा और प्रत्येक दशा में आदेश का संकेत करेंगे।

पंजाब का नियम नं० ५१ (शुल्क पटवारी)—

पटवारियों को एक रुपया चार आना प्रतिशत एकड़ सींच किये हुए क्षेत्र पर दिया जायगा। यह शुल्क इस प्रतिबन्ध पर दिया जायगा कि पटवारियों ने अपने कर्तव्य भाग के सम्बन्ध में डिवीज़नल अधिकारी के सन्तोष के अनुसार निभाये हैं और धन नहर के भुगतान के सम्बन्ध डिप्टी कमिश्नर के सन्तोष के अनुसार निभाये हैं।

पंजाब का नियम नं० ५२ (शुल्क नम्बरदार)—

अधिकारक कर, मालिकाना कर पूर्ण सतर्कता से वसूल किये जायेंगे। शुल्क नम्बरदार को या अन्य व्यक्तियों को, जो कर वसूल करने के लिए नियुक्त किये गये हों, चार रुपया ग्यारह आने प्रतिशत या नौ पाई प्रति रुपया है। यह उस समय दी जायगी जबकि समस्त धन खतौनी, जो उनको दी गई हो, तो फसल खरीफ के सम्बन्ध में १५ फरवरी से पूर्व और फसल रबी के सम्बन्ध में १५ जुलाई से पूर्व भुगतान कर दिया जायगा। डिप्टी कमिश्नर को आवश्यक होगा कि फार्म नं० ६ सम्बन्धित माल नहर के भाग (ब) के नीचे स्पष्ट अंकित करे कि आया शुल्क नम्बरदार का कोई भाग उस धन के लिये स्वीकार किया गया है जो नियत तारीख के पश्चात् चुकता किया गया है।

स्वतंत्र सब-डिवीज़नल अधिकारी के अधिकार

५३—इन नियमों के अनुसार एक स्वतंत्र सब-डिवीज़नल अधिकारी के अधिकार वही होंगे जो डिवीज़नल अधिकारी के हैं।

परिशिष्ट नं० १

प्रार्थना पत्र प्राप्त करने गूल के नहर————————से————————
ग्राम————————परगना————————जिला————————फसल के लिए सन् १९

(१) नाम प्रार्थी————————

(२) नाम रजबहा————————

(३) स्थान प्रस्तावित किया हुआ नये कुलावे का————————

(४) आंका हुआ क्षेत्रफल————————

(५) संख्या नल, जिनकी आवश्यकता है मी————————

(६) सिंचाई तोड़ या काल होवे————————

(७) आंकी ई लम्बाई गूल की————————

(८) नाम भूमि के स्वामी का, जिसको भूमि से गूल जावेगी————————

(९) इस भूमि की सिंचाई किसी वर्तमान कुलावा से हो सकती है या नहीं————————

(१०) संख्या और नाम उन काश्तकारों के, अगर कोई हों जो उस कुलावे में जिसके लिये प्रार्थना पत्र दिया गया हो, शामिल होना चाहते हों————————

(११) संख्या कुलाबों की जो रजबहा में मौजूद है————————} दाहिनी पटरी

(१२) चौड़ाई पटरी की मय डाल और रास्ते के————————} बांयी पटरी

(१३) संख्या कार्यों की जो गांवों के लिए नियत किये गए हैं————————

(१४) कृषि योग्य क्षेत्रफल } कुल गांव का———— भूमि प्रार्थी का————

(१५) क्षेत्र, जिसकी सिंचाई पहले से होती है } कुल गांव का———— प्रार्थी का————

(१६) वह बातें जिनके बताने का आदेश उत्तरी भारत की नहरों और [illegible] के निकास के अधिनियम ८ सन् १८७३ ई० की धारा २१ में है की [illegible] दशा में जब प्रार्थना पत्र उक्त धारा के अन्तर्गत हो।

नोट—सम्भ ११ से १५ तक की पूर्ति कार्यालय नहर में की जायगी।

परिशिष्ट नं० २

लाइसेन्स चलाने हेतु नाव या बेड़े के नहर————————में————————

चलने का स्थान————————

लम्बाई व चौड़ाई नाव या बेड़े की————————

नाम उस व्यक्ति का, जिसको लाइसेन्स दिया गया————————

अवधि, जिसके लिए लाइसेन्स दिया गया————————

कर जो चलाने के स्थान पर लिया जायगा ……………

प्रतिबन्ध

उचित है कि कोई लाइसेन्स उस दशा में रद्द किया जाय जबकि उसी [illegible] से अधिक कर लगाये जावें अथवा जबकि नाव या बेड़ा रोक और सही चलने का [illegible] में काबू न रखा जाय या जब कि यात्रियों को देर या रोक हुआ करे या ऐसे [illegible]

[illegible] के कारण पर, जिसके कारण कार्यकर्ता महर के विचार में लाइसेन्स का रद्द करना आवश्यक है, अधिकारी महर के विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता के समक्ष अपील की जा सकेगी।

स्थान और तारीख

हस्ताक्षर (अ ब)
डिवीजनल अधिकारी महर

परिशिष्ट नं० ३

नं.......................यातायात विभाग महर
टिकट संख्या (चालान)
नम्बर माल..............
तारीख महर में प्रवेश होने की....................
स्वामी का नाम..........................
इन्चार्ज..................................
[illegible] स्थान कारोबार...........................
नाम प्रभारी..........................
लम्बाई व चौड़ाई माल..................................
जो दी हुई माल को लाया ले जा सकते हैं..............सन................भुगतान किया हुआ कर प्रारम्भिक तारीख..........१९.....ई० से १९......ई० तक
संख्या कर..............रुपया..............पैसा..............
जिसने रसीद जारी किया..........................
तारीख महर से बाहर जाने की........................

चौकी (नेर्व मेशन)

इस लेख के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूं कि कुल धन राशि..........................नम्बर....................पर हस्ताक्षरित कर या कर सहित और निर्माण के कार्य [illegible]...........................आदि आज की तारीख तक भुगतान हो गया है।

नेर्व मेशन एजेन्ट

परिशिष्ट नं० ४

नम्बर..................................यातायात महर विभाग
वसूल पाया श्री..............................सन् १९......ई०
धनराशि रुपया....................पैसा....................
प्रवेश कर नम्बर....................
कहां से ———————— कहां तक ————————
[illegible] ————————

यातायात विभाग महर
प्रबन्धक चौकी

परिशिष्ट नं० ५

नम्बर ————————यातायात विभाग महर————————
[illegible] माल नम्बर..........————————
चौकी......————————ता०....————————सन् १९ ई०

(१) तारीख चलने की——————————

(२) नाम और पता नाव के स्वामी का——————————

(३) नाम और पता माल के स्वामी का——————————

(४) विवरण माल——————————

(५) भार माल——————————

(६) स्थान चलने नहर पर——————————

(७) स्थान पहुंचने का नहर पर——————————

(८) अन्तिम स्थान माल उतारने का——————————

(९) पूरी नहर द्वारा——————————

(१०) कर की दर——————————

(११) संख्या कर——————————

(१२) मूल्य माल——————————

(१३) संख्या यात्री——————————

(१४) विवरण——————————

हस्ताक्षर नेवीगेशन एजेन्ट

परिशिष्ट नं० ६

नम्बर——————यातायात विभाग नहर——————

रवाना बेड़ी——————सन् १९ ई०——————से——————

को——————दूरी——————मील——————

किस्म बेड़ा——————

लम्बाई——————चौड़ाई——————

भार फीट——————

कर की दर——————

संख्या कर अंक, पूरे बेड़े का——————

नाम स्वामी——————

पता——————

नाम व्यापारी——————

नहर में प्रवेश होने की तारीख——————

धनराशि ... ...

स्थान, जहां वसूल हुआ .. ..

माह .... सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

चौकी नहर स्थान मार्फत

नेवीगेशन एजेन्ट

परिशिष्ट नं० ७

...ित नीलाम नाव बिना स्वामी या माल बिना स्वामी

स्थान ... .

चूंकि नहर में एक नाव बिना स्वामी छोड़ी हुई मिली है और ... महीने के अन्दर से बिना दावा पड़ी है या चूंकि माल या जिन्स सरकारी नाव पर ... पर ... महीने के समय से स्थान ... दावा पड़ी है या चूंकि माल या जिन्स जो ऐसी भूमि पर या ऐसे गोदामों में ... की गई थी जिस पर या जिन पर नहर के कामों के लिये आधिपत्य है, दो महीने के ... से स्थान बिना दावा पड़ी है, अतः डिवीजनल अधि... नहर ने धारा ५४, अधिनियम ८ सन् १८७३ ई० के अन्तर्गत उस पर अ... ...कार कर लिया है।

इस लेख के आधार से सूचना दी जाती है कि यदि उक्त नाव और उसमें भरी ... वस्तुओं के सम्बन्ध में (या उस माल या जिन्स के सम्बन्ध में) ता०
....

(१) से पहले दावा न किया जायगा तो उसको बेच दिया जायगा।

उक्त नाव और उसमें माल और जिन्स यदि बिके न हो या यदि ... हो जाय तो बिक्री धन चुकता होने के पश्चात् समस्त कर व सम्बन्धित ... और उन व्यय के, जो डिवीजनल अधिकारी नहर पर उस पर अधिकार ... करने और उसको बिक्री करने में लगाये हों, उसके स्वामी को अब उसका ... डिवीजनल अधिकारी नहर की उसके विश्वास के अनुसार सिद्ध न हो जाय, ... कर दिया जायगा।

यदि उस माल या रुपये की बाबत स्वामित्व का तारीख (२) के पूर्व डिवी... अधिकारी नहर को उसके विश्वास के अनुसार सिद्ध न हो जायगा तो उस तारीख ... उसके पश्चात् वह रुपया जिले के कोष में जमा कर दिया जायगा, जहां वह उस ... रखा जायगा, जबकि उसके अधिकार के लिये योग्य न्यायालय न्याय न कर दे।

डिवीजनल अधिकारी नहर
ह०..........

दूसरा अध्याय

१—[फर्द्र १५५] नियम अन्तर्गत अधिनियम लघु निर्माण सिंचाई हेतु।

अधिकारों के प्रयोग के अधीन की धारा ४७ उत्तर प्रदेश के अधिनियम लघु निर्माण सिंचाई सन् १९२० (उत्तर प्रदेश के अधिनियम १ सन् १९२० ई०)

१—(१) इन नियमों का नाम लघु निर्माण सिंचाई सन् १९२६ ई० होगा।

(२) ये नियम १ मार्च, १९२६ ई० से लागू होंगे।

२—इन नियमों में जब तक कोई प्रतिकूल विषय या प्रसंग न हो तब तक :

(१) अधिनियम का आशय है उत्तर प्रदेश की नहरों का अधिनियम लघु सिंचाई निर्माण सन् १९२० ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम नं० १ सन् १९२० ई०)

(२) शब्द नियम से आशय है नियम और बाद के संशोधन।

(३) शब्द कमिश्नर से वह अधिकारी का आशय है जो किसी कमिश्नरी के माल ... का सबसे उच्च अधिकारी हो।

(४) शब्द जिलाधीश से आशय है वह अधिकारी जो किसी जिले के माल ... का उच्च अधिकारी हो और उसमें डिप्टी कमिश्नर और सुपरिन्टेंडेंट, देहरादून सम्मिलित होंगे।

(५) अधिकारी नहर, अधीक्षण अभियन्ता नहर, डिवीजनल अधिकारी ना सब–डिवीजनल अधिकारी नहर से वही आशय है जो उत्तरी भारत की न और पानी के निकास के अधिनियम ८ सन् १८७३ ई० (८ सन् १८७ में लिए गये हैं।

३––जो नोटिस जिलाधीश धारा ४ (१) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत छप देंगे या किसी स्वामी को सूचना दें वह अंग्रेजी, उर्दू या हिन्दी में लिखा होगा उसमें नोटिस के छपने की तारीख और उस तारीख ⋯ के मध्य, जब कि कोई पर्या सुझाव धारा नं० ४ (२) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिया जा सके, कम से कम दिन का समय दिया जायगा।

४––(१) अधीक्षण अभियन्ता नहर व डिवीजनल अधिकारी नहर व सब–डि जनल अधिकारी नहर, जिनके अधिकार क्षेत्र में वह क्षेत्र स्थित हो, जो धारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विशेष रूप से नियत कर दिया गया है, धारा ८ अधीन इस बात के अधिकारी होंगे कि उस क्षेत्र के अन्दर किसी भूमि या उस समीप की दूसरी भूमि में प्रवेश करें या किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश करने के नियुक्त करें। किसी ऐसे कार्य करने के निमित्त, जो उस के विचार में प्रारम्भिक यो की तैयारी के लिये आवश्यक हो, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जि पद सब-डिवीजनल अधिकारी नहर से कम हो, इस कार्य के लिये नियुक्त नहीं जायगा।

(२) प्रवेश के लिये नोटिस (किसी निर्माण या अहाता या किसी रह मकान से मिला हो) धारा ८ उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अंग्रेजी, उर्दू या हिन्द लिखा होगा और प्रवेश की तारीख से कम से कम ३ दिन पूर्व दिया जावेगा।

५––जो स्वीकार पत्र स्वामियों से अधिनियम की धारा १० (१) (ब अधीन लिये जावेंगे। वह साधारण ढंग पर इन नियमों के परिशिष्ट १ में उल्लि प्रपत्र (अ) (ब) (स) या (द) में से किसी एक पत्र पर लिखे होंगे, लेकिन विशेष कारणवश किसी साधारण अवस्था में इन प्रपत्रों में प्रान्तीय सरकार स्वीकृति के पश्चात् परिवर्तन किया जा सकेगा या दूसरे प्रपत्र प्रयोग किये जा स प्रत्येक दशा में उन स्वीकार पत्रों पर जिलाधीश के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।

६––उन आपत्तियों को, जो जिलाधीश के समीप आये हों, अधिनियम की ११ (४) के अधीन प्रान्तीय सरकार के पास भेजने से पूर्व उस अधिकारी सम्मत्ति उन आपत्तियों के सम्बन्ध में ले लेंगे, जिसने प्रारम्भिक योजना की है।

७––जो आदेश अधिनियम की धारा १६ (१) (ज) के अनुसार जावेगा उसके पालन के लिए कम से कम ३ दिन का समय दिया जावेगा।

८––उन आदेशों के विरुद्ध, जो धारा १६ (ब) (स) और (ज) उक्त अधि के अन्तर्गत दिये जावेंगे अपील अधीक्षण अभियन्ता नहर के यहां की जावेगी धारा १६ (ब) उक्त अधिनियम के अधीन अपील जिलाधीश के यहां जावेगी।

९––उस दशा में जब कि प्रान्तीय सरकार या अधीक्षण अभियन्ता न पहले स्वीकृति लेकर कोई स्वीकार पत्र या स्वीकार पत्रों प्रान्तीय सरकार की नि दरों के विरुद्ध न छापे गये हों, तो जो कर धारा १६ (अ) उक्त अधि

के अधीन अधिकारी नहर लगावेंगे वह उन दरों के अनुसार होंगी जो प्रान्तीय सरकार की ओर से समय समय पर उत्तर प्रदेशीय सरकारी गजट में प्रकाशित होते रहे हैं। प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक दशा में डिवीजनल अधिकारी नहर को अधिकार होगा कि अधीक्षण अभियन्ता नहर से पहले स्वीकृति लेकर कोई कम दर लगा सकता है। दर की अनुसूची में जो चीजें सम्मिलित न होंगी उन पर कर उस दर से लगाया जायगा जो डिवीजनल अधिकारी नहर प्रत्येक पृथक् अभियोग में अधीक्षण अभियन्ता से पहले स्वीकृति लेकर नियत करे।

१०—यदि कोई व्यक्ति नाव या डोंगा तालाब या जलाशय में रखना चाहेंगे तो वह डिवीजनल अधिकारी नहर की लिखित आज्ञा से रख सकेगा।

११—समस्त अपील धारा २० (१) उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारित कर या कर लगाने के विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता नहर के यहां की जायेंगी। जिन का निर्णय अन्तिम होगा।

१२—जब किसी न्यायालय माल में कोई परिवाद किसी भूमि की दर लगान में वृद्धि या कमी के हेतु धारा २५ उक्त अधिनियम के अधीन चलाया जावे तो उक्त न्यायालय को उचित होगा कि डिवीजनल अधिकारी नहर के नाम कमीशन इस आशय से जारी करे कि उपरोक्त अधिकारी स्थानीय निरीक्षण करके दावे के सम्बन्ध में अपनी सम्मति दे। डिवीजनल अधिकारी अपनी रिपोर्ट मय उस साक्षी के, जो उसने ली हो, न्यायालय के समीप भेज देगा और इस बात की बाबत अपनी सम्मति प्रकट करेगा। क्या भूमि को नहर सिंचाई निर्माण से कोई लाभ पहुंचा है या हानि पहुंची है या लाभ पहुंचना बन्द हो गया है और यदि ऐसा हुआ है तो किस सीमा तक न्यायालय दावे के न्याय करने के समय उस सम्मति का ध्यान रखेगा।

१३—जो व्यक्ति धारा २६ (१) उक्त अधिनियम के अधीन सरकारी धन को, जो किसी तीसरे पक्ष से उचित हो, जमा करे और भुगतान का ठेका करे उस को वही शुल्क या पारितोषिक दिया जावेगा जो कि अधिनियम ८ सन् १८७३ (उत्तरी भारत के नहरों व निकास नाली) के अधीन नम्बरदारों या अन्य व्यक्तियों को समय समय पर दिया जाता है।

१४—डिवीजनल अधिकारी नहर की बिना लिखित आज्ञा के—(१) किसी ऐसी पटरी के निर्माण या मार्ग पर जो उक्त अधिनियम के अनुसार सरकार प्रबन्ध में हो या उसके आर-पार कोई व्यक्ति न स्वयं निकलेगा न किसी पशु या गाड़ी को ले जाने पावेगा। इसके पश्चात् कि उसे ऐसा करने से मना किया गया हो। अतिरिक्त उन पुलों, घाटों, पगडण्डों, उतरने वाले स्थानों के और उन तक पहुंचने के मार्गों के, जो सार्वजनिक प्रयोग के लिए बनाये गये हों, यदि कोई नोटिस अंग्रेजी, उर्दू या हिन्दी में ऐसे काम या पटरी या नाले और सड़क के संगम पर लगा हो। तो यह समझा जावेगा कि वह उस काम पर या उससे समीप होकर निकलने की मनाही करता है।

(२) कोई व्यक्ति किसी नहर या जलाशय में से अतिरिक्त कम्पनी के किसी अन्य साधन से मछली न पकड़ सकेगा। जो व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करेगा

यह धारा १२ उक्त अधिनियम के अधीन दण्ड का भागी होगा।

१५—जो नोटिस धारा १७ (२) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिया जावेगा वह हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू में लिखा होगा और उसमें जांच के लिए तारीख नोटिस से कम से कम २१ दिन के पश्चात् कोई दिन नियत किया जावेगा।

१६—डिवीजनल अधिकारी नहर इस बात के लिए बाध्य नहीं होगा कि किसी निर्माण कार्य में कोई निर्धारित की हुई कम से कम मात्रा में पानी एकत्रित रखे या किसी निर्माण कार्य को सम्पूर्ण या किन्हीं अंशों में खाली करे। इन विषयों में उसको पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

१७—सब-डिवीजनल अधिकारी नहर या डिप्टी रेवेन्यू अधिकारी नहर के किसी अधिकारी आदेश के विरुद्ध जो इस अधिनियम के अनुसार दिया जावे, अपील डिवीजनल अधिकारी नहर के यहां की जावेगी और डिवीजनल अधिकारी नहर के मूल अधिकारी आदेश के विरुद्ध अपील अधीक्षण अभियन्ता नहर के समक्ष की जावेगी।

समस्त विषय जिनके सम्बन्ध में डिवीजनल अधिकारी नहर और जिलाधीश के मध्य मतभेद हो। अधीक्षण अभियन्ता नहर कमिश्नर के पास भेज देंगे और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

१८—इन नियमों के अनुसार एक स्वतंत्र सब-डिवीजनल अधिकारी के अधिकार वही होंगे, जो एक डिवीजनल अधिकारी के हैं।

परिशिष्ट नं० १

जिसका उल्लेख नियम नं० ५ लघु सिंचाई निर्माण हेतु अधिनियम में आया है।

प्रथम स्वीकार-पत्र

फार्म (अ)

यह समझते हुये कि प्रांतीय सरकार (सिंचाई विभाग) तालाब/नहर स्थित मौजा ग्राम नम्बर खसरा बन्दोबस्त को निर्माण कराया है और ठीक दशा में सुरक्षित रक्खा। हम जमींदारान व हकदारान भूमि .... ग्राम .... स्वीकार करते हैं कि सिंचाई हेतु तालाब के पानी का बटवारा सिंचाई विभाग की ओर से हुआ करेगा। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि जो खेत इस तरह सींचा जावेगा उस पर वह कर पानी देने का समय-समय लगाया जावेगा। प्रतिबन्ध यह कि जो खेत अनुसूची (अ) में अंकित हैं उनकी सिंचाई हेतु जब कभी भी पानी मिल सकेगा दिया जा सकेगा। डिवीजनल अधिकारी नहर करेंगे। सारे कर पर पानी दिलाने के भागी होंगे।

हम यह भी स्वीकार करते हैं कि जो खेत के ऊपर भूमि तालाब का स्तर पानी से ऊंचा हो जाने के कारण सिंचाई न हो सकें उसके सींचने के लिये जो दर कर समय-समय पर लगाया जावेगा, भुगतान करेंगे और उस खेत पर भी कर इसी दर से पूर्व कुओं से सींचा जाता था। और अब तालाब की सींच में सम्मिलित कर लिया गया है अथवा जिसकी सींच की दशा तालाब निर्माण करने और उसको उचित दशा में रखने से कुओं में पानी ऊंचे हो जाने के कारण पहले से अच्छी हो गई"।

यदि हमारे और डिवीजनल अधिकारी नहर के मध्य में उस क्षेत्र के सम्बन्ध में जहाँ सिंचाई सुविधायें इस बाँध पर सुधार की गई हैं, मतभेद हो तो उसका अंतिम निर्णय जिलाधीश करेंगे। इस स्वीकार पत्र से उस भूमि के काश्तकार के अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमें कोई अधिकार ऐसे दावा करने का नहीं है कि उस तालाब में कोई कम से कम निश्चित संख्या पानी की रक्खी जावे। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि इस स्वीकार पत्र के आधार पर जितना धन भी जो प्रान्तीय सरकार का हम पर भुगतान योग्य होगा, प्रत्येक दशा में मालगुजारी के बकाया पर उगाही की जावेगी।

अधिकारी नहर   जिलाधीश

जमींदारान

यह प्रतिबन्ध निकाल दिया जावे यदि कोई प्रार्थना सीध नहीं है।

फार्म (ब)

यह समझते हुए कि प्रान्तीय सरकार (सिंचाई विभाग) ने तालाब स्थित······ नम्बर   खसरा बन्दोबस्त की निर्माण/ मरम्मत कराई है और उसकी सुधार कर के देखभाल की है। हम जमींदारान व हकदारान भूमि ग्राम·········स्वीकार करते हैं कि प्रान्तीय सरकार को वार्षिक धन ·······················दो किश्तों में चुकाते रहेंगे। अर्थात् धन·························खरीफ की किश्त में और धन·························रबी की किश्त में मालगुजारी के साथ भुगतान करते रहेंगे। यह तात्पर्य यह है कि भुगतान उस फसल की किश्त तक आरम्भ न होगी, जिसमें कि तालाब प्रथम बार प्रयोग में आवे। जिलाधीश डिवीजनल अधिकारी नहर से परामर्श करके धन के भुगतान में उस वर्ष कमी व वृद्धि करने के अधिकारी होंगे, जो इस ग्राम के पंचवर्षीय संशोधन के हेतु नियत होगा।

पानी का वितरण हमारे व अन्य जमींदारान हकदारान के हाथ में रहेगा। जो इस तालाब के सम्बन्ध में धन चुकावेंगे और किसी अपवाद की दशा में हमारे और अन्य व्यक्तियों के मध्य में हम स्वीकार करते हैं कि जिलाधीश का निर्णय अन्तिम होगा।

भूमि पर चुकाने योग्य पूर्ण धन निर्धारित किया जावेगा। प्रत्येक प्रकार की भूमि के क्षेत्रफल पर जो साधारण ढंग से इस तालाब से सींचे या अन्य साधन से सिंचाई हो सकता या तालाब के बाँध द्वारा योग्य क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र पर भी जो ऐसे कूपों से सींचा जा सके। जिनकी दशा तालाब से सुधर गई है (देखो नियम... आदेश अधिकारी माल व नहर) और यदि हम किसी कारण पानी बन्द करेंगे तो उस धन के भुगतान में कमी न हो सकेगी। लेकिन हम नहर विभाग से पानी के प्रबन्ध के सम्बन्ध में निःशुल्क सलाह पाने के अधिकारी होंगे। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि धन भुगतान उपलिखित रूप में हमसे प्रत्येक दशा में मालगुजारी के बकाया पर उगाया जा सकेगा।

अधिकारी नहर   जिलाधीश

जमींदारान

फार्म (स)

यह समझते हुये कि प्रान्तीय सरकार (सिंचाई विभाग) ने तालाब स्थित नम्बर ·· ···· ···· खसरा बन्दोबस्त की निर्माण/मरम्मत कराई है। हम जमींदारान व हकदारान भूमि ग्राम·········स्वीकृति देते हैं कि प्रान्तीय सरकार को वार्षिक धन दो किश्तों में चुकाते रहेंगे अर्थात् रुपयों में ······ आने खरीफ की किश्त में

और रुपये. .... में रबी की किस्त में उन्हीं तारीखों में चुकाते रहेंगे जिन जिन्सों पर उन फसलों की मालगुजारी भुगतान योग्य होगी, प्रतिबन्ध कि यह काम रहरी पत्र नं० ५/१ राजस्व बोर्ड मार्च कान की ओर से सुधारा हुआ समझा जाये और इस कारण से वह असली बन्दोबस्त में उन सब छूट और सुविधाओं का अधिकारी हो, जो नियम उपरोक्त लिखित के आधार पर उचित होगी; प्रतिबन्ध है कि भुगतान प्रथम फसल की किस्त तक, जिसके हेतु तालाब प्रयोग में रहे आरम्भ न होगी। पानी का वितरण हमारे व अन्य दखीलकारान व हलवाहान के हाथ में रहेगा जो इस तालाब की बाबत धन चुकावें। किसी अपवाद की दशा में अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों और हमारे साथ हम सहमत हैं कि जिला धीश का निर्णय अंतिम होगा। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि उपरोक्त तालाब को ठीक दशा में रखेंगे, जैसे निम्नांकित है :—

अर्थात .... वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर जितना शीघ्र हो सकेगा ओवरसियर विभाग/सुपरवाइजर कानूनगो उक्त तालाब का निरीक्षण करेंगे और इस बात की रिपोर्ट—सब/डिवीजनल अधिकारी जिलाधीश महोदय को करेंगे कि क्या साधारण दुरुस्ती होनी चाहिये।

ओवरसियर नहर/सुपरवाइजर कानूनगो को बताई गई।

एक प्रतिलिपि निरीक्षण की रिपोर्ट हमको देंगे जिस पर कि उनके हस्ताक्षर तारीख सहित होंगे, जिसमें विवरण इस मरम्मत व अनुमानित लागत का लेख होगा, जिसको वह आवश्यक समझें और इस रिपोर्ट की रसीद हमसे लेंगे। इस बारे में कोई आपत्ति जो हम चाहें इस निरीक्षण के १४ दिन के अन्दर डिवीजनल अधिकारी/जिलाधीश नहर के यहां और डिवीजनल अधिकारी/जिलाधीश नहर का निर्णय इस प्रकार की आपत्ति पर अन्तिम होगा।

यह मरम्मत हम अगली फरवरी की पहली तारीख से पूर्व कर देंगे। मगर फरवरी में इस काम का निरीक्षण वही अधिकारी पुनः करेंगे और यदि हम साधारण मरम्मत न करा सके तो प्रान्तीय सरकार उस काम को स्वयं कराकर हमसे आधी लागत उगाह सकेगी।

साधारण मरम्मत वह मरम्मत होगी जिसपर वार्षिक धन . . . से अधिक खर्च न पड़ेगा। जब साधारण मरम्मत पर किसी वर्ष इससे अधिक खर्च पड़े तो अधिक धन प्रान्तीय सरकार भुगतान करेगी और जब किसी विशेष रूप की मरम्मत अर्थात् उसकी मरम्मत की आवश्यकता होगी तो उसका समस्त व्यय सरकार करेगी, प्रतिबन्ध है कि यदि साधारण मरम्मत से अधिक या इस प्रकार की विशेष मरम्मत की आवश्यकता हमारे किसी जान बूझ कर हरकत या असावधानी के कारण से हो, जो सिद्ध हो सके तो हम उसके भुगतान के भागीदार होंगे। ऐसी मरम्मत का व्यय जो सरकार कराये, जो हमारी तरफ इस ढंग पर उचित हो, जिसके विषय में ऊपर कहा गया है, वह सम्बरदार द्वारा हममें से प्रत्येक से अनुपात में भूमि पर जिसे लाभ पहुंचा हो और हमारे आधिपत्य में हो, उगाहा जा सकेगा, लेकिन हम सब पृथक्-पृथक् और मिलकर उस धन के भुगतान के, जो प्रान्तीय सरकार हमारे मरम्मत न कराने के कारण स्वयं व्यय

करेंगी, उसी ढंग में उत्तरदाई होंगे जैसे कि मालगुजारी के धन को। यदि इस खण्ड के आधार से कोई झगड़ा किसी भागीदार के भाग के बारे में होवे या साधारण मरम्मत के अतिरिक्त अधिक धन के या विशेष मरम्मत की चुकौती की उत्तरदायित्व के बारे में हो तो जिलाधीश का निर्णय अन्तिम होगा।

जो धन इस स्वीकार पत्र के आधार से प्रान्तीय सरकार को उचित हो, वह सब मालगुजारी की भांति उगाहा जा सकेगा।

अधिकारी नहर　　　　　　　　　　　　　　　　जिलाधीश
जमींदारान

फार्म (द)

यह स्वीकार करते हुए कि प्रान्तीय सरकार (सिंचाई विभाग) ने तालाब स्थित········ नम्बर··················· जो उत्तरा बन्दोबस्त ग्राम की निर्माण/मरम्मत कराई है, हम ······················ जमींदारान उक्त ग्राम के सहमत हैं कि प्रान्तीय सरकार को वार्षिक लगान निर्माण/मरम्मत का चार प्रतिशत दो किस्तों में उन्हीं तारीखों पर जो मालगुजारी (भूमिकर) चुकता करने के लिये नियत है, चुकाते रहेंगे अर्थात नियत धन पर खरीफ की किस्त रुपयों में······आने······के हिसाब से और रबी की किस्त में रुपयों में······आने······के हिसाब से सर्वदा इस प्रतिबन्ध पर कि यह कार्य राजस्व बोर्ड के गश्ती पत्र नं० (५/१) के अर्थों में स्वामियों की ओर से सुधार हुआ माना जावे और इसलिये मूल्यधन में जो वृद्धि इसके कारण से हो वह अगले बन्दोबस्त के समय मालगुजारी के धन से मुक्त रहे। साधारण मरम्मत वह होगी जिसकी लागत तालाब की लागत के दस प्रतिशत से अधिक न हो, लेकिन जहां तक सम्भव हो, साधारण मरम्मत की लागत पांच प्रतिशत के अन्दर ही रक्खी जावेगी। विशेष मरम्मत अर्थात् वह मरम्मत जो लागत संभारी तालाब के दस प्रतिशत से अधिक होगी, केवल सरकार के व्यय से कराई जावेगी। जब तक कि यह सिद्ध न हो जावे कि वह हानि जिसकी मरम्मत होगी हमारी असावधानी या किसी जानबूझ की हरकत के कारण हुई है। समस्त सुधार प्रान्तीय सरकार करावेगी और उसकी लागत जैसा कि ऊपर बताया गया है, नम्बरदार या नम्बरदारान के द्वारा हम में प्रत्येक से अनुपात से उस भूमि पर जिसे लाभ पहुंचा हो, जो हमारे आधिपत्य में हो, चुकाने योग्य होगी और हम सब पृथक २ और मिलकर उस धन को, जो प्रान्तीय सरकार को हमारे ऊपर उचित हो, इस भांति चुकाने के भागी होंगे जैसा कि मालगुजारी के यदि इस खण्ड के आधार से कोई झगड़ा किसी साझेदार की ओर से उसके भाग के बारे में पैदा हो तो जिलाधीश का निर्णय अन्तिम समझा जायगा। समस्त धन जो इस स्वीकार पत्र के अधीन भुगतान देय हो प्रत्येक दशा में मालगुजार के ढंग पर वसूल की जा सकेगी या किसी अन्य प्रकार से जैसा जिलाधीश प्रचलित रीति के अनुसार प्रयोग में लाने का निश्चय करें, प्रान्तीय सरकार फार्म (द) को जगह इस तालाब के लिए फार्म (स) स्थायी या अस्थायी ढंग पर बदलने के लिए तैयार है। यदि जमींदारान प्रार्थना-पत्र पर जिलाधीश या डिवीजनल अधिकारी नहर इस बात पर राजी हों कि जमींदारान उस तालाब को अच्छी दशा में रखने के योग्य हैं।

अधिकारी नहर　　　　　　　　　　　　　　　　जिलाधीश
जमींदारान

(१५६-ग) नियम जो ऐक्ट अधिनियम ८, सन् १८७३ ई० के अन्तर्गत परिवर्तित किये गये हैं, राजकीय नलकूप पर लागू होंगे।

(१) देखो नियम १ अधिनियम नहर के अधीन।

(२) देखो नियम २ अधिनियम नहर के अधीन।

(३) देखो नियम ३ अधिनियम नहर के अधीन।

(४) नई सिंचाई का प्रवेश। नियमतः नीचे की मिट्टी के पानी से पानी निकालने की मात्रा एक या ... प्रति एकड़ प्रति वर्ष सील कमाण्ड किए हुए क्षेत्र से अधिक नहीं होगी।

(५) देखो नियम ५ अधिनियम नहर के अधीन।

(अ) देखो नियम अ अधिनियम नहर के अधीन।

(ब) देखो नियम ब अधिनियम नहर के अधीन।

१५३

(स) देखो नियम स अधिनियम नहर के अधीन।

(द) देखो नियम द अधिनियम नहर के अधीन।

१५३

(७) देखो नियम ७ अधिनियम नहर के अधीन।

(अ) देखो नियम अ अधिनियम नहर के अधीन।

(ब) देखो नियम ब अधिनियम नहर के अधीन।

(८) देखो नियम ८ अधिनियम नहर के अधीन

(९) जानवरों को पानी पिलाने के लिये तालाबों का भरना।

तालाब उन दरों पर, जो प्रदेशीय राज्य बनाये गये नियमों के अनुसार, हों नलकूप द्वारा भरे जा सकते हैं

(१०) तालाबों अथवा प्राकृतिक गड्ढे (Depression) से सिंचाई।

जब कोई तालाब किसी राजकीय नलकूप से भरा गया हो, उससे सींच करने की आज्ञा डिवीजनल अधिकारी अपने निर्णय (Discretion) से दे सकता है। जो कर लगाया जायगा वह प्रदेशीय राज्य के बनाये गये नियमों के अनुसार होगा।

(११) देखो नियम ११ अधिनियम नहर के अधीन

(१२) देखो नियम १२ अधिनियम नहर के अधीन

(१३) देखो नियम १३ अधिनियम नहर के अधीन

(१४) खारिज (नलकूप नहर पर लागू नहीं है)

(१५) देखो नियम १५ अधिनियम नहर के अधीन

(१६) देखो नियम १६ अधिनियम नहर के अधीन

(१७) देखो नियम १७ अधिनियम नहर के अधीन

(१८) देखो नियम १८ अधिनियम नहर के अधीन

(१९) सींच कर का लगाना—नलकूप द्वारा की गई सींच का कर ... ऐक्ट की धारा ७५ के अधीन प्रदेशीय राज्य द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार तथा निम्नलिखित नियम २०, २१, २७ व २८ के अधीन होगा। जब प्रदेशीय राज्य ने राज्य के व्यय से गूलें बनवाई हों, जिससे पानी का वितरण सुचारुरूप से तथा उसका प्रबन्ध किफायत (किफायतशारी) से होगा अथवा सिंचाई की शीघ्र वृद्धि हो तो चार आना प्रति एकड़ के हिसाब से अधिक कर कुल क्षेत्र पर जो गूलों से सींचा जाता हो लगाया जा सकता है।

उस अवधि के लिए जब तक बनाने की लागत ब्याज सहित जो लागत के ६ प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से लगा हो, प्रदेशीय राज्य को चुकता न हो जाय।

(२०) पलेवा पर कर का लगाना—पलेवा पर कर प्रदेशीय राज्य की विज्ञप्ति के अनुसार लगेगा।

(२१) मिली हुई जिन्स पर कर सींच लगाना राजकीय नलकूप पर लागू नहीं है।

(२२) जित अरहर पर कर का लगाना—राजकीय नलकूप पर लागू नहीं है।
(२३) " " " " " " राजकीय नलकूप पर लागू नहीं है।
(२४) " " " " " " राजकीय नलकूप पर लागू नहीं है।
(२५) " " " " " " राजकीय नलकूप पर लागू नहीं है।
(२६) " " " " " " राजकीय नलकूप पर लागू नहीं है।
(२७) " " " " " " राजकीय नलकूप पर लागू नहीं है।
(२८) देखो नियम २८ अधिनियम नहर के अधीन।
(२९) राजकीय नलकूप पर लागू नहीं है।
(३०) " " " " "
(३१) " " " " "
(३१-अ) राजकीय नलकूप पर लागू नहीं है।
(३२) देखो नियम ३२ अधिनियम नहर के अधीन।
(अ) राजकीय नलकूप पर लागू नहीं है।
(३३) देखो नियम ३३ अधिनियम नहर के अधीन।
(३४) " ३४ " "
(३५) देखो नियम ३५ अधिनियम नहर के अधीन
(३६) " ३६ "
(३७) " ३७ "
(३८) " ३८ "
(३९) " ३९ "
(४०) " ४० "
(४१) " ४१ "
(४२) " ४२ "
(४३) " ४३ "
(४४) " ४४ "
(४५) " ४५ "
(४६) " ४६ "
(४७) " ४७ "
(४८) " ४८ "
(४९) " ४९ "
(५०) " ५० "
(५१) " ५१ "
(५२) " ५२ "
(५३) " ५३ "
(५४) ता ८१, राजकीय नलकूप लागू नहीं है।
(८२) देखो नियम ८२ अधिनियम नहर के अधीन।
(८३) राजकीय नलकूप पर लागू नहीं है।
(८४) देखो नियम ८४ अधिनियम नहर के अधीन।
(अ) " (अ) "
(ब) " (ब) "

(८५) देखो नियम ८५ अधिनियम नहर के अधीन
(८६) " ८६ "
(८७) " ८७ "
(८८) " ८८ "
(८९) " ८९ "
(९०) " ९० "
(९१) राजकीय नलकूप पर लागू नहीं है।
(९२) देखो नियम ९२ अधिनियम नहर के अधीन।

टिप्पणी— विज्ञप्ति, जो प्रान्तीय सरकार ने अधिकारीगण नहर की जानकारी के लिए जारी किये हैं।

परिच्छेद नं० ५५९, धारा ७०, अधिनियम नहर नं० ८, सन् १८७३ ई०

१—निम्नलिखित धारायें विधान की क्षमता नहीं रखती मगर अधिकारीगण नहर की जानकारी के लिये लिखी जाती हैं। जिन कार्यों का आगे विवरण है, वह केवल वही हैं, जो सरकार की राय में अन्तर्गत धारा ७०, अधिनियम ८, सन् १८७३ ई० अपराध माने जा सकते हैं।

उपधारा १ (अ) जो व्यक्ति किसी नहर या पानी के निकास के नाले को क्षति पहुंचाये, निम्नलिखित बातें इस उपधारा के अन्दर अपराध मानी जाती हैं:—

(१) क्षति नहर—जिसमें सम्मिलित हैं—किसी नहर, राजबहा, गूल, स्केप, फिल्टर नाला, चकबन्दी नाला, प्राकृतिक पानी के निकास के नाले या पुश्ते की पटरी काटना या दामबेल का मिटाना।

(२) क्षति भूमि—जिसमें सम्मिलित हैं—बिना आज्ञा नहर की भूमि से मिट्टी, घास या पौदा खोदना या उस पर वृक्ष लगाना या खेती करना।

(३) क्षति निर्माण—जिसमें सम्मिलित है—हर प्रकार के पक्के काम और उनके सम्बन्धित भाग-मकान चाहे वह नहर पर हों या राजबहा, गूल, स्केप, फिल्टर, नाले, चकबन्दी नाले या प्राकृतिक पानी के निकास के नाले पर हों।

(४) क्षति कल पुर्जे—जिसमें सम्मिलित हैं—समस्त कल पुर्जे जिनसे पानी की घटा-बढ़ी की जाती है। जैसे कड़ियाँ, जंजीर, किवाड़, शिलपट, तख्ते, तमाम पुल चढ़ाने के कल पुर्जे, तमाम फिल्टर नालों के कल पुर्जे व चक्की की तमाम मशीन।

(५) क्षति टट्टी—जो नहर की भूमि पर लगी हो चाहे वह टट्टी किसी प्रकार की हो।

(६) क्षति फाटकों की।

(७) क्षति अस्थाई निर्माण—जैसे अस्थायी मोरी, पुल आदि, अस्थायी मॉडेल के अन्दाज व दरारें, खूंटे दबकर और लाठीलें, जो पटरी व तखी आदि की रक्षा हेतु हों, मील पत्थर या नहर की भूमि पर अन्य दूरी बतलाने वाले चिन्ह।

(८) क्षति पैदावार अर्थात् पेड़, वृक्ष फल घास, बीज या अन्य उपज।

उपधारा (ब) जो व्यक्ति किसी नहर या पानी के निकास के नाले को बदले या बढ़ायें। इसमें किसी राजबहा, गूल, स्केप व प्राकृतिक पानी के निकास के नाले का बदलना या वृद्धि करना सम्मिलित है।

१—(स) जो कोई किसी नहर या प्राकृतिक पानी के निकास के नाले में रुकावट पैदा करे उसमें सब प्रकार की रुकावट व बन्द का लगाना सम्मिलित है।

(१) किसी नाले या प्राकृतिक पानी के निकासी के रास्ते में जो पानी के बहने या गुजरने के लिये सरकार के प्रबन्ध में हो या जिसको सरकार देख-भाल करती हो, या

(२) किसी नदी, सोता, झील या प्राकृतिक पानी का जमाव या प्राकृतिक नाले के किसी भाग में, जो सरकार ने धारा ५ उक्त अधिनियम से घोषित कर दिया हो या

(३) किसी गूल में बिना सम्मति उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की, जो उसको प्रयोग में लाते हों या बिना आज्ञा सब-डिवीजनल अधिकारी नहर की, जबकि उसने उक्त अधिनियम की धारा ६८ के अधीन कोई आदेश जारी किये हों उपधारा २ (अ) जो कोई किसी नहर या पानी के निकास में, जो पानी हो उसमें हस्तक्षेप करे, उसमें सम्मिलित है। किसी झील में बिना आज्ञा सिंगियर या तख्ती डालना या उनको निकाल देना, पानी की मोरियों के किवाड़ों का खोलना या बन्द करना, बिना आज्ञा ऐसे समय में जिसमें अधिकार न दिया गया हो, बरसाती पानी के इनलेट के प्रबन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना।

जो बाढ़ के नाले नहर को पार करके गुजरें चाहे नहर के ऊपर से या नीचे से या बराबर सतह पर उनके प्रबन्ध में हस्तक्षेप करना।

२—(ब) जो कोई पानी की आमद को घटावे या बढ़ावे, उसमें सम्मिलित है, रेगुलेशन के कामों में पानी की घटत बढ़त करना चाहे वह नहर के या शाख नहर के या स्केप रजबहा या चक्की नाले के हों, बन्दी या तातील के समय गूल के दहाने (कुलावे) खोलना। जिस कुलावे को कोई अन्य व्यक्ति प्रयोग करता है, उसको बन्द करना।

३—जो कोई किसी नदी या सोते के पानी के बहाव को बदले या उसमें हस्तक्षेप करे, उसमें सम्मिलित है, प्रत्येक प्रकार के कामों को जो किसी नदी को सीधा करने या काबू में लाने के लिए बनाये गये हों, क्षति पहुँचाना। जैसे बन्धात की मोकों में से खूटों या वृक्षों का या खदीलों आदि में से कोलों या लकड़ी का निकाल लेना।

४—जो व्यक्ति किसी गूल के सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व हो या प्रयोग करता हो और आबलाया के रोकने में उचित सावधानी न बरते, या उसके पानी के उचित वितरण में हस्तक्षेप करे या अनुचित रूप से पानी का प्रयोग करे, उसमें सम्मिलित है।

पानी का नष्ट करना

किसी गूल के भागीदारान के स्थापित पानी के बटवारे में हस्तक्षेप करना। नोट—ऐसी दशा में कोई नहर का कर्मचारी अभियोग नहीं चला सकता है।

बिना आज्ञा तालाबों का भरना

९—जो कोई किसी नहर के पानी को गन्दा करे या इस प्रकार बिगाड़े, जिसके कारण से लाभ कम हो जायें, जिसके लिए साधारण रूप से प्रयोग होता हो, उसमें सम्मिलित है। लाशों या सन या किसी प्रकार के कूड़े का किसी नहर में फेंकना या उसमें सन को भिगोने के लिए डालना।

१०—जो किसी ऐसी पत्थर या लेविल के चिह्न को, जो किसी सरकारी कर्मचारी के आदेश से लगाया गया हो, नष्ट करे या हटा दे, इसमें सम्मिलित है। है मार्क को हानि पहुँचाना, लेविल की खूंटियों को उखाड़ डालना, पंसाल को हटाना शासन क्षति पहुँचाना।

ऊपर लिखी हुई परिभाषा और श्रेणी उन अपराधों की है, जो कि धारा ७० अधिनियम ८ सन् १८७३ ई० में आ सकते हैं, पूर्ण नहीं है। अन्य अपराधों की अन्य श्रेणी समय-समय पर स्वयम् देखने में आवेंगे।

परिच्छेद १७०—सिंचाई के वितरण परिवर्तन

१—यद्यपि किसी स्थान पर नहर का पानी दिये जाने से यह अधिकार स्थापित नहीं होता कि वर्तमान दशा वितरण की जारी रक्खी जावे फिर भी सींच के साधन मौजूद होने से चूंकि भूमि को लाभ पहुंचा है तो सरकार पर इस बात की व्यावहारिक जिम्मेदार होती है कि बिना किसी विशेष कारणों के इसमें कोई परिवर्तन न करे।

२—किसी नहर के खुलने के समय नहर विभाग को अधिकार है कि पानी दे या न दे, लेकिन पानी देने के पश्चात् उसे यह उचित नहीं है कि बिना उन नये विषयों पर ध्यान दिये जो नहर के पैदा हो गये हैं, अकारण पानी का देना बन्द करदे। पानी के देने से आर्थिक दशा में परिवर्तन हो जाता है, खेती के रूप बदल जाते हैं, कुएं छोड़ दिये जाते हैं, लगान बढ़ जाते हैं, जनसंख्या, मण्डियों और भावों पर प्रभाव पड़ता है। चूंकि पानी के बन्द करने से जनता के निजी लाभों पर अत्यन्त अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी कार्यवाही बहुत ध्यान के पश्चात् प्रयोग में लानी चाहिये।

विभाजन पानी में परिवर्तन की आवश्यकता बहुत कारणों से हो सकती है। वर्तमान प्रबन्ध सींच ठीक न हो और जिलों के अधिकार के लिहाज से यह उचित हो कि जिन टुकड़ों में आवश्यकता से अधिक पानी मिल रहा हो उसे कम किया जाय, भूमि की सतह ऊंची हो जाने के कारण इस बात की आवश्यकता हो कि नहर का पानी बिलकुल बन्द कर दिया जाय या कम कर दिया जाय।

३—पानी की मितव्ययता के उचित ढंगों के लागू होने से बिना किसी को क्षति या कष्ट पहुंचाये लाभदायक परिणाम हो सकते हैं। जहां पानी के कम करने की आवश्यकता हो वहां कमी का कोई विशेष अनुपात कारण पैदा करके उसके आधार पर तजवीज करना उचित नहीं है। कमी का एक साधारण सिद्धान्त बनाया जा सकता है लेकिन हर भूमि भाग या पट्टी की अलग-अलग दशा का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रत्येक गांव की कार्य शैली इस प्रकार भिन्न होती है कि किसी सिद्धान्त के लागू करने में पूर्ण स्वतन्त्रता से काम लेना चाहिये।

पानी का दोबारा विभाजन खुदकाश्त के आधार पर नहीं होना चाहिए अपितु साधारण वर्षों के औसत क्षेत्र सींच पर करनी चाहिये।

४—जब किसी भूमि भाग या जिला में पानी का कम करना उचित हो पहले आम सुझाव (तजवीज) मुख्य अभियन्ता की स्वीकृति के हेतु भेजा जाय यदि वह स्वीकृत हो जाय तो डिवीजन अधिकारी को जिलाधीश की सम्मति से विस्तार पूर्वक योजना तैयार करनी चाहिये। अधीक्षण अभियन्ता को आवश्यक है कि अन्तिम विवरण सहित योजना को सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजने से पूर्व कमिश्नर की सम्मति ले लें। देखो नियम अन्तर्गत विधान नहर।

परिच्छेद १७१—नहर से पानी देने की बन्दिश

१—पानी की जिस बारी का अधिकार नियम १५ अधिनियम नहर के अन्तर्गत लिया गया है वह दण्ड के रूप में किसी दशा में लागू नहीं की जावेगी। वास्तव में ऐसी कार्यवाही विधानानुसार वर्जित है (मना है) क्योंकि यह उन दशाओं में जिनमें बन्दी सींच का आदेश है, किसी में भी शामिल नहीं है। अधिनियम

अधीन बन्दी पानी का सर्वाधिकार डिवीजनल अधिकारी नहर को प्राप्त है। परन्तु सब-डिवीजनल अधिकारी को इस बात का अधिकार (मजाज) है कि अधिक आवश्यकता के समय अस्थायी रूप से बन्दी का आदेश दे। जब किसी सब-डिवीजनल अधिकारी को ऐसा करने की आवश्यकता पड़े, वह तुरन्त अपने उच्च अधिकारी को इस बात की सूचना दे। और पूरे कारण इस बात के देवे कि क्यों ऐसी कार्यवाही प्रयोग में लाई गई।

२—परोक्त लिखित नियमों में अधिकारी नहर को अपने अधिकार से अति आवश्यकता के समय किसी गूल को बन्द कर देने या पानी को रोक देने में कोई बाधा न होगी।

परिच्छेद $\frac{१७२ \text{ (IV संस्करण)}}{३०६ \text{ (V संस्करण)}}$—स्थायी कुलावे

१—नहरों के समस्त कुलावे जिनकी गूल से पानी दिया जाय, सरकारी व्यय से बनाये जावेंगे और देखभाल किए जावेंगे। कुलावों के प्रबन्ध का व्यय दोषों के ... अथवा फिर से तैयार करने की अनुमानित लागत में सम्मिलित किया जाता।

डिवीजनल अधिकारी को नये कुलावों की या स्थित की ऐसे अनुमानित व्यय की मंजूरी हो जाने पर भी इन कुलावों पर व्यय करने का अधिकार नहीं है। जब तक कि अधीक्षक अभियन्ता उसके विस्तृत प्रस्ताव की स्वीकृति न देवे।

२—डिवीजनल अधिकारी नये कुलावों के या स्थित कुलावों के अलग करने या ... या स्थान में परिवर्तन करने के समस्त प्रस्ताव आई० बी० फार्म नं० ३१ पर ... अधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेजेगा। अधीक्षक अभियन्ता (सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर) को नये कुलावे की स्वीकृति देने या स्थित कुलावे के स्थान में परिवर्तन अथवा बहन ने काम या कुलावे को अलग करने का अधिकार है। यदि ... कुलावे के भागदार परिवर्तन स्थान पर आपत्ति करें तो जिलाधीश की स्वीकृति प्राप्त की जायगी।

विस्तृत कुलावा वितरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता की स्वीकृति ली जावेगी।

प्रत्येक तिमाही के पश्चात् अधीक्षक अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता के कार्यालय को एक प्रतिलिपि सूचना हेतु आई० बी० फार्म नं० ३१ पर नये स्वीकृत कुलावे और स्थित कुलावे के बहन में परिवर्तन और उनको अलग करने की भेजेंगे।

३—प्रत्येक प्रस्ताव आई० बी० फार्म ३१ पर होगा और उसके साथ नक्शा १६" ... कुलावे का स्थान, गूल का अलाइनमेन्ट और कुलावे के कमान्ड का क्षेत्र और ... तरफ के कुलावों का नक्शा शामिल होगा, स्थित व प्रस्तावित सिंचाई स्पष्ट रूप से ... में दिखा दी जायगी।

प्रत्येक विषय के साथ एक नक्शा शामिल होगा, यदि अधिक मात्रा में परिवर्तन ... तो उसके साथ एक कावरशीट तैयार की जावेगी, और स्वीकृत परिवर्तन भविष्य में ... के लिए स्पष्ट रूप से दिखाये जायेंगे।

४—स्थाई कुलावों का रजिस्टर डिवीजन, सबडिवीजन, डिप्टी रेवेन्यू अधिकारी ... के कार्यालय में रक्खा जायगा और कोई परिवर्तन होने पर सब हवाला ... से अधिकारी के स्वीकृति संकेत सहित ठीक की जायगी।

IMO Para 306 V सम्भाग को निर्देश

जांचे कुलाबात

EE- 2%

AE- 20%

DRD- 5%

JE - 100%

Ziledar- 20%

५—जांच कुलाबे जात इस प्रकार की जावेगी :—

(१) इस सम्बन्ध में पतरौल के कर्तव्य (Out line of Irrigatio[n] Revenue Procedure) के पृष्ठ ७ पर निर्धारित किए गये हैं और अधिशासी अभियन्ता को देखना चाहिये कि निर्धारित प्रमाण-पत्र (Certificate) कुलाबे जात जिलेदारी प्राप्त हुए हैं।

(२) जिलेदार को कम से कम २० प्रतिशत कुलाबों की जांच प्रतिवर्ष करनी चाहिए और अन्तर मालूम होने पर तुरन्त रिपोर्ट करनी चाहिए। जिन दोष की जांच प्रतिवर्ष की जावेगी उन्हें अधिशासी अभियन्ता अक्तूबर माह में निर्धारि[त] करेंगे। जिलेदार को १ अक्तूबर को अपनी वार्षिक जांच का प्रमाण-पत्र डिप[्टी] रेवन्यू आफिसर के पास भेजना चाहिये और साथ-साथ यह प्रमाण देंगे कि उन[के] पतरौलान से समस्त प्रमाण-पत्र कुलाबेजात प्राप्त हो गये हैं और अन्तर का विव[रण] रूप से वर्णन करेंगे।

(३) डिप्टी रेवेन्यू आफिसर को परताल के समय कुल या वहीं से कुलाबों [की] जांच करनी चाहिए और अन्तर मालूम होने पर तुरन्त रिपोर्ट करनी चाहि[ए]। डिवीजन के कुल कुलाबेजात का ५ प्रतिशत प्रति वर्ष जांच करना चाहिए [और] १५ अक्तूबर को एक प्रमाण-पत्र (Certificate) जांच का जिलेदार साहिबान के प्रमा[ण] पत्र सहित जो प्राप्त हुये हों अधिशासी अभियन्ता के पास भेजना चाहिए।

(४) ओवरसियर हल्का को प्रति वर्ष समस्त कुलाबों की जांच करनी चाहि[ए] और अन्तर की सूचना तुरन्त करनी चाहिए, वार्षिक जांच का प्रमाण-पत्र प्रति [वर्ष] की १ अक्तूबर को सब-डिवीजनल अधिकारी के पास अन्तर पाये जाने वाले कुला[बों] का अब तक ठीक न करने के कारण के साथ भेजना चाहिए।

(५) सब-डिवीजनल आफिसर को अपने सब-डिवीजन के कुल कुलाबे [जात] का २० प्रतिशत प्रतिवर्ष जांच करना चाहिए, जोकि वह जांच करने [के लिए] की माह अक्तूबर में अधिशासी अभियन्ता ने नियत किए हैं।

अन्तर मिलने पर शीघ्र रिपोर्ट करनी चाहिए। अपने जांच [के] प्रमाण-पत्र ओवरसियरों के जांच के प्रमाण-पत्र सहित १५ अक्तूबर [को] डिवीजनल अधिकारी के पास भेज देना चाहिये।

६—अधिशासी अभियन्ता स्वयं अपने डिवीजन के कुलाबे जात का २ प्रति[शत] जांच करेंगे। यह जांच इस प्रकार की जायगी जिससे आफिसर व कर्मचारि[यों] जांच किये हुओं पर उचित प्रभाव पड़ सके। डिवीजनल अधिकारी प्रतिवर्ष [सि]तम्बर में आफिसरों द्वारा कुलाबे जांच करने का प्रोग्राम अगले वर्ष के लि[ए] माह अक्तूबर से आरम्भ होना तैयार करेंगे। यह प्रोग्राम इस ढंग से तैयार [किया] जायगा, जिससे डिवीजन के अन्दर सब-डिवीजनल आफिसर, डिप्टी रेवेन्यू [आफि]सर और जिलेदार साहबान हर कुलाबे की ३ वर्ष में एक बार अवश्य जांच [कर] सकें।

७—जांच कुलाबों का प्रमाण-पत्र निम्नलिखित छपे फार्म पर होने [के] यह दोहरा तैयार होगा। उनमें से एक प्रतिलिपि उचित प्रणाली द्वारा अधि[शासी] अभियन्ता के पास जांच व आदेश हेतु भेजनी चाहिये और उसकी पूर्ति हो[ने] के पश्चात् डिवीजनल कार्यालय में सावधानी के साथ अभिलिखित (Recorde[d]) [की] जायगी और एक विशेष बस्ते में दस वर्ष तक रहेगी। दूसरी प्रतिलिपि स[ब-डिवीजनल] अधिकारी के कार्यालय में इसी प्रकार दस वर्ष तक रहेगी।

सकिल.........................

डिवीजन.........................

कुलाबों का जांच प्रमाण पत्र.........................

सोतों का नाम.........................

हस्ताक्षर.........................

जांच आफिसर का पद.........................

८—अधिशासी अभियन्ता उन सब प्रमाण-पत्रों को जो आधीन अधिकारियों से प्राप्त हुए हैं, जांच करके और अन्तर को ठीक कराने की तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

परिच्छेद $\frac{१७३}{३०७}$ आरजी (अस्थायी) कुलाबे जात

१—डिवीजनल आफिसर प्रस्ताव भेजने में सावधानी पूर्वक यह निश्चय करने के लिए जांच करेंगे कि स्थायी कुलाबों की स्वीकृति से अन्य स्थान में पानी की कमी न हो जावे।

साधारणतया उन सोतों पर जिन पर बिना तातील पानी पहुंचता हो, यदि अस्थायी कुलाबे देने से तातील की आवश्यकता पड़ने लगे तो नहीं देना चाहिए।

२—डिवीजनल आफिसर अधीक्षण अभियन्ता को काफी पहले से विस्तार सहित रिपोर्ट भेजेंगे यदि फसली कुलाबों की अगली फसल के लिए आवश्यकता हो और फसली कुलाबों की मांग के समर्थन के लिए ऐसे सोतों के नाम स्पष्ट रूप से लिखेंगे, जिन पर फालतू पानी फसल में उपलब्ध है।

वह अपनी रिपोर्ट में यह भी वर्णन करेंगे कि सोतों के अन्त के सिंचित क्षेत्र में किस हानि पहुंचने लगेगी। कितनी ६" इकाई (यूनिट) की प्रत्येक सोतों को आवश्यकता है, इस आधार पर अधीक्षण अभियन्ता प्रत्येक फसल के आरम्भ में अस्थायी कुलाबों का प्रत्येक डिवीजन के लिये एक भाग (quota) नियत करेंगे।

डिवीजनल आफिसर इस विषय में आवश्यक सूचना पर ध्यान देते हुये भाग में कुलाबे स्वीकार करेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि तुरन्त अधीक्षण अभियन्ता के पास भेज देंगे।

३—प्रत्येक स्वीकृति अस्थायी कुलाबा लगाने से पूर्व प्रार्थियों में से जो मनुष्य सब से अधिक उत्तरदायी हो, अपनी और अन्य व्यक्तियों की ओर से जो उस कुलाबे से सिंचाई करते हों, निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार स्वीकार-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा।

मैं————पुत्र————कौम————निवासी ग्राम————परगना————जिला————अपनी ओर से और उन सब व्यक्तियों की ओर से जो इस कुलाबे से जो रजबहा————के मील————फर्लांग पटरी————पर अब दिया गया है, सिंचाई करेंगे। इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं अच्छी प्रकार समझता हूं कि उक्त कुलाबा निम्नांकित शर्तों पर दिया गया है:—

प्रथम—यह कुलाबा वर्ष की वर्तमान फसल की सिंचाई के लिये दिया गया है।

द्वितीय—यह कुलाबा स्थायी है।

तृतीय—वर्तमान फसल के समाप्त होने पर यह कुलाबा उखाड़ दिया जायगा।

(T. D. SHARMA)
ASSTT. RESEARCH OFFICER-II
HYDRAULICS DIVISION-I
I.R.I., ROORKEE

इस स्वीकार-पत्र पर दो साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जायेंगे जिनमें से यदि सम्भव हो तो एक लेखपाल होगा ।

४—अस्थायी स्वीकृत कुलाबों का एक रजिस्टर, जो अंग्रेजी में होगा डिवी[illegible] आफिस में रखा और कार्यालय के निरीक्षण के समय दिखाया जायगा । रजिस्टर निम्नांकित स्तंभों में होगा :—

(१) नाम सींचा ।
(२) स्थान ।
(३) पटरी ।
(४) कुलाबे का व्यास ।
(५) ग्राम ।
(६) उत्तरदायी प्रार्थी का नाम ।
(७) नम्बर व तिथि अधिशासी अभियन्ता की स्वीकृति की ।
(८) तारीख लगाने की ।
(९) लगाने वाले का नाम ।
(१०) उखाड़ने की तारीख ।
(११) जिसने उखड़ने के पश्चात् निरीक्षण किया हो ।
(१२) तारीख निरीक्षण ।

कुलावा लगाने वाला अधिकारी नम्बर १ से ८ तक के पीरियड की [illegible] सहित सूचना डिवीजनल अधिकारी को सब-डिवीजनल अधिकारी के द्वारा देगा [illegible] डिप्टी रेवेन्यु अफिसर व जिलेदार को भी सूचित करेगा ।

५—सब-डिवीजनल आफिसर कुलावा के ठीक दहन व स्थान पर लगाने [illegible] उत्तरदायी होगा, लगाने व उखाड़ने का देखभाल के सरकारी व्यय में दिखाया जाय[illegible]

६—यह आवश्यक है कि फसल के अन्त पर समस्त अस्थायी कुलाबे [illegible] दिये जायें ।

सब-डिवीजनल आफिसर उखाड़ने के पश्चात् प्रत्येक कुलाबे के स्थान का निरी[illegible] करेंगे । डिवीजनल अधिकारी नहर के पास उस बात का प्रमाण-पत्र भेजेंगे कि [illegible] समस्त स्थान देख लिये हैं कि कुलाबे अलग कर दिये गये हैं ।

डिवीजनल आफिसर, अधीक्षक अभियन्ता के पास एक रिपोर्ट भेजेंगे, [illegible] समस्त स्वीकृत किये हुये स्थायी कुलाबों की अलग होने की तारीखें अंकित हों[illegible]

परिच्छेद १७४—गूल

तकाविता गूल के विषय (एक या कोई स्वामियों से गूल स्थानान्तरण के [illegible] से नहर अधिनियम की धारा २३ से २८ तक देखो) :—

१—अधिकारी नहर समयानुसार गूलों की दशा की जाँच करते रहेंगे ।

२—किसी गूल के भागीदार उसको उचित और अच्छी दशा में (नियत) रखने के लिये सामूहिक ढंग से अधिकारी नहर को उत्तरदायी होंगे ।

३—कर्मचारी नहर विभाग (किसानों के मध्य) आपसी बटवारा [illegible] सहायता करेंगे, मगर वह इन गूल के भीतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, [illegible] कि कोई विशेष झगड़ा पैदा न हो ।

४—अन्य निर्माण या मरम्मत गूल, जो नियमानुसार भुगतान योग्य हो, भागीदार आपस में आपसी सम्मति से बांटेंगे, यदि उनमें मतभेद हो तो डिवीजनल अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, और डिवीजनल अधिकारी नहर अधिनियम की धारा ६८ के अनुसार व्यय को हर किसान के सींचे हुये क्षेत्र के हिसाब से बांटेंगे और यदि गूल बिल्कुल नई बनी है तो उस तादाद पानी की मात्रा के हिसाब से बांटेंगे, जो प्रत्येक किसान के भाग में आया हो।

५—यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसी गूल से जिसमें वह भागीदार नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा २० के अधीन सिंचाई करने की आज्ञा दी जाय तो इस काम में लाने का प्रतिकार दूसरे भागीदार द्वारा उस गूल को आपसी समझौते से दिला दिया जायगा। यदि सम्भव न हो तो डिवीजनल अधिकारी सींचे हुए क्षेत्र को दृष्टिगोचर रखते हुये और गूल की असल (लागत) और चालू फसल में मरम्मत के व्यय का ध्यान रखते हुये प्रतिकार (मावजा) नियत कर देंगे।

६—जहां गूल के पानी के विभाजन (बटवारे) या व्यय आदि के बारे में निर्णय करते समय डिवीजनल अधिकारी नहर प्रधान या दूसरे प्रतिनिधि के द्वारा जिसको भागीदारान ने मनोनीत किया हो, कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे।

परिच्छेद १७५ ओसराबन्दी (विभाजन)

३०९ V संस्करण

१—(अ) किसी कुलाबा या मिश्र की गूल से पानी का विभाजन साधारणतः भागीदारों पर आधारित होगा। और वह पानी को स्वयं आपस में विभाजित करेंगे। यदि उनमें मतभेद हो तो धारा ६८ अधिनियम नहर के अधीन वह ओसराबन्दी के लिए प्रार्थना-पत्र डिवीजनल अधिकारी नहर को दे सकते हैं। प्रार्थना-पत्र में मोघा (नहर) का नाम नम्बर, कुलाबा, विवरण क्षेत्र और वह कारण जिनकी वजह से ओसराबन्दी की आवश्यकता हुई हो दिये जायेंगे। डिवीजनल अधिकारी नहर की स्वीकृति के पश्चात् प्रार्थना को मु० ३०.०० रुपया धरोहर के रूप में ऐसे काम के व्यय के लिये जमा करने होंगे, जिसमें १०.०० रुपया निरीक्षण ऊपर का व्यय और २०.०० रुपया नक्शे का अक्स आदि और स्वयं प्रार्थना-पत्र देने में व्यय देना करने के लिये होंगे। प्रार्थी यह धरोहर डिवीजनल या सब डिवीजनल अधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा, जिसकी एक रसीद दी जायगी। प्रार्थना-पत्र पर अन्तिम आदेश प्रदान करने के पश्चात् धरोहर का शेष भाग जो व्यय न हुआ हो वापस किया जायगा।

(ब) धरोहर दाखिल होने के ६ महीने के भीतर ओसराबन्दी का समस्त कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। (आदेश नं० ४६४३(डब्लू) २३-आई० डब्लू० ३ ३१०-डब्लू-१९० जुलाई, २८ १९५३ उपसचिव)।

२—प्रारम्भिक कार्य (अ) धरोहर जमा हो जाने के पश्चात् डिवीजनल अधिकारी स्वयं या डिप्टी रेवन्यू या सब डिवीजनल अधिकारी या जिलेदार द्वारा तमाम संबंधित दलों के बयान लेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि समस्या आपसी समझौते से तय हो जावे, यदि यह सम्भव न हो तो आदेश देने से पूर्व और जांच करेंगे।

निम्नांकित दशाओं में प्रार्थना-पत्र ओसराबन्दी अस्वीकृत कर दिया जायगा :—

(१) यदि क्षेत्रफल बहुत कम है।

(२) कुओं से सींचा जाता है।

(३) किसी बरसाती नाले या तालाब के पार स्थित हैं या जो क्षेत्रफल कुलाबे के कमाण्ड से बाहर है, या

(४) किसी अस्थायी कुलाबे पर स्थित है।

प्रार्थना-पत्र निम्नांकित दशाओं में भी अस्वीकृत कर दिया जायगा।

(५) सूखा (सूखे) सालों में या ऐसे समय जब पानी की मांग बहुत अधिक हो।

(६) शीघ्र बन्दोबस्त होने वाला हो।

(ख) ओसराबन्दी से पानी का उचित वितरण और मितव्ययता से प्रयोग होता है और उसके कारण पूर्ले अधिक उचित दशा में स्थिर रहती हैं और उनका ; ऐसा निम्नांकित दशाओं में उचित है—

(१) कुलाबे के डिस्चार्ज (निकास) को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रफल जो कमाण्ड (हद) में है, बहुत अधिक हो या गूल कुलाबा लम्बी हो।

(२) कृषकगणों में परस्पर विरोध हो जिसके कारण से पानी के वितरण में झगड़े होते हों या एक पक्ष निर्बल हो और दूसरा सबल हो, भूमिधर मौरूसी असामियों को उनके पानी के भाग से वन्चित रखते हों।

(३) कमाण्ड का क्षेत्रफल एक से अधिक ग्रामों में स्थित हो।

(४) सरकारी भूमि की सींच होती हो।

(५) या किसी दोबे के कुलाबे में दुबारा विभाजन किया गया हो और कुलाब के क्षेत्रफल सम्मिलित हो गये हों या उनमें परिवर्तन हुआ हो। अन्तिम तीन दशाओं में डिवीजन अधिकारी अपनी ओर से सरकारी व्यय से ओसराबन्दी कर सकते हैं।

(३) तैयारी ओसराबन्दी डिवीजनल अधिकारी ओसराबन्दी की तैयारी की बाबत आज्ञा देते साथ डिप्टी रेवेन्यू अधिकारी या सब-डिवीजन अधिकारी या जिलेदार को ओसराबन्दी के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का निर्देश देंगे, कार्यवाहियां जितना शीघ्र सम्भव हो साधारणतः तीन माह के अन्दर की जायेंगी। ओसराबन्दी की तैयारी के विषय में भिन्न-भिन्न निम्नांकित कार्य होंगे—

[१] कमाण्ड का बनाना अनुसार पैरा (४)
[२] नक्शे की तैयारी अनुसार पैरा ४ (५)
[३] तैयारी फार्म नं० ५७, हिन्दी अनुसार पैरा ४ (६)
[४] तैयारी फार्म नं० ५८, हिन्दी अनुसार पैरा ४ (७)
[५] डिप्टी रेवेन्यू आफिसर व सब-डिवीजनल आफिसर या जिलेदार की छानबीन (तहकीकात) अनुसार पैरा नम्बर (८)।
[६] फार्म ५८ (हिन्दी) पर आपत्तियां सुनना अनुसार पैरा नम्बर ९
[७] तैयारी फार्म ५६ (हिन्दी) अनुसार पैरा नम्बर १०
[८] डिवीजनल अधिकारी की जांच व अन्तिम स्वीकृति अनुसार पैरा नम्बर (११)

(४) कमान्ड का क्षेत्र यदि चक की सीमाबन्दी न हुई हो तो जिलेदार स्वयं मौके पर चक की सीमायें नियत करेंगे और चादरशीट पर उनके चिन्ह लगायेंगे। ऐसा करते समय वह निम्नांकित बातों का ध्यान रखेंगे।

(अ) साधारणतया ऐसा कोई क्षेत्रफल शामिल न किया जायगा, जो

(१) किसी नाले या खलार के पार हो।

(२) किसी सड़क के पार हो और अन्य कुलाबे से सींच हो सकती हो।

(३) कुएं से सींच होती हो।

(४) किसी अन्य गांव के क्षेत्र का भाग हो, जो कि उस गांव के कुलाबे से सींच हो सकता हो।

(५) क्षेत्रफल कम हो और शेष चक से या नहर से दूर स्थित हो, या

(६) सींच के योग्य न हो या जिसकी सींच की मनाही हो चुकी हो उपरोक्त १ से ५ तक के कारण की बिना पर वह क्षेत्रफल जो गत ५ सालों के तीन फसलों में सींचा जा चुका है, ओसराबन्दी से खारिज नहीं किया जायगा।

(ब) जहां तक सम्भव हो चक की सीमाएं प्राकृतिक या स्थायी होंगी जैसे सड़क, नाले, खलार, रेल की लाइनें, गांव की सीमायें बिना स्वीकृति डिवीजनल अधिकारी के चक की सीमायें उस कमान्ड की सीमाओं से आगे न बढ़ाई जायेंगी, जो तैयारी के समय नियत की गई थी।

(स) यदि दोनों समीपवर्ती कुलाबों पर ओसराबन्दी नहीं हुई हैं और उनकी सींच मिली हुई है तो उन कुलाबों के ढलान (बहाव) का ध्यान रखते हुए सीमायें ठीक की जायेंगी यदि दोनों समीपवर्तीय कुलाबों में से किसी कुलाबे पर ओसराबन्दी हो चुकी हैं तो उसके चक की सीमायें जहां तक सम्भव हो बदली न जावेंगी।

(द) पूर्व इसके कि तैयारी ओसराबन्दी की बाबत आगे कार्यवाही की जाय डिवीजनल अधिकारी चक की सीमाएं स्वीकार करेंगे। यदि वह सड़क या नाले के पार का कोई क्षेत्रफल ओसराबन्दी में शामिल करने का निर्णय करे और उनकी राय में पानी की बरबादी रोकने के लिये पुल की पुलियां या एक्वीडेक्ट आवश्यक हैं तो वह ओसराबन्दी स्वीकार करने के पूर्व ऐसे कामों के निर्माण (बनाने) हेतु लिखित आदेश देंगे। यदि इस आदेश की पूर्ति दो महीने के अन्दर न की जाये तो उपरोक्त क्षेत्रफल ओसराबन्दी की योजना से निकाल दिया जायगा।

(५) मानचित्र (नक्शा) (अ) नक्शा केवल एक होगा जो ५ पी के ट्रेस या ट्रेसिंग कपड़े पर अच्छा तो हो कि ५ पी के ट्रेस पर तैयार किया जाय और उसमें निम्नांकित चिन्ह दिये जायेंगे :

(१) ग्राम की सीमाएं और नाम।

(२) रजबहा व मुख्य गूल और उनकी शाखें।

(३) स्थान कुलाबा।

(४) तोड़ व डाल और कुएं की सींच।

(५) सड़कें व मार्ग व तालाब आदि।

(६) चक के सब चारों ओर की सीमाओं के बाहर के कुछ खेत।

(ब) चक सीमाएं पहले पेन्सिल से लगाई जायेंगी और जब ओसराबन्दी स्वीकार कर ली जाय तो लाल स्याही से सीमाएं पक्की कर दी जायेंगी।

(ग) चोकबन्दी कर देने के पश्चात प्रत्येक चोकदार के खेत का चिन्ह इस प्रकार लगाया जायगा कि यह प्रगट हो जाय कि वह किस खेत का है।

(६) फार्म ५७ (एच)।

(१) जिलेदार कमाण्ड की सीमाओं का प्रत्येक खेत क्रमानुसार निम्नांकित बातों सहित फार्म ५७-एच में दर्ज करेगा।

(१) खेत का क्षेत्रफल।

(२) मेंड या ढाल।

(३) ओसरा बन्दोबस्त के अनुसार नहरों, बाहों, नालों या अन्य साधन द्वारा सींच का विवरण।

(४) ओसरा बन्दोबस्त के अनुसार कृषित हैं या कृषि योग्य हैं, परन्तु मौके के अनुसार आकृषित या अकृषि योग्य हैं।

(५) स्तम्भ (कोष्ठ) नाम किसान में स्वामी का नाम लिखा जायगा यदि असामी विधानानुसार मौरूसी है तो स्वामी के नाम पर उसका नाम अंकित किया जायगा।

(६) खेत जो होगा, देखो उपअनुच्छेद (ग)।

(७) जो खेत ओसराबन्दी से निकाला जाय वह इस प्रकार से दिखाया जाय (१ बीघा २ बिस्वा)।

(८) चोक देखो उपअनुच्छेद (ग)।

(१) सींच क्षेत्रफल जो मिलाया गया हो और जो निकाल दिया गया हो। यह उचित है कि फार्म ५७-एच पर लेखपाल के प्रति हस्ताक्षर इस बात के प्रमाण में होंगे कि क्षेत्रफल और कृषकों के नाम ठीक हैं।

(२) क्षेत्र जो सींच का है समस्त कृषि योग्य क्षेत्र जो चक की सीमा के अन्दर है ओसराबन्दी में सम्मिलित किया जायगा अतिरिक्त उन खेतों के जो कुएं या अन्य साधन से सींचे जाते हों और वह खेत जिनमें गत पांच बरसों के अन्दर कृषि नहीं की गई है।

(ग) चोक जहां तक सम्भव हो चोक कम हो और कोई चोक १२ घण्टे से कम नहीं होना चाहिये अतिरिक्त निम्नांकित कारणों के :

(१) किसी ग्राम का समस्त क्षेत्र इतना हो कि उसका १२ घण्टे से कम समय आये।

(२) कृषकगण जो १२ घण्टे का चोक नहीं बना सकें और न किसी अन्य चोक में सम्मिलित हो सकें, उन सब का एक चोक कर दिया जाय। चाहे १२ घण्टे से कम समय निकले।

(३) सरकारी नूमे—एक परिवार के व्यक्तियों को या निकटवर्तियों को एक चोक बनाना चाहिये और वह अपना चोकदार जो एक प्रभावशाली और ईमानदार व्यक्ति होगा स्वयं चुनेंगे सम्भवतः एक ऐसा व्यक्ति जिसका सबसे अधिक भूमि पर अधिकार हो। इसमें प्रत्येक कृषक की अनुमति किसी चोक में शामिल होने के लिये और चोकदार की अनुमति जिस चोक में वह कृषक सम्मिलित हो यथासम्भव लिखित ली जायगी।

(७) फार्म ५८-एच इस फार्म में जिलेदार केवल वही खेत अंकित करेंगे जो ओसराबन्दी में सम्मिलित होंगे। खतौनी की संख्या क्रमानुसार ग्रामवार व चोकदार व कृषकवार होगी। फार्म के अन्त में ग्रामवार व

चोकवार उप संक्षेप गोशवारा होगा, और उसका योग फार्म ५७-एच के योग से मिलेगा।

(८) जांच फार्म ५७-एच व ५८-एच पूर्ति के पश्चात् जिलेदार मिसिल अपनी विस्तार पूर्वक रिपोर्ट के साथ सब-डिवीजनल अधिकारी या डिप्टी रैवेन्यू अधिकारी के पास भेजेंगे। जो तमाम चोकवार व कृषकों को किसी स्थान पर जहां से सुविधा हो बुलावेंगे। तब वह खेत क्षेत्रफल और चोक का प्रमाण उनकी उपस्थिति में लेंगे और तमाम आवश्यक संशोधन व परिवर्तन करेंगे। यदि कोई आपत्ति की जाय तो उसको जांच करेंगे और निर्णय देंगे और यदि आवश्यक हो तो स्थानीय निरीक्षण करेंगे। फार्म ५८-एच पूर्ण किये हुवे पर प्रत्येक उपस्थित चोकवार या कृषकगणों के जांच करने वाले अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर होंगे यदि कोई कृषक उनके निर्णय से सहमत न हो तो वह मिसिल को डिवीजनल अधिकारी के पास, आदेश के लिये भेजेंगे। फार्म ५८-एच की स्वीकृति डिवीजनल अधिकारी द्वारा हो जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि पटरोल द्वारा प्रति गांव की चौपाल या सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराई जायगी। और दूसरी प्रतिलिपि उस ग्राम के व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराके जिसमें पंचायत का कोई सदस्य हो मिसिल में सम्मिलित होने के लिये वापस की जायगी।

(९) आपत्तियां—किसी बनाये हुये चोक के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति हो तो एक माह के अन्दर की जायगी। डिप्टी रैवेन्यू अधिकारी या सब-डिवीजनल अधिकारी इन आपत्तियों को जांच करेंगे जहां तक सम्भव हो या अधिकतर का निर्णय करेंगे। इसके पश्चात् सम्पूर्ण मिसिल आपत्तियों व अपनी रिपोर्ट सहित डिवीजनल अधिकारी के पास भेज देंगे, वह विशेष देखभाल के पश्चात ५८-एच में दर्ज शुदा चोकों की स्वीकृति देंगे। यदि कोई कृषक निजी कूप या उस पर के पक्के काम के व्यय का अपना भाग भुगतान करने से मना करे और उसको ओसराबन्दी में सम्मिलित करने के विरुद्ध इसी आशय पर आपत्ति की गई हो तो डिवीजनल अधिकारी उन आपत्तियों पर विचार करेंगे और यदि आवश्यक हो तो ऐसे कृषकों के क्षेत्र को ओसराबन्दी से अलग करने का आदेश देंगे। यदि उनका क्षेत्र लगातार सींचा जाता हो तो वह उसको अलग नहीं करेंगे परन्तु उन पर नहर अधिनियम के धारा १८ के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। फार्म ५८-एच जैसा कि डिवीजनल अधिकारी ने स्वीकार किया है वह अन्तिम होगा और ओसराबन्दी की आगामी कार्यवाही में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(१०) फार्म ५९-एच :

(अ) फार्म ५८ एच की समस्त आपत्तियों का निर्णय हो जाने के पश्चात् डिप्टी रैवन्यू अधिकारी या जिलेदार फार्म ५९-एच बनायेंगे जिसमें प्रत्येक किसान का नाम उसके नम्बरान व क्षेत्रफल कृषकवार व चोकवार होगा। तब वितरण पानी की योजना बनाई जायगी।

(ब) खोबा के प्रवाह रीति के अनुसार वितरण का कुल समय एक सप्ताह या आधा सप्ताह होगा। पहिले चोक का समय कुलावे के मोहन्डे पर साधारणतः पानी पहुंचने से आधा घंटा पश्चात् आरम्भ होगा। कुलावे के मोहन्डे पर पानी पहुंचने के समय का सतर्कता से निर्णय किया जावेगा। यदि आवश्यक हो तो मौके पर जांच की जायगी। प्रत्येक कृषक का समय घन्टों और मिनटों में निकाला जायगा।

(स) समय और उसका क्रम निश्चित करने में निम्नांकित बातों का ध्यान रक्खा जायगा :

(१) कुलाबे से चौक की दूरी निम्नलिखित रीति से होगी। चौक नम्बर १ वह होगा जिसका खेत मुख्य गूल के आरम्भ में बाईं ओर होगा और दूसरा चौक वह समझा जायगा जिसका पहिला खेत मुख्य गूल पर चौक नम्बर १ के पश्चात् होगा और इसी प्रकार और चौक होंगे। जहां कहीं दो पृथक-पृथक चौकों के पहिले खेत कुलाबे के मोहन्डे से बराबर दूरी पर हों तो प्राथमिकता उस चौक को दी जायगी जो गूल की बाईं ओर हो। जब मुख्य गूल के चौक समाप्त हो जावे तो निकटवर्ती शाखा गूल पर के चौकों का क्रम इसी प्रकार रक्खा जावेगा। यदि दो शाखा गूल के एक ही स्थान से निकले तो बाईं शाखा को प्राथमिकता दी जायगी। नगरपालिका (म्यूनिसिपैल्टी) और कारखानों व तालाबों के अधिकार (८) ओसराबन्दी तैयार हो जाने पर ५९-एच की एक प्रतिलिपि गांव की चौपाल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर चस्पां की जायगी जैसा कि उपपैरा ८ में है तत्पश्चात् १५ दिन के अन्दर काश्तकारों को सम्बन्ध में ही केवल आपत्ति की जा सकती है। जिसको डिप्टी रेवेन्यू आफिसर या सब-डिवीजनल अधिकारी जहां तक सम्भव हो पूर्ण विचार करके निर्णय करेंगे।

(११) जांच व अन्तिम स्वीकृति फारमों और नक्शों पर समस्त अधिकारी-गणों के जिनका सम्बन्ध उनकी तैयारी से रहा हो हस्ताक्षर, हो जाने के पश्चात् सम्पूर्ण मिसिल डिवीजनल अधिकारी के पास भेजी जायगी जो नियमानुसार स्वीकृति देने के पहिले मिसिल का निरीक्षण अच्छी तरह से करेंगे। चौक के क्रम और समय में ऐसे परिवर्तन के पश्चात् जैसा वह उचित समझे वारबन्दी की स्वीकृति देंगे पर्चों पर हस्ताक्षर करेंगे और जितने चौकदार वहां उपस्थित हों उनके पर्चे वितरण करेंगे। शेष पर्चे जवाबी रजिस्टरी द्वारा (एकनालेजमेंट ड्यू पोस्ट) भेजे जायेंगे। ओसराबन्दी का विवरण उन रजिस्टरों में अंकित किया जायगा जो डिवीजन, सब-डिवीजनल व डिप्टी रेवन्यू अधिकारी और जिलेदारों के कार्यालय में खोले गये हों और उनकी सीमाओं के चिह्न शजरा शीट पर लाल रोशनाई से लगाये जायेंगे।

(१२) परिवर्तन कुलाबे जात यदि जांच के समय में यह सम्भव प्रतीत हो कि कुलाबों का ब्यास (दहाने) कम किया जाय या उसका स्थान बदला जाय या और कोई परिवर्तन किया जाय तो डिवीजनल अधिकारी उसके अनुसार कार्यवाही करें। और जब तक आवश्यक परिवर्तन न हो जावे ओसराबन्दी स्वीकार नहीं करेंगे।

(१३) ग्रामवार ओसराबन्दी—ग्रामवार ओसराबन्दी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर डिवीजनल अधिकारी यदि ओसराबन्दी आवश्यक समझे तो डिप्टी रेवन्यू आफिसर को यह आदेश देंगे कि प्रति ग्राम को एक चौक के समान मानते हुये वह उपरोक्त कुलाबों पर के क्षेत्रफल को उतने ही चौकों में विभाजित करे, जितने कि गांव हैं और प्रत्येक ग्राम के लिये एक चौकदार नियत करे, वह गांव का मौके का ध्यान रखते थे प्रत्येक ग्राम के लिए घन्टे नियत करेंगे उस क्षेत्रफल का ध्यान रखते हुये, जो सींचा जायगा। जैसा कि उपपैरा ६ (ब) में वर्णन किया गया है। शीर्षक में आवश्यक परिवर्तन के पश्चात् फार्म ५७-एच व ५९-एच इसके लिये प्रयोग किये जायेंगे, जब डिवीजनल अधिकारी वारबन्दी पर हस्ताक्षर कर चुके तो उसकी प्रतिलिपि डिप्टी रेवन्यू अधिकारी या जिलेदार द्वारा चौकदारों को वितरण की जायगी। ऐसी ओसराबन्दी के लिये धरोहर की आवश्यकता न होगी।

(१४) ओसराबन्दी का परिवर्तन बहुधा ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जिनके कारण ओसराबन्दी में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, उदाहरणार्थ—

(अ) किसी कुलाबे की ब्यास, स्थान या कमान्ड में परिवर्तन

(ब) सींचे के रोस्टर में परिवर्तन ।

(स) नहरी सींच से कुएं की सींच और कुएं की सींच से नहरी सींच में परिवर्तन ।

(द) कृषित क्षेत्र से अकृषित क्षेत्र में और अकृषित क्षेत्र से कृषित क्षेत्र में परिवर्तन ।

(य) मौरूसी और अन्य आधिपत्य में परिवर्तन ।

(र) अन्य विशेष कारण परिवर्तन के लिये जो डिवीजनल अधिकारी नहर की सम्मति में आवश्यक हो ।

विवरण—(स) (द) (य) (र) के सम्बन्ध में ऐसे कारण पर्याप्त मात्रा में हों, जिससे वर्तमान वितरण पर अधिक प्रभाव पड़ता हो साधारणतयः कोई ओसराबन्दी उल्लिखित कारणों से जब तक कि दस वर्ष ओसराबन्दी हुए न हो जाय परिवर्तन नहीं किया जायगा।

पहली चार दशाओं में डिवीजनल अधिकारी परिवर्तन ओसराबंदी अपनी इच्छा से कर सकता है और हर दशा में भागीदारों के शिकायत करने पर ऐसा करेंगे। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिवर्तन ओसराबन्दी की आवश्यकता किसी विभाग के प्रतिबन्ध के कारण हो, जिससे यह आवश्यकता पड़े कि कुलावा बन्द किया जाय, हटाया जाय या किसी पुलिया या एक्वोडेक्ट का निर्माण हो तो ऐसे परिवर्तन का व्यय विभाग सहन करेगा न कि ओसराबन्दी के भागीदार ।

३१०—राजकीय नलकूपों की ओसराबन्दी द्वारा पानी के वितरण के नियम :

(१) राजकीय नलकूपों के समस्त क्षेत्रफल को ८ से १२ तक सुविधाजनक चोकों में विभाजित किया जायगा और इन चोकों का क्रम नलकूप से आरम्भ होकर समाप्ति के अन्त तक इस क्रम से लगाया जायगा, जिससे पानी सुविधा पूर्वक वितरण हो सके ।

(२) डिप्टी रेवन्यू आफिसर यदि सम्भव हो समस्त सम्बन्धित कृषकों की सम्मति लेकर चोक बनायेंगे और चोकदार चोक के अन्दर के कृषकों की सर्वसम्मति से बनाया जायगा, चोकदार प्रभावशाली इमानदार व्यक्ति होगा और विशेषतः अधिक भूमि का स्वामी होगा ।

(३) एक चोक का समय १४ दिवस (यदि कृषकगण चाहे तो २१ दिन) के हेक्टेयर में चोक के क्षेत्रफल के अनुपात से लगाया जायगा। विशेष स्थिति में यदि कृषकगण चाहें ओसराबन्दी ७ दिवस पर बनाई जा सकती है, जहां पर तरकारी अधिक क्षेत्र में बोई जाती है :

(४) केवल प्रत्येक चोक में घन्टों की संख्या ही नहीं बांटी जायगी बल्कि समय सप्ताह के दिनों और घन्टों में देखा जाना चाहिए यह निम्नांकित फार्म पर प्रविष्ट किया जाना चाहिए :

चोक का क्रम	ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ों में	निर्धारित घन्टे	कहां से		कहां तक	
				सप्ताह का दिवस	घंटे	सप्ताह का दिवस	घन्टे
१	२	३	४	५	६	७	८

(५) यह हेरफेर (रोटेशन) प्रत्येक वर्ष माह अक्तूबर के पहिले रविवार को आठ बजे से आरम्भ हो कर वर्ष के आरम्भ होने तक चलेगा। प्रत्येक चौक का बार १४ दिवस या (२१ दिवस में जहां हो) एक बार आवेगा।

(६) वह चौक जिसके बार से किसी कारण से कुछ बन्द रहा है दूसरे चौक के बार पर जैसा प्रभाव डाले सहन करेगा और दूसरा चौक अपने निश्चित समय पर सप्ताह के दिन पानी पावेगा।

(७) यदि किसी विशेष चौक के कृषक अर्थात् (स) चौक का पानी न लेना चाहें या बन्द कर दें तो पानी दूसरे चौक को दिया जायगा, जब तक कि उस (स) चौक का समय समाप्त न हो जाय और उसके पश्चात् दूसरा चौक ओसराबन्दी सारणी के अनुसार पानी पावेगा।

(८) चौक के अन्दर कृषकों की पारी वितरण के सम्बन्ध में चौकदार उत्तरदायी होगा। वह प्रबन्ध करेगा कि प्रत्येक हेर-फेर में कौन किस क्रम से पानी लेगा। चौकदार कुछ बालक (आरदे र) को प्रत्येक हेर-फेर के प्रारम्भ की सूचना देगा। [illegible] कार्य का [illegible] के प्रार [illegible] खेती को करने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता यदि कृषकों का बहुमत इसकी प्रार्थना करे कि ठेका कर दिया जाय, विचार करेंगे।

(९) प्रत्येक चौक के भिन्न-भिन्न चिन्ह दिये जावेंगे और यह नलकूप के कमरे व ओसराबन्दी के बोर्ड में दिखलाया जायगा। अधिशासी अभियन्ता परवं चौकदारों को वितरण करेंगे जिसमें नाम कृषक, खेत नम्बर क्षेत्र और ठीक का नियत समय जो दिन व घण्टों में होगा दिखाया जायगा।

(१०) यदि एक ठीक के कृषक अन्य चौक का पानी बलपूर्वक बिना रोसरा-बन्दी के ले लेते हैं तो वह नहर अधिनियम, १८७३ ई० संशोधित अधिनियम राजकीय नलकूप १९३६ ई० के अन्तर्गत दण्ड के भागी होंगे।

(११) यदि कृषक बिना स्वीकृति नहर अधिकारी जिसका पद डिप्टी रेवन्यू आफिसर या सब-डिवीजनल अधिकारी से कम न हो नलकूप का पानी कमाण्ड से बाहर ले जावे तो नहर अधिनियम के अन्तर्गत उन पर तावान कर लगाया जावेगा।

अधिवासक कर का लगाना

परिच्छेद नम्बर १७८ (IVसंस्करण)/२१३ (Vसंस्करण) (१) खसरा शुमार को सिंचाई विभाग के फार्म-७ एवं पर रक्खा जाता है, अभियान (पड़ि) व आंकड़ों के विवरण का आधार है। पतरौल को समस्त सींच जितने ग्रामों की सम्भव हो एक खसरे शुमार में लिखनी चाहिये, उसे खसरे में समाप्त खेत की उसकी समझ में कर लेने लगाने योग्य हो लिखना चाहिये, परन्तु वह उन खेतों को जिनके सम्बन्ध में उसे सिंचाई का उचित सन्देह हो एक पृथक् सूची बनावेगा और जिलेदार के पास आदेश के लिये भेज देगा, वह खसरे शुमार में वह खेत भी लिखेगा जिन पर नियम नहर अधिनियम (ऐक्ट) के अन्तर्गत विशेष कर स्थापित किया गया हो। इसका ध्यान करते हुये कि कोई खेत दुबारा समावेश न हो जावे।

(२) डिवीजनल अधिकारी अन्तिम माप (पैमाइश) के प्रारम्भ की तिथि नियत करेंगे। तिथि ऐसे समय से रक्खी जावेगी जिससे कि जमाबन्दियां तहसील को निश्चित तिथि पर भेजी जा सकें और साथ ही साथ अनुपूरक (तितम्मा) जमाबन्दी बनाने की आवश्यकता न पड़े।

(३) कम से कम १० दिन अन्तिम माप प्रारम्भ होने के पूर्व जिलेदार फार्म नं० ४५-एच (संशोधित) पर नोटिस की प्रतिलिपि सम्बन्धित तहसीलदारों को प्रत्येक गांव की अन्तिम माप आरम्भ होने की लगभग-तिथि की सूचना देगा और वह एक नोटिस फार्म नं० १०-एच पर प्रत्येक ग्राम की चौपाल पर लटकायेगा। तहसील पर नोटिस प्राप्त होने की रसीद देगा/स्वीकार करेगा और उत्तरदायी होगा कि लेखपाल गांव में निश्चित तिथियों में उपस्थित रहे यदि किसी कारणवश अमीन किसी गांव में अपनी तिथि पर न पहुंच सके तो उसे सम्बन्धित लेखपाल के पास सीधे लिखी हुई सूचना पटरोल द्वारा भेजनी चाहिये अथवा पोस्ट कार्ड द्वारा जिसे भेजने का उसे प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिये अमीन जब तक अति आवश्यक न हो तिथियों में परिवर्तन न करेगा।

(४) लेखपाल अन्तिम माप की पूर्ति के समय गांव में उपस्थित रहेगा व अमीन को स्वामियों, कृषकों इत्यादि के नाम उसको अपना अभिलेख (रिकार्ड) पूरा करने के लिये बतायेगा और किसी संदेहजनक विषय में मिलकर स्थानीय पूछ-ताछ द्वारा निश्चय कराने में सहायता करेगा अगर लेखपाल उपस्थित न हो तो इसकी आपत्ति (शिकायत) जिलाधीश के पास अंग्रेजी कार्यालय द्वारा की जायेगी। तहसीलदारों को प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में लेखपालों के हल्कों के परिवर्तन की सूचना जिलेदार को देनी होगी।

(५) जब अमीन खेतों की माप कर चुके और खसरे शुदकार में प्रविष्ट करले उसे प्रत्येक किसान का एक परचा सिंचाई विभाग फार्म नम्बर ११-एच पर बनाना होगा; इस दशा में जबकि किसी खेत पर नियम नम्बर (१७) २३, (१) अथवा २८ नियम अधिनियम नहर के अधीन कर में छूट दी गई हो वह केवल खेत का नम्बर और क्षेत्र-फल लिखेगा और कर का मूल्य में लिखेगा और छूट के सम्बन्ध में नोट विवरण के खाना में अंकित करेगा।

(६) खसरा शुदकार और परचे की सहायता से अमीन जमाबन्दी अथवा अभियाचन विवरण सिंचाई विभाग फार्म नम्बर ८ एच पर बनायेगा। प्रत्येक किसान सम्बन्धी समस्त प्रविष्टि एक स्थान पर होगी और हर किसान का अलग-अलग जोड़ लगाया जावेगा, उसको प्रयत्न नहीं करना चाहिये व किसी स्वामी के खेतों को एकत्रित अथवा पृथक करने का, प्रत्येक मोहाल के लिये एक अलग जमाबन्दी होना चाहिये जब तक कि जहां एक मोहाल का नम्बरदार किसी गांव में दो या अधिक मोहाल होने की दशा में धारा नम्बर ४६ नहर अधिनियम के अन्तर्गत विशेष स्वीकार-पत्र द्वारा समस्त गांव की वसूलयाबी का जिम्मेदार हो गया हो। उन ग्रामों में जहां नहर के कर की वसूलयाबी माल विभाग के द्वारा होती है ग्रामवार जमाबन्दियां बनाई जायें मोहालवार नहीं बनाई जायेंगी।

(७) जमाबन्दी की पूर्ति से पूर्व अमीन नम्बरदार को अथवा उसके प्रतिनिधि को या ग्रामसभा के प्रधान को जब वह परचे वितरण करना चाहता है सूचित करेगा। और एक लिखित नोटिस इस बात का गांव की चौपाल पर चिपका देगा। नम्बरदार अथवा गांव का प्रधान किसानों को बुलायेंगे कि आकर परचे लेजावें। अमीन प्रत्येक परचे पर वितरण की तिथि लिखेगा, यदि कोई किसान निश्चित समय पर उपस्थित नहीं है तो उसका परचा नम्बरदार या गांव के प्रधान को दे देगा या उनकी अनुपस्थिति में लेखपाल को देगा और उसकी रसीद लेगा और परचे पर नोट करेगा कि परचा किस को दिया गया।

(८) ऐसी अशुद्धि को जो माप के पश्चात् पता लगे और समय के अन्दर ही उसको ठीक करने के पश्चात् अमीन जमाबन्दी पर वह धन, जो लेखपाल को शुल्क का

दिया जाय।, अंकित करेगा। जब अमीन जमाबन्दी को पूर्ण कर चुके तो लेखपाल उसका फार्म नम्बर ९-एक पर जो डिवीजनल अधिकारी देगा। उपसंक्षेप (गोशवारा) तैयार करेगा अमीन के उस पर हस्ताक्षर करायेगा। अमीन ने जो खसरा शुदकार तैयार किया है लेखपाल उस पर हस्ताक्षर करेगा और उत्तरदायी होगा कि जमाबन्दी का उपसंक्षेप हर समय उन व्यक्तियों की पहुँच के अन्दर हो, जो का सींच का भुगतान करते हैं।

(९) जब जमाबन्दियां जिलेदार ने जाँच कर ली हों तो और उन कर्मचारियों ने जिनको डिवीजनल अधिकारी ने निर्देश दी हो तब प्रधान कार्यालय भेजी जायेगी, जहां उनकी जांच होगी और परगनेवार रक्खी जायेंगी और उन पर डिवीजनल अधिकार या डिप्टी रेवन्यू अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे तब जमाबन्दियां कम से कम तीन दिन उस नियत तिथि से पहले, जो नियम नं० ४२ अधिनियम नहर के अधीन निर्धारित है, सम्बन्धित तहसील को भेजी जायेंगी। बीजक जो जमाबन्दियों के प्रत्येक समुदाय के साथ जायगा दोहरा फार्म नं० ३-बी पर होगा और उस पर डिवीजनल अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जमाबन्दियों के भेजने के पश्चात तुरन्त डिवीजनल अधिकारी एक विवरण फार्म नं० २४-बी पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजेगा।

जिसमें ६ माही अभियाचन समस्त विषयों का होगा और उसकी प्रतिलिपि अधीक्षक अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता को भेजी जायेगी।

(१०) खसरा शुदकार की कोई प्रतिलिपि नहीं बनानी चाहिए जिलेदार को मूल खसरा शुदकार ६ वर्ष के समय तक रखने चाहिये और इसके बाद वह नष्ट कर देने चाहिये।

(११) (अ) एक सूची जिसमें नहर के कर्मचारी ग्रामवार अथवा मुहालवार जमाबन्दियात ठीक-ठीक बनायेंगे जिलाधीश डिवीजनल अधिकारी को भेजेंगे।

(ब) एक सूची उन गांवों की देंगे, जिसके लिए विशेष संविदा (इकरारनामा) धारा ४६ अधिनियम नहर के अधीन किये गये हैं, उनके लिए केवल ग्रामवार जमाबन्दी प्राप्त होगी।

(स) एक सूची ग्रामों की जिनमें केवल एक मुहाल है और जिनके लिए केवल ग्रामवार जमाबन्दी प्राप्त होगी।

(द) एक सूची उन ग्रामों की जिनमें दो या अधिक मुहाल हैं और जिनके अलग-अलग मुहालवार जमाबन्दी की आवश्यकता है इन ग्रामों के विषय में जिलाधीश एक नक्शा भेजेगा, जिसमें मुहालों की सीमायें दिखाई गई हों और प्रत्येक मुहाल के खेतों के नम्बर की एक सूची हो।

(य) एक प्रतिलिपि बटवारे के नक्शों की खेतों की संशोधित सूची सहित जब कि हाल ही में बटवारा के कारण स्थित मुहाल के प्रबन्ध में परिवर्तन हुआ हो।

यह नक्शा और सूची बटवारे के समय हिस्सेदारों के व्यय पर ... जायगी;

और बटवारे की स्वीकृति लागत के अतिरिक्त होगी।

सीच कर छूट

परिच्छेद $\frac{\text{१८० IV/Y}}{\text{३१५ (V संस्करण)}}$ आबपाशी या पानी के अनुचित प्रयोग पर कर।

(१) आबपाशी या पानी के अनुचित प्रयोग के कर के लिये नियम ९ व १७ व ३० व ३१ अधिनियम नहर के अन्तर्गत देखो। कोई तावानी कर जो इस ढंग पर नियत किये जायें उनके विषय में वही कार्यवाही होगी जो अबेवारक कर के सम्बन्ध में होती और सबका अभियाचन में सम्मिलित किये जाते।

इस प्रकार का कर लगाने की स्वीकृति देने से पूर्व डिवीजनल अधिकारी को संतोष कर लेना चाहिए कि जांच किसी जिम्मेदार पदाधिकारी नहर ने जिसका पद जिलेदार के पद से कम न होगा कर ली है और बयानात मौका व बचावरक्ष के ले लिये हैं और उस अधिकारी की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेगा। यदि समस्त अभियाचन तावान १०.०० रुपया या प्रत्येक हुक्क पर २.०० रुपया से अधिक बढ़ जाता है तो उसका आदेश डिवीजनल अधिकारी अपनी कलम से लिखेगा।

(२) जांच शीघ्र की जायेगी। तावानी कर लगाने के आदेश के जारी होने पर पर्चे शीघ्र सम्बन्धित व्यक्तियों को बांटे जायेंगे ताकि वह नहर अधिनियम की धारा ३५ और नियम ८५ से ९० तक अधिनियम नहर के अनुसार अपील करने के अधिकार का प्रयोग कर सकें।

(३) यदि अधिशासी अभियन्ता किसी एक गांव पर मु० २५०.०० रुपया या किसी एक व्यक्ति पर मु० २५.०० से अधिक तावान लगाते हैं तो उसकी सूचना शीघ्र ही अधीक्षण अभियन्ता को दी जायगी।

मगर स्वतंत्र सब-डिवीजन की दशा में सब-डिवीजनल अधिकारी के अधिकार मु० १००.०० रुपया प्रति ग्राम और मु० १०.०० रुपया प्रति व्यक्ति तक सीमित हैं।

(४) हर छः मास बाद डिवीजनल अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता को एक नक्शा फार्म २ आई० डी० पर भेजेगा। जिसमें जिलेवार कर व तावान नियत करने की व्याख्या और अधिनियम नहर के अन्तर्गत अभियोगों का विवरण होगा।

परिच्छेद नं० $\frac{\text{१८१ (IV संस्करण)}}{\text{३१६ (V संस्करण)}}$ छूट या माफी कर

(१) नियम १७ व २८ अधिनियम नहर के अधीन डिवीजनल अधिकारी नहर को अधिकार प्राप्त है कि ऐसे किसी खेत का कर लिया न करें जिसको हानि पहुंची हो। हानि निम्नांकित कारणों से हुई हो:—

(अ) कमी पानी के कारण या बंदिश पानी नहर।

(ब) टिड्डी, ओला, बाढ़, पाला या कीड़ा लग जाने या अन्य कोई दैवी आपत्ति के कारण से सिवाय कमी पानी या बन्दिश नहर के चाहे यह खुश्की के वर्षों में हों या दूसरे दिनों में हो प्रतिबन्ध यह है कि हानि किसान की असावधानी से न हुई हो या यदि खरीफ की जिन्स हो तो ऐसी भूमि पर बोई जाने के कारण से न हुई हो जो वर्षा ऋतु में साधारणतः पानी में डूबी रहती हो।

(२) जबकि इस प्रकार की हानि नहर से सींची हुई जिन्स को पहुंची हो तो उसकी सूचना डिवीजनल अधिकारी को देना चाहिए, जो इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि कोई उच्चाधिकारी उन खेतों का शीघ्र निरीक्षण करे और उनकी दशा की विस्तार सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(३) प्रत्येक दशा में छूट की दर नियत करने के लिए डिवीजनल अधिकारी साधारणतया निम्नांकित पैमाने का ध्यान रक्खेंगे :—

हानि		छूट या माफी कर
५० प्रतिशत से कम ..	..	कुछ नहीं
५० तथा ५० से अधिक और ७५ से कम	..	आधा कर सींच
७५ प्रतिशत और ७५ प्रतिशत से अधिक	..	पूरा कर सींच

(४) (अ) यदि कोई जिन्स बोने के पश्चात् न जमे तो ऐसी दशा में उस पर वह कर लगाया जायगा जो सबसे कम कर की दर से कम न होगा, अर्थात् यदि सिंचाई तोड़ है तो तोड़ कर की सबसे कम दर और यदि सिंचाई डाल है तो डाल कर की सबसे कम दर लगाई जायगी।

(ब) सींची हुई नई बोई ईख पर जो न जमी हो या किसी भी कारण वर्षा से पूर्व नष्ट हो गई हो उस पर कोई कर न लगेगा।

(स) सींची हुई ईख की पेड़ी यदि वर्षा से पहले नष्ट होकर जोत डाली जाय तो उस पर आधे कर की छूट दी जायगी।

(द) सींची हुई नई बोई हुई ईख वर्षा आरम्भ होने के पश्चात् यदि ऐसी नीची भूमि में बोये जाने के कारण जहां प्रायः वर्षा के बाढ़ का पानी आ जाता हो अथवा और किसी कारण से जो काश्तकार के बस में हो, नष्ट हो जाय तो उस पर कोई छूट नहीं दी जायगी।

(इ) सींची हुई नई बोई हुई ईख यदि वर्षा आरम्भ होने के पश्चात् किसी ऐसे कारण से जो कृषक के बस में न हो नष्ट हो जाय, और उसमें उसी फसल वर्ष में कोई अन्य जिन्स न बोई जाय तो ऐसी दशा में ऊपर लिखे हुये उस अनुच्छेद खण्ड नम्बर ३ के अनुसार छूट की कार्यवाही होगी।

(फ) सींची हुई ईख की पेड़ी यदि वर्षा आरम्भ होने के पश्चात् किसी कारण से नष्ट हो जाय तो उस पर कोई छूट नहीं दी जायगी।

नोट—देखो नियम नं० २३ अविभाज्य नहर।

(५) यदि बीज न जमें तो कमी कर इस आधार पर दी जा सकती है कि कृषक जान-बूझ कर खराब बीज नहीं बोता। प्रतिकूल इस के यदि कोई जिन्स किसी गूल की पटरी ठीक दशा में न होने के कारण पानी भर कर नष्ट हो गई हो तो हानि कृषक की असावधानी मान कर ऐसी दशा में छूट के दावे को स्वीकार न करना चाहिए।

(६) समस्त छूट पृथक्-पृथक् खेतों पर दी जायगी, अतिरिक्त अति अधिक फैली हानि की दशा में जब कि छूट एक आम दर पर दी जा सकती है खेतवार छूट देने की दशा में डिवीजनल अधिकारी किसी एक व्यक्ति को ५०.०० तक और किसी एक गांव को २५०.०० रुपया तक छूट दे सकता है, इससे अधिक धन के लिए अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अधिक फैली हुई हानि की दशा में डिवीजनल अधिकारी इस बात की सूचना अधीक्षण अभियन्ता को देगा कि किन कारणों से हानि हुई है और किस सीमा तक छूट की आवश्यकता है। सब आय की हानि का एक अनुमान जिलाधीश की सम्मति से बनायेंगे। इस अनुमान पर जिलाधीश के भी प्रति-हस्ताक्षर होंगे और उसे अधीक्षण अभियन्ता के आदेश के हेतु भेजेंगे। छूट उदारता से और शीघ्र देनी चाहिए ताकि प्रभावी और जहां तक सम्भव हो जमाबन्दियों की पूर्ति से पूर्व देनी चाहिए।

(७) तारीख १५ जून तथा १५ जनवरी तक डिवीजनल अधिकारी नहर सीधे मुख्य अभियन्ता को सूचना देंगे कि कितने क्षेत्र पर कितनी छूट दी गई है। अपनी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता को भी भेजेंगे।

(८) रजिस्टर आई० बी० फार्म नं० ८-बी डिवीजन व जिलेदारी कार्यालय में रक्खा जायगा, जिसके अन्दर वह तमाम छूट, जो नियम १७ और २८ नहर अधिनियम के अनुसार दी गई है, अंकित की जायगी जो जमाबन्दी भेजने के पूर्व दी गई है। जमाबन्दी में क्षेत्रफल अथवा किस्मवार में परिवर्तन की कमी इस रजिस्टर में अंकित नहीं की जायगी, चाहे वह जमाबन्दियों के पूर्ण होने से पूर्व की गई हो।

(९) अमीन को उसके हलके की छूट की सूची प्रत्येक ग्राम की दी जायगी।

(१०) छूट के पर्चे जहां तक सम्भव हो गांव के किसी उत्तरदायी कार्यकर्ता के समक्ष वितरण किये जाने चाहिए।

परिच्छेद $\dfrac{\text{१८२ (IV संस्करण)}}{\text{३१७ (V संस्करण)}}$ —अभियाचन के विरुद्ध आपत्ति

१—अभियाचन के विरुद्ध समस्त आपत्ति जो निम्नांकित चार भागों में सम्मिलित हैं, डिवीजनल अधिकारी नहर या सब-डिवीजनल अधिकारी या डिप्टी रेवेन्यू आफिसर या जिलेदार के यहां करनी चाहिए :—

(१) अविधारक कर के सम्बन्ध में आपत्ति धारा ३२ (ब) नहर अधिनियम के अन्तर्गत इस मद में समस्त आपत्ति हानि फसल के सम्बन्ध में या न मिलने या बन्द किये जाने पानी के सम्मिलित हैं।

(२) आपत्तियां अविधारक कर के विषय में नियम नं० ४४ उक्त अधिनियम नहर के अधीन जो इस आधार पर हों कि खसरा शुदकार में प्रविष्टि गलत है। इस मद में वह सब आपत्तियां सम्मिलित हैं जो गलत नाप या किस्मवार की गलती के सम्बन्ध में हों या इस आधार पर हों कि भूमि को पानी नहीं मिला है या सींच काल हुई है न कि तोड़।

(३) आपत्तियां विशेष करों के सम्बन्ध में जो नियम २७ या ३१ नहर अधिनियम के अधीन लगाये गये हों।

इस मद में वह सब आपत्तियां सम्मिलित हैं जो अनुचित सींच या पानी नष्ट करने या ऐसे खेतों पर जिनकी सींच की मनाही हो, विशेष कर लगाने के विरुद्ध किये जायें।

(४) आपत्तियां अभियाचन के विरुद्ध, जो इस आधार पर हों कि फसल को ऐसे कारण से हानि पहुंची हो जो शासन नहर के अधिकार से बाहर हों, इस मद में सब पानी की छूट के सम्मिलित हैं जो ओले, बाढ़, टिड्डी या अन्य आकस्मिक संकट के कारण जिन्सों को क्षति पहुंचने के आधार पर अतिरिक्त कृषक की असावधानी के किसी अन्य कारण से फसल को नष्ट होने के आधार पर किये जायें।

२—डिवीजनल अधिकारी को उपरोक्त मदों की किसी आपत्ति पर अन्तिम आदेश देने का अधिकार है। परन्तु वह अपने सब-डिवीजनल और डिप्टी रेवन्यू अधिकारी को महाल (१) व (४) के आपत्तियों पर आदेश देने के अधिकार नहीं …। वह समय-समय पर एक साधारण आदेश के द्वारा महाल (२) और (३) आपत्तियों की परिभाषा कर सकते हैं, जिन पर सब-डिवीजनल या डिप्टी रेवन्यू

अधिकारी अन्तिम आदेश दे सकते हैं या वह यह कह सकता है कि आपत्ति क
वालों को सूचना देने के पूर्व ऐसे आदेश उसके पास पुष्टिकरण व संशोधन
भेजें ।

३—मुहाल (२) और (३) की आपत्ति तारीख वितरण पर्चा से ३०
के अन्दर किये जायेंगे, और यदि आपत्ति करने वाले पर उस फसल में नहर से
कोई सींच किये कर लगाया गया हो तो जिस तारीख को उसे कर लगने
सूचना सर्वप्रथम मिली हो उससे २१ दिन के अन्दर आपत्ति की जायगी ।

४—कोई आपत्ति यदि जिलाधीश या उनके किसी आधीन अधि
विभाग माल के पास किया जाय तो डिवीजनल अधिकारी के पास निर्णय हेतु भेजा जाय
लेकिन इस बीच में अभियाचन की उगाही बन्द नहीं की जायगी । अतिरिक्त
दशा के जिसका विवरण नियम नं० ४९ अधिनियम नहर के अधीन किया गया

५—डिवीजनल अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यदि कोई फसल कि
सम्बन्ध में कमी या छूट कर की आपत्ति हो, आपत्ति प्राप्त होने के १५ दि
बाद की गई हो, तो आपत्ति को साधारण (सरसरी) ढंग पर रद्द कर दें ।

६—समस्त आपत्तियों की जांच उनके प्रस्तुत होने के १५ दिवस
अन्दर होनी चाहिए, और उनका निर्णय शीघ्र करना चाहिए । अन्तिम निर्ण
सूचना वादी को शीघ्र अति शीघ्र दी जायगी ।

परिच्छेद नम्बर $\frac{\text{१८४ (IV संस्करण)}}{\text{३१९ (V संस्करण)}}$ जमाबन्दी की पूर्ति के

अभियाचन की छूट या वृद्धि ।

(१) यदि किसी ग्राम या मुहाल में कर योग्य क्षेत्रफल इतनी देर से
जाता है कि वह साधारण बाढ़ी अभियाचन में अंकित नहीं किया जा सके
उसके लिए अनुपूरक नक्शा अभियाचन (तितिम्मा जमाबन्दी) तैयार किया जा

(२) उन परिवर्तनों की सूचना जो नक्शा अभियाचन (जमाबन्दियों) के
के पश्चात् किये जायं, जिलाधीश को आदेश के १५ दिन के अन्दर फार्म न
एफ (नक्शा वृद्धि व कमी) में दी जायगी ताकि अभियाचन में शीघ्र सुधार कि
सके, छूट सदैव लाल रंग में दिखाई जावेगी ।

(३) एक रजिस्टर आई० बी० फार्म नं० ३४–एफ डिवीजन व जि
कार्यालय में रहेगा, जिसमें जमा बन्दियात रवाना होने के पश्चात् समस्त क
की वृद्धि और कमी अंकित होगी । कमी लाल स्याही से अंकित होगी और
खरीफ का २० फरवरी को और रबी का २० अगस्त को बन्द होगा ।

जो कमी–बेशी जमाबन्दियों में तहसीलदारों के पास भेजते समय की
वह इसमें अंकित नहीं होगी ।

<u>परिच्छेद नम्बर १८५ अभियाचन नहर की उगाही के सम्बन्ध में ।</u>

(१) जो कर डिवीजन अधिकारी निर्धारित करें उसको उगाही कि
करेंगे । आय (आमदनी) नहर के ठीक समय पर उगाही करने के विषय में
का उत्तरदायित्व वही होगा जो भूमि की मालगुजारी के उगाही करने के सम्बन्ध

(२) उगाही में त्रुटियों का सुधार जिलाधीश कर सकते हैं, जब भ
गये हों, भाग गये हों, असमर्थ हों तो छूट दे सकते हैं ।

(२) प्रत्येक माह की ७ तारीख को जिलाधीश एक नक्शा छूट का जो उसने दी है, फार्म नं० ७० पर प्रति हस्ताक्षर के लिये और एकाउन्टेन्ट जनरल के पास भेजने के लिए डिवीजनल अधिकारी के पास भेजेगा। इस नक्शे का उप-संक्षेप (खुलासा) फार्म (डी) पर मुस्तजन की वापसी या छूट के कारण नहर व माल विभाग में दी है, अंकित होगी।

सिंचाई की माप की जांच

परिच्छेद नं० $\frac{\text{१८८ (नया संस्करण)}}{\text{१२३ (पांचवां संस्करण)}}$

(१) डिवीजनल अधिकारी को देखना चाहिये कि सब-डिवीजनल अधिकारी और जिलेदार अर्द्धमासिक हिसाब रखते हैं, जिससे पता चल सके कि सिंचाई कैसी हो रही है और वे सिंचाई की उन्नति का अनुचित देरी में तुरन्त पूछ ताछ करते हैं।

(२) अंतिम माप के समय सब-डिवीजनल अधिकारी या डिप्टी रेवेन्यू अधिकारी को अमीन कर्मचारियों के काम का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिये। उनको पतरौल का साप्ताहिक विवरण (हफ्ता) देखना चाहिये और यदि नीच की बढ़ती बिना कारण नजर दिखाई दे तो उनका उत्तर मांगना चाहिये और विशेष जांच का आदेश देना चाहिए। अगर सिंचाई की उन्नति अकारण धीरे चल रही हो या आशा के विपरीत अधिक क्षेत्र दिखलाया गया हो यदि नीच की जांच करने में अधिक त्रुटियां पाई जायें तो इस विषय की रिपोर्ट डिवीजनल अधिकारी के पास कर देना चाहिए। वे यदि आवश्यक समझें तो डिप्टी रेवेन्यू अधिकारी को स्थानीय जांच के लिये और सम्बन्धित जिलेदार, अमीन और पतरौल के काम पर रिपोर्ट देने के लिये भेजेंगे।

(३) कम से कम क्षेत्र की प्रत्येक अधिकारी की परताल के लिए खरीफ व रबी के लिये निर्धारित है। परिशिष्ट नं० २ में देखो। निर्धारित क्षेत्र की जांच करने पर कोई माफी नहीं है। केवल उस दशा में जब सिंचित कुल क्षेत्र की मात्रा इतनी कम है अथवा तितर-बितर है जिससे निश्चित किये हुए क्षेत्र की जांच असंभव समय लगे ऐसी दशाओं में निश्चित क्षेत्र की ७५ प्रतिशत से कम जांच न होनी चाहिए। जांच ऐसे भूमि-भागों में सीमित न होनी चाहिए, जो सुगमता से जांच हो सके अथवा निरीक्षण भवन के पास ही और जहां तक सम्भव हो इसमें अमीन व पतरौलों को करनी चाहिए जितनी कि सम्भव हो और दूरवर्ती भूमि भाग की करनी चाहिए।

डिवीजनल और सब-डिवीजनल अधिकारी को कम से कम आठ बजे प्रातःकाल परताल करनी चाहिये।

(४) राजस्व विषयों में डिप्टी रेवेन्यू आफिसर डिवीजनल अधिकारी का मुख्य सहायक है। उनको प्रत्येक अमीन के हल्के में प्रति फसल कम से कम एक गांव जांच करना चाहिए। अतिरिक्त उसके कि डिवीजनल अधिकारी विशेष रूप से उनको गांवों की जांच करने का आदेश दें, उनको अंतिम माप के काम की सावधानी से देख भाल करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कोई नियम विरुद्ध व्यवहार नहीं हो रहा और पर्चे शीघ्र बांटे जाते हैं और जमाबन्दियां शीघ्रता से भेजी जाती हैं। उनको जिलेदार के दफ्तर का मुआयना बहुधा करना चाहिये और देखना चाहिए कि जमाबन्दियों की जांच नियमानुसार और समय पर हो रही है, प्रधान कार्यालय में ठीक समय पर पहुंचने के लिये।

(५) जिलेदार को हर फसल हर एक पतरौल की चौकी में कम से कम ... गांव की जांच करनी चाहिए अतिरिक्त इसके कि डिवीजनल अधिकारी उन्हें ... विशेष रूप से किसी गांव की जांच करने का आदेश दें। वह इस बात के उत्तर... दायी होंगे कि अमीन कोई नियम विरुद्ध व्यौहार न करे और अंतिम माप के सम... लेखपालों और प्रधानों के बुलाने का यथोचित प्रबन्ध करेंगे।

(६) अमीन को माप आरम्भ होने के पूर्व नियम के अनुसार शत-प्रतिश... सिंचित क्षेत्र की जांच करनी चाहिए अतिरिक्त विशेष असाधारण कारणों में, परन्तु ... प्रतिशत से कमी नहीं होनी चाहिए। उसको प्रत्येक प्रविष्टि पर जो खसरा शुद्ध... में जाँच करे या लिखे, हस्ताक्षर करने चाहिए और तिथि लिखनी चाहिए। वह अ... हल्के में माप का उत्तरदायी होगा और उसको जमाबन्दी की खसरा शुद्धकार ... जिलेदारी कार्यालय में जांच करनी चाहिए।

(७) जहां कहीं शुद्धकार के समय तक सिंचित क्षेत्र में और अन्तिम सिंचि... क्षेत्र में अधिक अन्तर हो तो अधीक्षण अभियन्ता को अनुपूरक (तितिम्मा) जांच ... लिए अधिक कर्मचारियों का प्रबन्ध करना चाहिए।

परिच्छेद नम्बर $\frac{\text{१८६ (IV संस्करण)}}{\text{३२४ (V संस्करण)}}$ मालकाना कर।

(१) मालगुजारी भुगतान करने वाले मुहालों में नहर से सिंची हुई समस्त भू... पर जिनकी गत नये से नये बन्दोबस्त के समय सींची हुई भूमि की दर के आधार ... निर्धारित नहीं हुई थी मालकाना कर ऐसी भूमियों पर अविचारक कर का एक-तिहाई ... से लगाया जायगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी मुहाल में मालिकाना कर किसी ... में उस धनराशि से अधिक न होगी जो निर्धारित मालगुजारी के प्रचलित विधि के अ... वृद्धि के कारण उस वार्षिक आय अथवा उपज में निर्धारित की जा सकती है या की ... है जो नहर की सींच के कारण से हुई हों, एवं मालकाना कर इन्हीं प्रकार की बारा... सिंचाई की हुई भूमि की दर लगान के अन्तर के प्रतिशत से अधिक न होगा। जो ... (खालिस) आय का एक वही अनुपात प्रतिशत होगा, जिसके अनुसार मुहाल पर मालगु... निर्धारित की जा सकती है या की गई है।

[देखो सिंचाई विभाग का विज्ञापन नम्बर ११/१३२ (आई० डब्लू०)–१७–... ६४–डब्लू, तारीख २ सितम्बर सन् १९३६]

व्याख्या—(१) इस बात का निर्णय करने के लिए कि मालकाना कर लगाया ... खेत को इकाई मान लिया जायगा इसलिये कि ऐसे किसी खेत पर जिसकी निर्धार... बारानी दर के अनुसार हुई थी, मालिकाना कर लगाया जा सके, जब उस खेत में ... से सींच होने लगे।

(२) इससे कोई प्रयोजन नहीं कि भूमि बन्दोबस्त के समय सींच नहर से होती ... या किसी अन्य साधन से प्रतिबन्ध तो यह है कि उस भूमि के सम्बन्ध में मालगुजारी के ... बारानी भूमि की दर निर्धारित की गई थी या सींच की हुई भूमि की दर।

(३) मालगुजारी से मुक्त मुहालों में नहर से सींची हुई भूमि पर मालकाना ... अविचारक कर का १/३ उस भूमि के सम्बन्ध में होगा जो भू-सम्पत्ति भुगतान करेंगे ... पर अविचारक कर लगा हो।

परन्तु इस प्रतिबन्ध पर कि मालिकाना कर उससे अधिक न होगा जो उप... नियम।

(२) मालगुजारी देने वालों महालों में भूमि के लिये अधिक से अधिक नियत किया गया हो।

[देखो विभाग का विज्ञापन नं० ११,१३२ (आई० डब्ल्यू०)-१७-एच-४६-डब्लू—तारीख २ सितम्बर १९३६ ई०।]

(३) जिस भूमि के स्वामी तथा मालगुजारी से मुक्त व्यक्ति पृथक-पृथक व्यक्ति हों और जिन पर गत बन्दोबस्त के समय मालगुजारी निर्धारित हुई हैं, परन्तु माफीदारों को दे दी गई है, उन पर मालकाना कर नियम १ के अनुसार देना पड़ेगा।

[देखो सिंचाई विभाग का विज्ञापन नम्बर ११/१३२, आई-डब्ल्यू/१७-एच-६४-डब्ल्यू, तारीख २ सितम्बर सन् १९३६ ई०।]

(४) उन ग्रामों के सिलसिलों की जिनमें नहर से सींच होती है, यह आवश्यक होगा कि वे उन समस्त खेतों की सूची बनायें जिन पर गत बन्दोबस्त में सिंचाई की हुई भूमि की दर से निर्धारित नहीं की गई थी, एवं उन खेतों की जो उस बन्दोबस्त के खसरे में बिना सींच किये हुये लिखे गये हैं और बाद को जिन पर नहर से सींच होने की दशा में मालिकाना कर लगाया जा सकता है। यह उन कारणों से जो सरकार के आदेश नं० २०/८८ (अ), तारीख ११ अगस्त सन् १८७४ ई० के परिच्छेद नं० ८ में दिये गये हैं। खसरे की प्रविष्टि नं० ३ से नहीं मिलते हैं, वहां जिलाधीश उन निर्देश के अनुसार चलेगा, जो सरकार के उक्त आदेश में दिये गये हैं।

(५) इस प्रकार से बनाई सूचियों की जांच निम्नांकित होगी —

प्रत्येक ग्राम की प्रविष्टि की २५ प्रतिशत जांच कानूनगो करेंगे, १० प्रतिशत तहसीलदार और ५ प्रतिशत सहायक अथवा उप-जिलाधीश करेंगे, प्रविष्टियां जिनकी जांच हो सूचियों में उनके नम्बरान नोट किये जाने चाहियें और उनमें कृषि योग्य तथा कृषित क्षेत्र दोनों सम्मिलित होने चाहिए तथा कृषि योग्य क्षेत्र का कोई भाग जिसमें गत बन्दोबस्त के पश्चात् खेती की गई हो और उसके साथ-साथ नहर से सम्भवतः सींचा गया हो।

(६) सूचियां जो इस प्रकार से तैयार की जायं, नहर विभाग को दी जायेंगी और नहर विभाग अपने खसरों में मालिकाना कर, जो प्रत्येक खेत पर प्रचलित नियमानुसार नियत हो, प्रविष्ट करेंगे। मोहर्रिर नहर समय-समय पर जिलाधीश को एक विवरण के रूप में अभियाचन (मुतालबा) की एक स्मृति-पत्र भेजेंगे।

(७) जिलाधीश एक नक्शा मालिकाना कर के वसूल और बाकी का प्रत्येक महालवार और फसलवार रखेंगे।

(८) जिन भूमियों की सिंचाई ऊपर गंग नहर, लोअर गंग नहर, हलवा खंड रजबहा सहित, परन्तु शाख फतेहपुर और बदनपुर रजबहा एक्सटेंशन को छोड़ कर अलहार आगरा और जमुना की पूर्वी नहर से होती है उन पर मालकाना कर अधिकारक कर की उन दरों के हिसाब से लगाया जायगा जो विज्ञापन माल विभाग नं० ३/३७६-आई—९८(अ) विभाग, तारीख १५ दिसम्बर, १८९२ ई० को जारी होने से पूर्व प्रचलित थी।

[देखो विज्ञापन माल विभाग (सिविल) नं० २६८८/आई-९८ (अ)-विभाग, तारीख १९ सितम्बर १८९३ ई०; सिंचाई विभाग के विज्ञापन नं० ८४३ और ८४५-आई-डब्ल्यू-१७-एच—६४-डब्ल्यू विभाग, तारीख १६ मई, सन् १९३० ई० को भी देखो।]

(९) मथुरा और आगरा के जिलों में जिस भूमि की सिंचाई नहर आगरा से होती है उस पर मालकाना कर की दर अविवारक कर का १/६ भाग है। देखो विज्ञापन नं० १४०७ विभाग, २० अगस्त, १८८० ई०।

(१०) जो भूमि नहर बेतवा से सिंचाई होती है या उन भूमियों पर जो अतिरिक्त हलका कस्बा राठ। व झाँसी फतेहपुर जोन नहर गंगा से सिंचाई होती है उन पर कोई मालकाना कर नहीं लगता।

देखो विज्ञप्ति: विज्ञापन नं० ८४३-आई-डब्ल्यू/१७-एच--६४-डब्ल्यू--महकमा १६ मई, सन् १९३० ई० और पत्र नं० ३१३०-आई० महकमा २४ नवम्बर, सन् १८८५।

(११) ऐसे किसी ग्राम में मालकाना कर नहीं लगाया जायगा जिसमें सिंचाई नहर घाटमपुर रजबहा बढ़ाने के कारण से आरम्भ हुई हो तो (देखो विभागीय विज्ञापन नहर नं० ८४८-आई-डब्ल्यू/१७-एच--६४-डब्ल्यू-विभागीय, १६ मई, १९३० ई०।

(१२) जो भूमि नहर दून व नहर बिजनौर से सिंचाई होती है, उन पर मालकाना कर प्रचलित अविवारक कर का एक-तिहाई होगी। देखो विभागीय नहर विज्ञापन १८०२ आई० विभाग, १२ जून, सन् १८९९ ई०।

(१३) बुंदेलखंड की नहरों पर मालकाना कर सींच कर की उन दरों का एक-तिहाई लगाया जायगा, जो विभाग के विज्ञापन नं० ४४/६० आई० विभाग, १ दिसम्बर, सन् १८८७ ई० के जारी होने के पूर्व प्रचलित थी।

देखो विभाग नहर का विज्ञापन नं० ३८२३-आई० विभाग, १३ दिसम्बर, १८९८।

(१४) उन भूमि पर जो मिर्जापुर जिले में सरकारी झीलों से सिंचाई होती है, कोई मालकाना कर नहीं लगेगा।

देखो नहर विभाग का विज्ञापन नं० ३५५२ आई० एम०/१७-एच-८३-डब्ल्यू-विभागीय, २१ अगस्त, सन् १९१७ ई०।

(१५) उन भूमियों पर जो नहर शारदा और उसके जोबेजात से सिंचाई होती है कोई मालकाना कर नहीं लगाया जाता है।

(१६) रियासत बनारस में नहर गरई, मिर्जापुर नहर डिवीजन से जिन भूमियों की सींच होती है उन पर जो मालकाना कर सीधे लगाया जाता है उसकी दर अविवारक कर की एक-तिहाई है।

देखो विभाग नहर का विज्ञापन नं० ६ आई-डब्ल्यू/१७-एच—६४-डब्ल्यू, १ विभाग, २९ फरवरी, सन् १९२८ ई०।

(१७) उन भूमियों पर कोई मालकाना कर नहीं लगाया जाता है जो निम्नलिखित नहरों, झीलों, तालाबों से सिंचाई होती है:—

१—नहर केन।

२—नहर धसान।

३—पंतनवां ताल।

४—झील पहाड़ताल।

५—नहरें व ताल रामपुर।

६—नहर व झील बरवर ।

७—बानपुर ताल ।

८—नहरें धसान व पहूज ।

९—झांसी व हमीरपुर जिलों की झीलें व तालाब ।

१०—बेलासागर ताल ।

११—कमालपुर ताल ।

(१८) जो ओखला देहली व गुड़गांव के जिलों में नहर आगरा से सिंचाई होती है उस पर मालगुजारी कर नहीं लगाया जाता है ।

परिच्छेद नम्बर $\frac{\text{१९३ (IV संस्करण)}}{\text{३२८ (V संस्करण)}}$ बेचा जाना घास, लकड़ी और नहर की विविध (मुतफर्रिक) उपज ।

(१) डिवीजनल अधिकारी नहर के आदेश से समस्त सरकारी नहरों और नाले जाने की पटरी की घास वार्षिक नीलामी द्वारा बेची जायगी व उक्त अधिकारी को अधिकार होगा कि सब से अधिक मूल्य या किसी अन्य बोली को अस्वीकार करदे । जहां तक सम्भव हो घास के गांव के रहने वालों को घास खरीदने में प्रधानता (तरजीह) दी जायगी और इसी प्रकार की कार्यवाही फालतू लकड़ी व वृक्ष आदि की नीलामी में भी होगी ।

(२) माल की छुड़ाई किसी भी दशा में भी बाहरी व्यक्ति को नहीं दी जायगी जब तक कि वह एक अथवा दूसरे अधिकारी को, जो धन लेने का अधिकारी हो, धन का भुगतान न कर दे । ग्राहक को माल की छुड़ाई लेने से पूर्व उस धन की रसीद, जो उसने धरोहर के रूप में भुगतान किया है, निश्चित फार्म पर सम्बन्धित ओवरसियर को दिखानी चाहिये ।

(३) पटरौल या चौकीदार जिसके पास निरीक्षण भवन का चार्ज हो प्रत्येक माह की २५ तारीख को उसकी प्राप्ति और बिक्री का हिसाब ओवरसियर हलका को भेजेगा जो उसको अपने हिसाब में सम्मिलित करेगा ।

(४) समस्त ओवरसियरों को जिनके अधिकार में ईंधन आदि हो, उसका हिसाब संशोधित फार्म ८७-एम पर अवश्य रखना चाहिए ।

(५) रजिस्टर इमारती लकड़ी का फार्म नं० ८३-एम पर ओवरसियर रक्खेगा, जिसका निरीक्षण और परीक्षण सब-डिवीजनल अधिकारी समय समय पर करते रहेंगे ।

(६) यह रजिस्टर प्रत्येक माह की २५ तारीख को यथासम्भव सबडिवीजनल अधिकारी के कार्यालय में भेजा जाना चाहिये ।

(७) सब-डिवीजनल क्लर्क का यह कर्तव्य होगा कि वह रजिस्टर मिस्लेनियस रेवेन्यू एकाउंट्स के (वार्षिक आय की वापसी का रजिस्टर) इन्दराजों में अंकित की गई कटाई-छुटाई आदि के धन के भुगतान के लिये को प्राप्त माना जाता है ।

(८) जिन्स जो ब्यौरे में दिखाई गई हैं उनका मीलान भिन्न-भिन्न अधिकारियों की रिपोर्टों से जो ओवरसियर ने भेजे हों करना चाहिये और यह हिन्दी बिलिंग में वारन्ट जारी करने के लिये रक्खी जायगी ।

(९) ओवरसियर को एक रजिस्टर ८४–एच खड़े वृक्षों की वार्षिक गिनती का रखना चाहिये और वर्ष में एक बार सब–डिवीजनल अधिकारी के यहां अंग्रेजी रजिस्टर प्लान्टेशन ए को लिखने के लिये भेजना चाहिये ।

(१०) प्लान्टेशन रजिस्टर को लिखे जाने के लिये एक रजिस्टर लकड़ी, कोयला, बांस, ईंधन आदि का सब–डिवीजन मुन्शी और क्लर्क संशोधित फार्म नं० ८७–एच पर रखेगा ।

(११) सब–डिवीजनल अधिकारी एक मौकेवार रजिस्टर लकड़ी और कोयले का संशोधित फार्म नं० ८७ पर रखेंगे और उसका मुकाबिला जो रजिस्टर ओवरसियर व पतरौल भेजेगा करेंगा ।

(१२) पतरौल या ओवरसियर को इस बात का अधिकार होगा कि ईंधन या कोयला उस व्यक्ति को न दे जो उसकी रसीद न दे ।

(१३) लकड़ी या कोयला आदि प्रत्येक व्यक्ति को तौल कर देना चाहिये इसके लिये प्रत्येक गोदाम पर तराजू रखनी चाहिये ।

(१४) जहां पर नहर की प्लान्टेशन नहीं है :

(१) ईंधन, कोयला, इमारती लकड़ी, लट्ठे की प्राप्ति व खर्च का हिसाब स्टाक के रजिस्टरों में ओवरसियर के और सब–डिवीजनल को रखना चाहिये ।

(२) शेष–भाग अधिक संख्या में नहीं होना चाहिये बल्कि कम से कम होना चाहिये जो विभागीय अधिकारियों की आवश्यकता को पूरी कर सके ।

परिच्छेद $\frac{\text{१९४ (IV संस्करण)}}{\text{३२९ (V संस्करण)}}$ उगाही विविध अभियाचन (आमदनी मुतफर्रिकात) ।

आय

१—निम्नांकित दशाओं के अतिरिक्त कोई धन बिना वारन्ट जारी किये हुए वसूल नहीं किया जावे :—

(अ) किराया मकानात

(ब) जुर्माना फौजदारी

(ज) मूल्य लोहा या कोयला जो दौरे में सरकारी कर्मचारियों को बेचा जावे ।

(द) बेचा जाना नीलाम द्वारा जबकि डिवीजनल अधिकारी नहर की स्वीकृति से पूर्व मूल्य का कुछ भाग पहिले वसूल किया गया हो । जो धनराशि इस प्रकार से वसूल हो वह उस समय तक आय की मद में जमा रहनी चाहिये जब तक कि योग्य अधिकारी बेचने की अन्तिम स्वीकृति न दे ।

(इ) मूल्य बिक्री जो डिवीजनल अधिकारी या सब-डिवीजनल अधिकारी ने की हो ।

(फ) तार घर की आमदनी ।

मद (अ) की धनराशि उस वारन्ट में अवश्य शामिल की जायेगी जो अगले माह की ५ तारीख को जारी होगा । किन्तु दूसरी रकमें जिन तारीखों में प्राप्त हों उसके पश्चात जारी होने वाले वारन्ट में लिखनी चाहिये ।

(२) समस्त प्रार्थना-पत्र विविध आय की वस्तुओं को नीलाम लेने के लिये अतिरिक्त उपरोक्त मदों पे, जो दी है डिवीजनल अधिकारी के पास सब-डिवीजन द्वारा स्वीकृति हेतु भेजना चाहिये । प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता के पास प्रस्तुत होने से पूर्व (स्तम्भ) १ ता० ६ सब-डिवीजन के रजिस्टर में पूर्ति होगी जब प्रार्थना-पत्र डिवीजनल कार्यालय में प्राप्त किया जावे तो हेड मुंशी प्रार्थना-पत्र को रजिस्टर में अंकित करके प्रार्थना-पत्र सहित रजिस्टर को आदेश व हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत करेगा । स्वीकृति हो जाने के पश्चात प्रतिलिपि सब-डिवीजन द्वारा आवश्यक पूर्ति के पश्चात् सब-डिवीजन के रजिस्टर में अंकित हो जाने पर जिलेदार के पास प्रार्थी को सूचना देने हेतु भेज दी जायगी ।

(३) एक रजिस्टर प्रार्थना-पत्र का डिवीजन व सब-डिवीजन कार्यालय में उन फार्मों पर जो इस अध्याय के अन्त में दिया है रखना चाहिये । यह रजिस्टर जो नि[illegible] उस पर दिये हैं उसके अनुसार कड़ाई से होना चाहिये और इसमें लिखे हुए का नीलाम उस विषय से जो ९ की (प्रार्थना-पत्र वारन्ट जारी होने का) में दिये गये हैं, जांच हो सके कि सारे विषय जो सक्षम अधिकारी द्वारा, जिसके वारन्ट होने के पश्चात् जारी किये गये हैं स्वीकृत हो कर ठीक लिखे गये हैं ।

(४) ये प्रार्थना-पत्र डिवीजन या सब-डिवीजन के रोजनामचे में या किसी और रजिस्टर में न दर्ज होना चाहिये । ये केवल प्रार्थना पत्र के रजिस्टर में ही अंकित होगा और रजिस्टर की क्रम-संख्या प्रार्थना-पत्र पर अंकित की गई हो, आवश्यकता पड़ने पर इसका संकेत देना पर्याप्त होगा ।

(५) श्री मामर साहब का रजिस्टर जो निर्देश उस पर दिये गये हों पूर्णतः उनके अनुसार ठीक रक्खा जावे । जिससे अधिशासी अभियंता देख सके कि कुल बार बार आने वाले विषय विविध आय के ठीक समय व उचित मूल्य पर बेचे गये हैं ।

(६) वारन्ट का रजिस्टर जिलेदार सब-डिवीजनल आफिसर अधिशासी अभियन्ता आई बी० फार्म नं० ७१ पर रक्खेंगे ।

(७) प्रत्येक माह में दो बार ता० ५ व २० में आई० बी० हिन्दी फार्म नं० ६-बी पर वारन्ट जारी होना चाहिये ।

(८) डिवीजनल व सब-डिवीजनल अधिकारी विभाग के इस बात का ध्यान रक्खेंगे कि मैजिस्ट्रेट नहर द्वारा लगाये गये, जमा किये गये, जुर्माने विभागीय और अन्य से मिलान किये जावें और यह जुर्मानों की आय जितना शीघ्र सम्भव हो सरकारी में प्रत्येक मैजिस्ट्रेट के पृथक हिसाब में उचित मद में जमा कर दी गई है ।

(९) रुपया सब-डिवीजन (प्रधान कार्यालय) डिप्टी रेवन्यू आफिसर व जिलेदार द्वारा वसूल किया जाना चाहिये । परन्तु अन्तिम दोनों आफिसरों ने जो रुपया वसूल किया है वह सदर या पास के सब-डिवीजन या कोष ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी में जिसमें भी सुविधा हो जमा कर देंगे । रुपया जमा करने की सूचना सब-डिवीजन द्वारा डिवीजनल अधिकारी को शीघ्र दी जायगी ।

चूंकि जिलेदार के पास कोई गारद नहीं रहती है अतः जिलेदार को १०० से अधिक की धनराशि अपने पास नहीं रखना चाहिये नहीं तो वह चोरी आदि के द्वारा हानि हो जाने की दशा में उत्तरदायी होगा ।

(१) डिप्टी रेवेन्यू आफिसर केवल उस समय रुपया वसूल करेंगे जब अधिशासी अभियन्ता ने उनको सरकारी माल के नीलाम करने का निर्दे[illegible] दिया हो ।

(१०) विविध आय—आमदनी के धन जैसे घास, पत्ती या फसल के सम्बन्ध में जिलेदार नहर वसूल करेंगे। मगर यदि एक धन १००.०० से अधिक हो तो सब-डिवीजनल अधिकारी या एकाउन्टेन्ट द्वारा वसूल होना चाहिए और ऐसी धन-राशि का वारन्ट सदैव उनके नाम सीधे जारी होना चाहिये।

(११) विविध आय के धन का ब्यौरा (Memo) वारन्टवार, जिम्मेवार रुपयों के साथ सब-डिवीजन आफिसर या प्रधान कार्यालय को भेजना चाहिये। उसके लिये रसीद फार्म खजाना नं० ३८५ प्रयोग में लाना चाहिये।

तहसील में सीधा रुपया जमा करने की दशा में यह ब्यौरा तहसील रसीद के साथ सब-डिवीजनल अधिकारी को भेजी जायेगी। जो नोट करने के पश्चात् डिवीजनल कार्यालय में समालोचना (Adjustment) के लिये भेज देंगे। जिलेदार को सीधे तहसील में रुपया जमा करने के लिये ट्रेजरी रिमेटेन्स किताब का प्रयोग करना चाहिये।

(१२) ईंधन, कोयला, इमारती लकड़ी जो नहर के कर्मचारियों को बेचा गया है, उसके मूल्य की वसूलयाबी वेतन देते समय सब-डिवीजनल अधिकारी या एकाउन्टेन्ट जिसके नाम वारन्ट जारी हुआ हो, करेंगे जो अन्य डिवीजन या सर्किल कार्यालय के कर्मचारियों को ईंधन या कोयला बेचा गया हो उसके मूल्य की वसूलयाबी का एकाउन्टेन्ट प्राथमिक उत्तरदायी होगा। उसको वारन्ट मिलते ही आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

इसकी सूचना उस सब-डिवीजन को जिसका इससे सम्बन्ध है प्रधान कार्यालय द्वारा वसूल होने पर तुरन्त दी जायगी और सब-डिवीजन प्रत्येक माह की २५ ता० को जिलेदार को सूचना देंगे।

(१३) जब कि लकड़ी या कोयला नहर के किसी कर्मचारी को बेचा जावे तो पतरौल व ओवरसियर Incharge उस व्यक्ति से लिखित रसीद इस बात की लेंगे कि किस मात्रा व तारीख में लकड़ी व कोयला लिया गया है।

(१४) विविध आय का माहवारी हिसाब वारन्टवार और जिम्मेवार फार्म नं० ७१-एच पर जिलेदार प्रधान कार्यालय में भेजेंगे और जांच के पश्चात् वह जिलेदार को लौटा दिया जावेगा। प्रधान कार्यालय इसको रजिस्टर में लिखेगा और जिलेदार अपने रजिस्टर को फार्म नं० ७१-एच से ठीक करेंगे।

निरीक्षण भवन का पतरौल जिसके पास ईंधन व कोयला है उसकी आय-व्यय का ब्यौरा प्रत्येक माह की २५ ता० को ठीक समय से ओवरसियर के पास भेजेगा जो जांच के पश्चात् अपने हिसाब में सम्मिलित कर लेगा।

(१५) जो धन पतरौल ईंधन आदि का वसूल करेगा उसको ओवरसियर के पास जमा कर देगा और सम्बन्धित धन का वारन्ट उसके नाम जारी होगा।

(१६) मोहर्रिर जिलेदारों को अपने पास सरकारी रुपया रखने की कभी आज्ञा नहीं देना चाहिये।

(१७) लकड़ी आदि के नीलाम के समय कोई धन धरोहर के रूप में जिलेदार या डिप्टी रेवेन्यू आफिसर जो भी वसूल करें उसको सब-डिवीजन, प्रधान कार्यालय या पास के कोष में जहां सुविधा हो जमा कर दें, या यदि सम्भव हो तो ग्राहक सब-डिवीजन या डिवीजनल कार्यालय में सीधा रुपया जमा कर सकता है।

(१८) जो अधिकारी रुपया जमा करेगा उसकी रसीद फार्म ६९-एच पर ग्राहक को देंगे और फार्म नं० ३ में बिक्री का वर्णन जिसका धन जमा किया गया है देंगे और उसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता को सब-डिवीज़न द्वारा दी जावेगी।

(१९) यदि सब-डिवीज़नल अधिकारी या एकाउन्टेंट के पास रुपया जिलेदार या डिप्टी रेवेन्यू अधिकारी द्वारा जमा किया गया हो उसकी रसीद फार्म नं० १८५ या जमा करने वाले को देंगे, यह रसीद जिलेदार नहर या डिप्टी रेवेन्यू अधिकारी अपनी दाखिला बही में रुपया जमा करने के प्रमाण के तौर पर चस्पां कर लेंगे।

सिंचाई नहर चुंगियों की सीमा के अन्दर और लखनऊ छावनी में:

(अ) चुंगियों की सीमा के अन्दर समस्त जिन्सों या उद्यानों पर जिनकी सिंचाई उत्तर प्रदेश और जिले देहली और गुड़गांव की नहरों से हों, सिंचाई की दर १६·०० रुपया प्रति एकड़ तोड़ और ८·०० रुपया प्रति एकड़ डाल का प्रति वर्ष ६ माही या प्रति फसल जैसा कि विविध नहरों की संसूचना में दिया गया है होगी।

(१) नहर का पानी, जो कानपुर, वाटरवर्क्स पम्पिंग स्कीम को दिया गया हो।

(२) बुन्देलखंड की नहरों को।

(३) सिंचाई नहर के जो कानपुर, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की ऐसी भूमियों में की जाय जो चुंगी कानपुर की सीमा में स्थित हो।

(ब) लखनऊ छावनी के अन्दर खेल या घास के मैदान को पानी देने की दर १६·०० रुपया प्रति एकड़ वार्षिक तोड़ का और ८·०० रुपया प्रति एकड़ डाल का होगा।

(स) वन कृषि विभाग के कार्यों की सिंचाई जो चुंगियों की सीमा के अन्दर हो उसी दर से लागू किया जायेगा जो चुंगियों की सीमा के बाहर हो।

(द) समस्त जिन्सों और उद्यानों पर जिनकी सिंचाई बुन्देलखण्ड की चुंगियों की सीमा के अन्दर हो, दर कर उस नहर के अनुसूची के अनुसार लागू होगी जिनमें सिंचाई की गई हो।

(क) सिंचाई का जैसा कि अनुसूची नं० १ में दिए हैं, मय २५ प्रतिशत सरचार्ज के उन समस्त भूमियों पर लगाया जायेगा जो कानपुर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के कब्जे में है और कानपुर चुंगियों के दक्षिण और पश्चिमी टुकड़ों में स्थित है, जैसा कि नीचे व्याख्या की गई है:

(१) दक्षिणी टुकड़े की चौहद्दी यह है उत्तर में—कल्याणपुर रजबहा, पूर्व में—गांव कानपुर, दक्षिण में—चुंगी की सीमा और पश्चिम में—चुंगी की सीमा और काल्पी की सड़क स्थित है।

(२) पश्चिमी टुकड़ों की चौहद्दी यह है: उत्तर और पश्चिम में—अना-वाउर सड़क, पूर्व में—(कोई) बड़ा या केन्द्रीय भारतीय रेलवे की साइडिंग और दक्षिण में ग्रांड ट्रंक रोड (हद चुंगी) स्थित है।

यदि सूखा अवधि सीमा दक्खिन की तरफ आगे बढ़ावें तो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की किसी भूमि पर जो बढ़ाई हुई सीमा के अन्दर स्थित हो, ऊपर दिये हुये सिंचाई कर की दर लागू होगी।

सींच की दरें जो उत्तर प्रदेश सरकार की नहरों पर लागू होंगी।

नोट—यह दर पहली अप्रैल सन् १९५३ ई० अर्थात् खरीफ १९५३ के आरम्भ से लागू हैं।

(अ) अनुसूची नं० १—अपर व लोअर गंगा नहरें, पूर्वी यमुना नहरें, आगरा नहरें, शारदा नहर, दून नहरें, राम गंगा, घाघरा, रोहिन ढोंडा और रामगढ़ जनवसा नहर, तमोरा ताल पम्प नहर मुजफ्फरपुर, ढोंडा, भखेरा, दोहरी घाट, सुरता, बकरी ताल, रघुई ताल, बाहर पम्प नहरें, आजमगढ़ नहर, कुंआ पम्प नहर, बसती पम्प नहर, बहादुरगंज पम्प नहर, गुरसहाय नहरें माता टीला बांध परेवना के अन्तर्गत (रबी १३६८ फसली से) और तुमरया बांध :

जिन्स	दर प्रति एकड़	
	त. इ.	इान
	रु०	रु०
गन्ना	३२·००	१६·००
धान (अगेरे का बोया हुआ) दून नहर को छोड़ कर तरकारी बाग प्रति फसल सिंघाड़ा/पोस्त ..	१४·००	७·००
अगेरे का बोया हुआ दून नहर पर १४/५६ से ..	७·००	३·५०
तम्बाकू ..	१६·००	८·००
बाग बगीचे और बाग दून नहर पर ..	१५.००	७.५०
गेहूं, जौ अन्य गेहूं और जौ से मिली हुई जिन्स ..	१२.००	६.००
कपास ..	४.५०	२.४०
चारा ..	३.००	१.५०
हरी खाद ..	२.००	१.००
अन्य रबी की जिन्स ..	९.००	४.५०
अन्य खरीफ की जिन्स ..	७.००	३.५०

अनुसूची नं० २—बेलवा, धसान, केन, पहुंज, गढ़मऊ, मोसी, बेलन और सुवरा नहर, गर्रई नहर, ममेल, बरवा नहर, मझियवां, अनुआर, रामपुर, भ्लो सागर, सुखरा नहर, गर्रई नहर, समेल, बरवा नहर, मझियवां, अनुआर, रामपुर, बलो सागर, सुबरा नहर, गर्रई नहर, ममेल, बरवा नहर, सजनाम और ममालपुरा, जेंकती और कुलपहाड़, मदोरी और बरबर, झील बीजार, डामवन और रावखोरे तथा व दूधी पुरिया झील में और जिला झांसी और हमीरपुर जिले के ताल व कीर्ति, भिम्रा, घाघा और मगाने नहरें रामपुर रानीपुर नहर (सपरार बांध) सरकार नगर नरहट तालाब, पालो तालाब, अर्जुन नगर, कबराय झील और नहर। नारायनी नहर, मोहो बांध, हिमाया बांध, कोलियापुर बांध, गनेशपुर बांध, जिला मिर्जापुर के बांध और तालाब बरवा होला सतोली और पीपराबीह बांध, रामपुर जलाशय सनपुखरा

जलाशय, बंरमान जलाशय, गिरगिटी जलाशय, चन्द्रप्रभा बांध नौगढ़ बांध, निकोवा नहर, बबूरी नहर, चन्दौली नहर, पचौरा नहर, चकिया नहर (मिर्जापुर) ममगवन और बघेलखन्ड जलाशय, गुरसराय नहरें माताटीला बांध योजना के अन्तर्गत (रबी १३६५ फसली से) बालमीकी बांध (चालू योजना) भागला तालाब योजना, ममौली बांध, ललितपुर नहर सरकारी नहर, बरवास नहर डबी ताल :

जिन्स	कर प्रति एकड़	
	तोड़	ढाल
	रु०	रु०
गन्ना	१६.००	८.००
धान, तरकारी, बाग प्रति फसल, सिंघाड़ा, पोस्त	१०.००	५.००
कपास	३.००	१.५०
तम्बाकू	१२.००	६.००
गेहूं, जौ, गेहूं–जौ के मिश्रित जिन्स	१०.००	५.००
चारा	२.००	१.००
हरी खाद	२.००	१.००
अन्य रबी की जिन्सें	५.००	२.५०
अन्य खरीफ की जिन्सें	५.००	२.५०

अनुसूची नम्बर ३—रुहेलखन्ड नहरें जिनको सारदा नहर से पानी नहीं दिया जाता, रामपुर नहर कोशी के अतिरिक्त, भाला ढुंगा और बाल्ने नहर जो नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल जिलों के पहाड़ी स्रोतों से बने हैं और कुमायूं सिंचाई योजना अनुसूची नम्बर १ में हैं और लघु सिंचाई योजना टेहरी, गढ़वाल रियासत की बन्धियां :

जिन्स	कर प्रति एकड़	
	तोड़	ढाल
	रु०	रु०
गन्ना	८.००	४.००
धान, तरकारी, बाग प्रति फसल, सिंघाड़ा, पोस्त	४.००	२.००
अन्य खरीफ की जिन्सें और सब रबी की जिन्सें	४.००	२.००
कपास	२.००	१.००
चारे की जिन्से	२.००	१.००
हरी खाद	२.००	१.००

अनुसूची नम्बर ४—राज्य नलकूपों का पानी मात्रा में निम्नलिखित दरों पर जो कि सब जिन्सों के लिए समान होगी, दिया जायगा :

(अ) नलकूप जो भाप या जलविद्युत् शक्ति संग्रहालय की विद्युत् द्वारा चालित १६,००० गैलन प्रति रुपया।

(ख) नलकूप की डीजल इंजन या बिजली द्वारा संचालित विद्युत् द्वारा चालित ११,००० गैलन प्रति रुपया

अनुसूची नम्बर ५—गंगा सिंचाई मंडल, जिला आजमगढ़ :

जिन्स	कर प्रति एकड़ रुपयों में	
	तोड़	डाल
	रु०	रु०
सब रबी और खरीफ की जिन्सें	३.३७	१.६८
जिम्मीर नहर—		
सिंचित धान मानसून से पहले नहरी का बहाव	५.६२	३.१२
,, ,, ,, के बाद नहरी का बहाव	२.१९	१.२५
फल और पौध के बाग, तरकारी, सिंघाड़ा, नील, अजवाइन	६.७५	३.७५
कपास	३.७५	२.२५
तम्बाकू	६.७५	३.७५
गेहूं और जौ	३.७५	२.२५
गन्ना	६.७५	३.७५
जई और सब दालें	३.७५	२.२५
रिजका बरसीम और सब चारे की घास	३.००	१.५०

सिंचाई दर बुन्देलखण्ड के बंधों के लिये

जिन्स	दर	
	तोड़	डाल
इलाहाबाद जिला		
	रु०	रु०
१—तालाब क्षेत्र जो off-taking channel से सींचा जाता है	२.००	१.००
२—जलमग्न भाग क्षेत्र (submerged area)	२.००	..
३—गरवाजा बाढ़ बन्धी	४.००	..
बांदा जिला		
१—तालाब क्षेत्र जो off-taking channel से सींचा जाता है	४.००	३.००
२—जलमग्न क्षेत्र	४.००	..
पचीतन बांध	..	..
सोते से सिंचित क्षेत्र	२.००	१.००

जिन्स	दर	
	तोड़	डाल
	रु०	रु०
जलमग्न क्षेत्र	२.००	..
<u>हमीरपुर, झांसी और जालौन जिले</u>		
नई और पुरानी बस्ती जो सम्बन्धी जो पुराने BCD श्रेणी में सम्मिलित हैं	४.००	..
(अ) <u>जलनेर कन्या की सिचाई की दर :</u>		
जल मग्न क्षेत्र (submerged area)	३.००	..
Tringer area	१.००	..
सिचाई के बाहर (outside irrigation)	३.००	

(ब) <u>दर पानी जो सिचाई के अतिरिक्त अन्य काम में लाया जावे :</u>

अपर गंगा नहर ..	.. घाघरा नहर
लोअर गंगा नहर ..	.. घोरी नहर
आगरा नहर देहली और गुरगांव जिले में सम्मिलित ..	गुवर नहर
पूर्वी जमुना नहर देहली जिले में सम्मिलित ..	गरई नहर
शारदा नहर ..	.. बरवर झील और नहर
रुहेलखण्ड ..	.. झांसी की झील
बिजनौर नहर ..	.. हमीरपुर की नहरें
बेलका नहर ..	.. मझगवां तालाब
कीन नहर ..	.. कुलपहाड़ तालाब
धसान नहर ..	पतुआ नहर और म मऊ नहर

अन्य काम जिनके लिये पानी दिया जावे	दर	
	रु० आ० पा०	
१—ईंट व खपरैल	०–४–०	१०० घन फुट ईंट का भट्टा १,००० खपरैल
२—चुनाई कच्ची पक्की या दीवार मिट्टी की	०–४–०	१०० घनफुट
३—कुटाई सड़क	२४–०–०	मील
४—सिचाई भूमि रेह जमा करने हेतु	२–०–० १–०–०	तोड़ करने के समय डाल करने के समय
५—पानी जो बड़ी संख्या में दिया जावे	२–८–०	५,००० घनफुट
६—पलास्टर (नया या मरम्मत)	०–१–६	१०० वर्ग फुट
७—मिट्टी से बर्तनों के भट्ठे	०–८–०	भट्ठा

स्तम्भ काम जिसके लिये पानी लिया जावे	दर
(२) दून नहर	
	रु० आ० पा०
१—पकाई ईंट ८ × ४ × २ । अथवा इसी अनुपात से	४८—०—० लाख
२—पकाई खपरैल	०—८—० १,०००
३—चुनाई (कच्ची या पक्की) दीवार मिट्टी की	०—८—० १०० घन फुट
४—कुटाई सड़क	४८—०—० मील
५—पानी जो बड़ी मात्रा में घरेलू कामों को लिया जाय	१—०—० १,००० घनफुट
६—मिट्टी के बर्तनों के भट्ठे	०—१०—० भट्ठा
७—पलास्टर (नया या मरम्मती)	०—३—० १०० वर्ग फुट
(३) राम गंगा नहर	
१—पकाई खपरैल	०—६—० १,०००
२—ईंट	०—६—० १०० घनफुट ईंटा का १,००० लावाद ईंटा
३—चुनाई कच्ची व पक्की दीवार मिट्टी की	०—६—० १०० घनफुट
४—कुटाई सड़क	३६—०—० मील
५—सिंचाई भूमि रेह जमा करने की	३—०—० तोड़ सींच १—८—० डाल सींच
६—पानी जो बड़ी मात्रा में लिया जावे	०—१२—० १,००० घनफुट
७—पलास्टर (नया या मरम्मत)	०—२—० १०० वर्ग फुट
८—मिट्टी के बर्तनों के भट्ठे	०—१२—० भट्ठा
(४) धोगरा नहर	
१—खपरैल बनाना	०—६—० १,००० खपरैल
२—ईंट	०—६—० १०० घनफुट भट्ठे लगी १,००० ईंटें
३—चुनाई (कच्ची या पक्की) मिट्टी की दीवार	०—६—० १०० घनफुट
४—कुटाई	३६—०—० मील
५—सिंचाई भूमि रेह जमा करने की	३—०—० तोड़ सिंचाई १—८—० डाल सिंचाई
६—पानी जो बड़ी मात्रा में लिया जावे	०—१२—० १,००० घनफुट
७—पलास्टर (नया या मरम्मत)	०—२—० १०० वर्ग फुट
८—मिट्टी के बर्तनों के भट्ठे	०—१२—० भट्ठे

ख—नैवीगेशन दर:

अपर व लोअर गंगा नहर

क्लास	बोझ	प्रतिवर्ष	प्रति तिमाही
		रु०	रु०
(अ)	१०० फुट से ऊपर	१८०.००	४०.००
(ब)	६ फुट से १० फुट तक	८०.००	३२.००
(स)	६ फुट से नीचे	४०.००	१६.००

१—वार्षिक टिकट १ अप्रैल से ३१ मार्च तक के लिये होगा और किसी दशा में भी वार्षिक टिकट पर वापसी नहीं की जावेगी।

२—वापसी तिमाही कर पर दी जा सकती है। जब नहर में पानी की मात्रा उस मात्रा से जो मुख्य अभियन्ता के विचार से नेवीगेशन के लिये आवश्यक है और उस समय के लिये जब नाव—

(१) मरम्मत के लिये नहर से हटाई जावे।

(२) घाट पर नहर की किसी लम्बाई में जो डिवीजनल आफिसर नहर के आदेश से इस काम के लिये अलग नियत कर दिया हो।

(३) नदी में खड़ी हो, चल रही हो, इस प्रतिबन्ध पर कि कोई लगातार १४ दिवस से कम के लिये स्वीकार न की जावेगी।

(४) नेवीगेशन ऐसे समय में की जावेगी जबकि नहर विभाग सिंचाई को बिना हानि पहुँचाये पानी दे सके:

क्लास	चीज	दर	
		रु० आ० पा०	
पहला	लट्ठे गोल, चौकोर जो मोटाई में ढाई फुट से ज्यादा हो	०-१-६	१०० घनफुट
दूसरा	लट्ठे ढाई फुट की मोटाई जिसमें लकड़ी, बल्ली और सर्कीयर इत्यादि शामिल हैं	०-०-९	१०० घनफुट
तीसरा	बांस	०-१-६	बेड़ा
चौथा	ईंधन/जलाने के लट्ठे	०-१-०	१,००० घनफुट
	बेड़े जो श्रेणी नं० ३ में बताये गये ऊपर कम से कम	१-११-०	
	और अधिक से अधिक	२२-८-०	लगेगा।

(सी० एस० त्रिपाठी)
एक्जिक्यूटिव इंजीनियर,
उन्नाव डिवीजन, शारदा कैनाल,
उन्नाव।

(ह०) हरपाल सिंह,
१-४-१९६२
डिप्टी रेवेन्यू आफिसर,
शारदा नहर डिवीजन, उन्नाव।

अध्याय ३

परिच्छेद १२ (V संशोधित संस्करण)

अमीन के कर्तव्य

अमीन का कार्य-क्षेत्र हल्का कहलाता है, जो चार से छै पतरौलों का होता है। अमीन का मुख्य कर्तव्य है कि हर फसल सिंचाई की नाप (पैमायश) करे तथा जमाबन्दी तैयार करे। इसके अतिरिक्त उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :—

(१) पतरौलों के कार्य की निगरानी, जिसमें खसरे शुदकार की प्रविष्टि की जबकि सिंचाई की प्रगति हो रही हो, जांच करेगा, जो परताल खाम कहलाती है। उसको इस अवधि में प्रत्येक माह तीन या चार दिवस प्रत्येक पतरौल के यहां बारी-बारी से ठहर कर काम की जांच करनी चाहियें। ऐसी जांच कम से कम ७५ % प्रत्येक चौकी के सिंचित क्षेत्र की करनी चाहियें और अमीन को अपनी जांच के फल की रिपोर्ट फार्म नं० २२-एच पर जिलेदार को करनी चाहिये। अगर गलतियां तथा भूलें अधिक हों तो उत्तर पतरौल लेकर प्रेषित करना चाहिये।

(२) कृषकों के परिवाद यदि बाद जांच गलत पाये जायें तो कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। यदि ठीक हों तो उसका सुधार खसरे शुदकार में करके दस्तखत करने चाहिये। यदि पतरौल ने कोई बड़ी गलती या कसूर किया हो तो उसकी रिपोर्ट जिलेदार को करनी चाहिये। यदि कोई मामला शक तलब हो तो फार्म नं० २१-एच (कार्य उपरो) पर इसकी रिपोर्ट उचित आदेश हेतु करनी चाहिये। अमीन खसरा शुदकार में कोई तब्दीली या तरमीम किसी शिकायत पर बाद पैमायश नहीं कर सकता है।

(३) बाद समाप्ती पैमायश ग्राम जमाबन्दी व खसरा शुदकार फौरन दफ्तर जिलेदारी को रवाना करने चाहिये।

(४) दौरान पैमायश फार्म १६-H पर साप्ताहिक बुलिटेन पैमायश जिलेदार तथा उपराजस्व अधिकारी को प्रेषित करे। कम से कम १०० एकड़ प्रतिदिन पैमायश करना चाहियें।

(५) उत्तरी भारत नहर तथा जल निस्सारण अधिनियम के विरुद्ध हो रहे अपराधों की रिपोर्ट करे। यदि उसको कोई बात असाधारण मिले उदाहरण के लिये कुलाबों की अदला बदली या आबजाया आदि तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिये।

(६) पैमायश तितम्मा करना और यदि आवश्यकता हो तो उसकी तितम्मा व पर्चे जमाबन्दी बनानी चाहियें।

(७) दफ्तर जिलेदारी में उपस्थित होकर जांच जमाबन्दी करना तथा रवानगी जमाबन्दी का कार्य बाद पैमायश करना।

(८) बाद रवानगी जमाबन्दी दफ्तर जिलेदारी में ठहर कर फसली नक्शा तैयार करना।

परिच्छेद १३ (V संशोधित संस्करण)

पतरौल के कर्तव्य

पतरौली का मुख्य कर्तव्य खसरा शुद्कार में सिंचित खेतों की आबपाशी जो चौकी के ग्रामों में हों पूर्ण विवरण के साथ अंकित करना है। इस कार्य के लिये उसका दायित्व अमीन द्वारा जिलेदार से होगा। वह अपनी चौकी के शोबों की बराबर निगरानी का पंजाल पढ़ने तथा उनको रेगूलेशन आर्डर के अनुसार चलाने का भी जुम्मेवार है। इस कार्य के लिये उसका दायित्व ओवरसियर की मार्फत सब-डिवीजन अधिकारी से है।

इस के अतिरिक्त उसको निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना होगा:—

(१) उसके चार्ज में जो भी टूल और प्लान्ट का स्टाक (Stoot of Tools and Plants) सुपुर्द किया जाये उसके संरक्षण तथा उसके लिये उसका सम्पूर्ण दायित्व ओवरसियर सेक्शन के प्रति होगा।

(२) उसको शोबों का गश्त करके कुल कबाड़ निकालना चाहिये तथा यह देखना चाहिये कि कुलाबे सब ठीक तथा सही तरीके से लगे हैं। यदि उसकी पटरी टूट कर नाल्दा हो जाने का अन्देशा हो तो उसकी मामूली मरम्मत स्वयं करा देनी चाहिये यदि वह अपनी सामर्थ्य के बाहर हो तो सम्बन्धित ओवरसियर को रिपोर्ट करें। उसको अपना पंजाल रजिस्टर रोजाना भरना चाहिये तथा प्रतिदिन छपे हुये फार्म परचा पंजाल पर अपनी चौकी को पंजाले डिवीजनल आफिसर, सब-डिवीजनल आफिसर, उपराजस्व अधिकारी, जिलेदार, ओवरसियर तथा तार घर की उस चौकी निर्धारित कायदे के अनुसार प्रेषित करनी चाहिये। परचा पंजाल के विवरण के खाना में पतरौल की इच्छा जल, शोबे किस प्रकार चल रहे हैं, हालत फसल तथा मौसम और ऐसी ही आवश्यक बातों का विवरण जिसके लिये उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना आवश्यक है उल्लेख करना चाहिये।

(३) उसके एक मासिक सर्टीफिकेट कि कुलाबे अपनी जगह पर ठीक और सही लगे हैं, प्रेषित करना चाहिये। यदि अन्तर है तो उसका भी उल्लेख करना चाहिये।

(४) उत्तरी भारत नहर तथा जल निस्सारण अधिनियम के विरुद्ध जो अपराधी पकड़े उनकी रिपोर्ट जिलेदार तथा ओवरसियर को करनी चाहिये। यदि अपराधियों की शिनाख्त न होने की आशंका हो तो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की लिखित गवाही लेनी चाहिये।

(५) आबजाये (wastage of water) को पूर्ण विवरण के साथ रिपोर्ट करनी चाहिये।

(६) यदि कोई बात असाधारण तथा असामान्य हो तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिये, उदाहरण के लिये यदि उसको यह संशय है कि कोई खेत नहर से सींचा गया है या नहीं तो वह खेत उसको खसरा शुद्कार में दर्ज करके उसकी फौरन रिपोर्ट छपे हुये फार्म, जो कांजयारी कहलाते हैं, उस पर जिलेदार की मार्फत उचित आदेश के लिये भेजनी चाहिये। इसी प्रकार यदि उसको पता चले कि कुयें का पानी ऐसी गूल (बरहा) से ले जाया गया हो, जो आमतौर पर नहर के पानी के लिये प्रयोग में आती है तो ऐसे खेतों की सिंचाई शामिल बरहा दर्ज करके रिपोर्ट करनी चाहिये।

(७) जो पानी सिचाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये उपयोग में लाया जावे जैसे पथाई ईंट आदि की रिपोर्ट की जावे इसको कसरे के आखिरी सफा पर दर्ज किया जावे और प्रत्येक प्रविष्टि को पृथक्-पृथक् मार्फत अमीन, जिलेदार को रिपोर्ट की जावे। मुताल्लिका जिलेदार के आदेश प्राप्त होने पर भरा जावे।

(८) पर्चा पंजाल पर प्रत्येक माह की १०वीं तथा २५ वीं तारीख को कुल आबपाशी शुदा तथा दर्ज शुदा क्षेत्रफल का विवरण अंकित करे तथा उसकी विस्तृत लेखा फार्म १४H में प्रत्येक माह की २५ तारीख को मुन्शी जिलेदारी को रवाना करना चाहिये।

(९) गूलों की हालत तथा उन पर कलवर्ट न होने पर रिपोर्ट करनी चाहिये।

(१०) पतरौल जो मुन्शी लाइन में उन्नति चाहते हों उनको पाँच साल की सर्विस पूरी करने के बाद अपनी इस निश्चय की सूचना प्रेषित करनी चाहिये।

परिच्छेद १६ (V संशोधित संस्करण)

कूप चालक के कर्तव्य

(१) ट्यूबवेल आपरेटर उसी गांव में अपना निवास रक्खेगा, जिसको डिवीजनल आफिसर ने उसका हेडक्वार्टर नियत किया हो।

(२) उसको स्टैन्डिंग आर्डर नं० १८ का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। जिसमें उसके कर्तव्य के विषय में हिदायत दी गई है।

(३) पम्प तथा उसकी फिटिंग और पम्प हाउस की निगरानी का वह जुम्मेदार होगा। वह मशीन को स्वयं चलावेगा और किसी भी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को उसे नहीं छूने देगा। वह कुल बिजली तथा मशीन सम्बन्धी मामले का सेक्शन सुपरवाइजर के प्रति उत्तरदायी होगा।

(४) यदि किसी कारण से ट्यूबवेल बिलकुल बन्द हो जावे तो वह इसकी रिपोर्ट ट्यूब वेल फार्म नं० १ (Tube well Form No. I) पर लिखकर स्वयं सम्बन्धित मिस्त्री या लाइनमैन जैसी आवश्यकता हो ले जायगा और इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि रोजमर्रा की डाक से प्रेषित की जावे।

(५) वह तुरन्त खराबी मशीन, तार (Wiring) स्टार्टर (Starting Equipment) और मोटर की रिपोर्ट सेक्शनल मिस्त्री को करेगा।

(६) उसका मेकेनिक (Mechatic) के साथ यह कर्तव्य होगा कि वह शीघ्र अति शीघ्र बिजली के कनेक्शन (Electric connection) में जो खराबी पावे उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित ओवरसियर या सुपरवाइजर को तुरन्त करे।

(७) यदि वर्ष में किसी भी समय नलकूप वर्षा या किसी अन्य कारण से बन्द हो तो नलकूप चालक प्रत्येक दिन प्रातः नलकूप १५ मिनट के लिए चलायेगा। मानसून काल में यह समय हर तीसरे दिन आधा घन्टा का होगा।

(८) अगर पम्प पानी से भर जाये और मोटर डूब जाये तो आपरेटर उस मोटर को नहीं चलायेगा जब तक वह ऊपर न उठा दिया जावे। इसकी वह तुरन्त

रिपोर्ट मेकेनिकल मिस्त्री को करेगा तथा उसकी नकल सम्बन्धित एलेक्ट्रिकल मेकेनिकल असिस्टेन्ट (Electrical Mechanical Assistant) को प्रेषित करेगा।

(९) वह पम्पिंग सेट की दुरुस्ती के समय उपस्थित रहेगा तथा मिस्त्री की पूरी सहायता करेगा।

(१०) वह सुबह ८.०० बजे प्रत्येक दिन की मीटर रीडिंग (Meter Reading) दर्ज (रेकार्ड) करेगा।

(११) वह अपने क्वार्टर और हाता आदि को पूर्णतया स्वच्छ रखने का जुम्मेदार होगा तथा मशीन के बाहरी हिस्सों को धूल मिट्टी तथा जंग आदि से मुक्त रखेगा।

(१२) इमारती काम, पक्के पुल, पाईप लाइन तथा सर्विस रोड की खराबी की रिपोर्ट फौरन सम्बन्धित ओवरसियर को करेगा तथा कृषकों को मामूली आबादी मरम्मत, जो नलकूप को चालू रखने के लिए आवश्यक है, करने के लिए उत्साहित करेगा।

(१३) वह ट्यूबवेल पर निम्नलिखित समय पर उपस्थित रहेगा :—

१ अप्रैल से ३० सितम्बर तक	....	६ बजे से ११ बजे तक प्रातः
१ अक्तूबर से ३१ मार्च तक	....	८ बजे से १ बजे दोपहर तक
		४ बजे से ५ बजे शाम तक

वह सर्वेक्षण के कार्य के लिए उपरोक्त समय के अतिरिक्त जा सकता है। दौरान सिंचाई उसको अपने ट्यूबवेल के कमान्ड में दिन-रात रहना चाहिए।

(१४) उसको कृषकों या चौकदारों के मध्य के झगड़े या बटवारा पानी के बारे में जो वह स्वयं न सुलझा सकता हो उसकी रिपोर्ट तुरन्त अमीन हल्का को करनी चाहिये।

(१५) वह स्वीकृत हुए रेगुलेशन आर्डर का पूर्णतया पालन करेगा और बटवारा पानी के लिए ओसराबन्दी का पालन करेगा। वह कमान्ड के बाहर बिना लिखित स्वीकृति सब-डिवीजनल आफिसर (सिंचाई) नहीं करायेगा।

वह बिना स्वीकृति सब-डिवीजनल आफिसर (सिंचाई) के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए जैसे पथाई ईंट आदि के लिए पानी नहीं देगा।

(१६) वह प्रत्येक माह १६वीं तथा पहली तारीख को ट्यूबवेल फार्म नं० १० से १२ (Tube-well Form No. 10 to 12) पर रकबा सिंचित, घंटे जिसमें कूप चला हो तथा मीटर रीडिंग (Meter Reading) तखमीना पानी तथा दूसरी आवश्यक सूचनायें अंकित करके मुन्शी जिलेदारी को प्रेषित करेगा।

(१७) उत्तरी भारत नहर तथा ड्रेनेज अधिनियम के विरुद्ध जो अपराधी पकड़े उसकी रिपोर्ट जिलेदार तथा ओवरसियर मैकेनिकल को करनी चाहिए। यदि अपराधियों की शिनाख्त न होने की आशंका हो तो प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी की लिखित गवाही लेनी चाहिये।

(१८) उसको चार्ज में जो भी टूल और प्लान्ट का स्टाक (Stock of Tools and Plant) सुपुर्द किया जावे उसकी निगरानी का तथा उसके संरक्षण के लिये उसका सम्पूर्ण दायित्व ओवरसियर मैकेनिकल के प्रति होगा।

(१९) वह पक्की गूलों तथा धामों के साईफन (Syphons) का निरीक्षण करेगा तथा पानी रिसने तथा अन्य किसी खराबी की रिपोर्ट तुरन्त सेक्शन आफिसर को करेगा ।

(२०) यदि किसी ने अनधिकार सरकारी आराजी सर्विस रोड या गूल पर कब्जा कर लिया हो तो ऐसे अनधिकार कब्जे की वह रिपोर्ट सेक्शन आफिसर को करेगा ।

(२१) वह ग्राम की गाड़ियां नलकूप की सर्विस रोड पर नहीं चलने देगा ।

(२२) नलकूप चालक जो मुन्शी लाईन में उन्नति चाहते हों उनको पांच साल की सर्विस पूरी करने के बाद अपने इस निश्चय की सूचना प्रेषित करनी चाहिये ।

(ह०) सी० एफ० किरमानी,
अधिशासी अभियन्ता ।
उन्नाव डिवीजन, शारदा कैनाल,
उन्नाव ।

(ह०) श्याम नारायण दीक्षित,
डिप्टी रेवेन्यू आफिसर,
शारदा नहर, डिवीजन उन्नाव ।

पी० एस० यू० पी०—११ जनरल (पी० डब्लू० डी०)-१९६६—८,००० (हिन्दी बुक)